राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] बारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार

26 सितम्बर, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्र गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

अनुरोध एवं मांग

प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने प्रश्नकाल के बाद में जीरो आवर बिलकुल नहीं रखा...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल तो होने दीजिये, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं एक बहुत जरूरी बात पर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य के...

श्री अध्यक्ष : ऐसी कौनसी जरूरी बात है? प्रश्नकाल के बाद भी...

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट आप सुन तो लें मुझे। एक मिनट सुन लें। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि क्वेश्चन आवर में भी कुछ बातें हुई हैं। आज चूंकि उसके बाद तत्काल शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य के संसदीय कार्य मंत्री के बारे में एक बहुत... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे भी जाएंगे, सूचनाएं सदन की मेज पर रखी जाएंगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...आरोप लगाया है और उस आरोप के बारे में न तो कोई एफ.आई.आर. लाज हुई...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, ये नई परम्पराएं डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : प्रतिपक्ष के नेता को अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...पूर्व गृह मंत्री के बारे में सी.डी. के आधार पर सरकार ने काग्नीजैंस ले लिया लेकिन अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...और यह प्रतिपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : वहां पर प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी कोई एफ.आई.आर. लाज नहीं हुई, न कोई कार्यवाही हुई...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...यह अपने गिरेबान में खुद झांकें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...सरकार में रहते हुए मंत्रियों का आचरण यदि भ्रष्ट हो, ऐसे मामले में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या उम्मीद नहीं की जाती? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कम से कम सदन की कार्यवाही को चलने दें, उसके बाद जब सदन की मेज पर कुछ अध्यादेश रखे जाएंगे या जब और सूचनाएं रखी जाएंगी तब भी आप कह सकते हैं। प्रश्नकाल तो होने दीजिये। प्रश्नकाल होने दीजिये। आपसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार ऐसे मामले उठे हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अखबारों के आधार पर...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसमें सदन के मंत्री के आचरण के बारे में यदि कोई बात कही जाती है और उसके बारे में एफ.आई.आर. लाज नहीं की जाए, यह शर्म की बात है। हम जानना चाहते हैं कि एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं की गई, क्यों न उसकी जांच की गई और क्यों इस मामले में सरकार लीपापोती कर रही है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...पंजाब केसरी ने और...(व्यवधान) रहस्योदघाटन किया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह सरकार... एफ.आई.आर. लाज क्यों नहीं की। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूर्व में महिला मंत्री के आरोप...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मंत्रियों के आचरण के बारे में आज राज्य की जनता चिन्तित है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...उसके सदस्यों के बारे में...(व्यवधान) कार्यवाही क्यों...

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...और मैं यह भी जानना चाहता हूं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिना परम्पराओं के खड़े होकर...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...आज दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगी कि बी.ए.सी. बैठेगी और बी.ए.सी. तय करेगी कि सदन कब तक चलना है। आपको मौका मिलेगा। जो बात आपको कहनी है, कहिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष, क्वेश्चन आवर तो होने दीजिये कम से कम और उसके बाद आपको कहना है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप पहले मेरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं क्या सुन लूं आपकी बात? क्या बात सुन लूं आपकी? आप नियमों में...क्या बात सुनूं आपकी? (व्यवधान) क्या बात है आपकी? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरी बात यह है कि राज्य के मंत्रियों के खिलाफ कोइ

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अपराध प्रसंज्ञान लेने के लिए पुलिस को दबाया जा रहा है, एफ.आई.आर. लाज नहीं की जा रही है, यह कोई तरीका नहीं है राज्य सरकार का। आज जिस सरकार में वहां की कुर्सी पर बैठी है, वह यदि महिलाओं के साथ अत्याचार करेगी तो इस सदन में मामले उठेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता जब खड़े होते हैं तो सबको शान्ति से सुनना चाहिए। आप खामख्वाह में बिना नियमों के क्वेश्चन आवर में खड़े हो गये इसलिए शोर-शराबा हो रहा है। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। बी.ए.सी. तय करेगी कि सदन कितने दिन चलेगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट पहले सुन लो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...कोई है नहीं, केवल काल्पनिक बातें करते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : ...लोकतंत्र की हत्या...(व्यवधान) यह सरकार ने कांग्रेस के मंत्रियों पर सी.डी. के आधार पर दर्ज किये हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...कोई इनके पास है नहीं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपको कोई अधिकार नहीं है, आप सी.डी. के नाम पर कर सकते हैं तो प्रिंट मीडिया के नाम पर करना पड़ेगा। दोहरे मापदण्ड नहीं चल सकते, एक मापदण्ड रखना पड़ेगा। इसी सरकार ने कांग्रेस के मंत्रियों पर सी.डी. के नाम पर एफ.आई.आर. दर्ज की है, आज प्रिंट मीडिया में लिखा हुआ आ गया और आप एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करना चाहते। यह दोहरे मापदण्ड के आधार पर लोकतंत्र नहीं चल सकता। यदि मंत्री सही है तो अखबार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करिये हम मना नहीं करते और मंत्री सही नहीं है तो आप मंत्री के खिलाफ कार्यवाही कीजिये। अखबार के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, मंत्री नहीं बोले, सरकार दो तरह की बात करें, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता। (व्यवधान) यह सबसे बड़ा लोकतंत्र...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जिस प्रकार का सवाल कर रहे हैं, मैं उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं लेकिन यह समय सवाल और जवाब का नहीं है। आप चाहते हो कि कोई समस्या आई है, कोई विषय आया है, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शोर-शराबे में आपकी बात कोई सुनता नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : ...सरकार ने प्रश्नकाल को खत्म किया है, इसी सरकार ने प्रश्नकाल को खत्म किया है, नई बात कौनसी कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कोई प्रस्ताव तो लाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे प्रार्थना यह करता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : ...सरकार के ऊपर पूरा रिफ्लेक्शन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ...कोई नहीं है। (व्यवधान) नियमों में आकर के बात उठायें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...यह कोई शब्दों का विषय नहीं है। कल आप अपने तर्क के साथ कहो, मैं आपके एक-एक सवाल का जवाब दूंगा लेकिन यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : कटारियाजी, आप पर तो आपकी सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है, आप कैसे जवाब दोगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने आप पर आरोप लगाया है, आप क्या जवाब देंगे? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं? आप एक तरफ सी.डी. के आधार पर मुकदमें दर्ज कर रहे हो और अखबारों में आया है तो एफ.आई.आर. लाज क्यों नहीं होगी? (व्यवधान) क्या आप एफ.आई.आर. लाज करवाने की बात करेंगे? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान) यह कोई हल नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...आपकी महिला मंत्री के बारे में आया... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ...लेकिन यह मामला उठा नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...मैं तैयार हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक महिला के साथ क्या किया? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं, यह तरीका ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : ...महिला आयोग ने सीरियस माना है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ...मामला उजागर हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : ...महिला आयोग ने इसके लिए महामहिम को ज्ञापन दिया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...मैं कोई विषय का...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :...रामपाल उपाध्याय ने तो गरिमा रखी...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : ...के आधार पर क्यों बोल रहे हैं, हम अगर बोल रहे हैं तो महिला आयोग ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, इस आधार पर कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...आप अपनी विषय को उठाओ चर्चा के माध्यम से। अभी तो सत्र चलेगा। (व्यवधान) आप किसी न किसी मोशन के द्वारा आइये, किसी न किसी प्रस्ताव के माध्यम से आइये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय गृह मंत्रीजी, आप इतना बता दीजिये कि यह मामला गलत है या सही है यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ...नियमों में आयें आप। (व्यवधान) नियमों में आये ही नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...उसका मैं जवाब दूंगा। ऐसे केवल विषय को खड़ा करने में, इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के मंत्रियों को झूंठा बदनाम किया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : गृह मंत्रीजी, आप तो कुंठित और दु:खी मंत्री हो, खुद आपने कहा है। आप तो जवाब दो खाद्य आपूर्ति मंत्री के आरोपों का जो आप पर लगाये हैं, इन्होंने। आप सरकार का बचाव कर रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के मंत्रियों को झूंठा बदनाम किया है और कुछ नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के मंत्रियों को झूंठा बदनाम किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : ...अध्यक्ष महोदय, गुलाबसिंहजी ने स्वयं सी.बी.आई. को मामला सौंपने की बात कही थी, मैं आपसे निवेदन करूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नियमों में आइयेगा, आप नियमों में क्यों नहीं आते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ...आप बात ही नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ने स्वयं सी.बी.आई. की बात की थी कि सी.बी.आई. को केस सौंपा जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को सरकार सी.बी.आई. को सौंपे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...वो स्वयं लिखे हैं, आज तक इन्होंने कुकर्म किये, आज तक जिन्होंने कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई सरकार का दुरुपयोग करके और दुरूपयोग करके क्या-क्या काम नहीं किया इन्होंने। (व्यवधान) मैं इनको कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : मैं न नेता प्रतिपक्ष को आज्ञा दूंगी इस बारे में बोलने की, न मैं सत्ता पक्ष के किसी को दूंगी। नियमों में आइये और नियमों में आकर के बाकायदा... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : लोकतंत्र में कोई नियम नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी अपराधी हैं और सरकार एफ.आई.आर. लोज नहीं करें, यह कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र का...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, जो बातें रिकार्ड पर आई हैं, कम से कम उनको आप...(व्यवधान) नहीं रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों में आइये ना, मैं आपको मौका दूगी कहने का।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...और सरकार एफ.आई.आर. लाज नहीं करे और इस बात को हम नहीं उठायेंगे, आप तो कम से कम लोकतंत्र की गरिमा को रखिये और आवाज को बुलन्द करने में आप...

श्री अध्यक्ष : आप नियमों में आइये, मैं आपको पूरा मौका दूंगी अपनी बात कहने का।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप नियमों में आइये प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप स्वयं महिला हैं, आप महिलाओं की रक्षा नहीं करेंगी तो कौन करेंगी? महिला मुख्य मंत्री, महिला गवर्नर...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कौन शिक्षा दे रहा है, वह तो देख लें। (व्यवधान) माननीय सदस्य शिक्षा दे रहे हैं, वाह वाह।

डा. बुलाकीदास कल्ला : महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और [illegible] के मामलों को यहां उठाने के लिए आप ही इनकी नही सुनेंगी तो कोन सुनेगा?

श्री नरपत सिंह राजवी : नियमों के तहत आइये. नियमों के तहत मामले उठाइये प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप खुद ही नहीं सुन रहे हैं तो कौन सुनेगा? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो नियमों का पालन करने वाले रक्षक, भक्षक बन जाते हैं, तो उनके बारे में मामले उठेंगे यहां पर। (व्यवधान) जब बाड़ ही खेत को खाएगी तो क्या हो सकता है यहां पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की महिला मुख्य मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आपको उनके मान-सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या आप एफ.आई.आर. दर्ज कर सी.बी.आई. से जांच करायेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों के अन्दर आयेंगे तो कोई भी गम्भीर बात हो, सुन लेंगे। आप स्वयं शोर-शराबे में बात कह रहे हैं, आप स्वयं परम्परा की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान की आलोचना कर रहे हैं ये।

एक माननीय सदस्य : एक महिला मुख्य मंत्री होने के नाते आज पूरे हिन्दुस्तान की महिलाएं राजस्थान की तरफ देख रही हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक महिला मुख्य मंत्री राजस्थान में शासन कर रही है और...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और महिलाओं के साथ शर्मनाक बातें हो रही हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : और उनके शासनकाल में महिलाओं के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे इंगित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता ने कोई बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से व्यवस्था चाहूंगा कि इस तरह के चरित्रहीन मामले पर आप मौका दें, सत्ता पक्ष अपनी बात रखें, उनके पास कोई तथ्य हों तो तथ्य लेकर आयें, अगर तथ्यों के ऊपर प्रमाणित कर दें तो मैं सदन से एक मिनट में इस्तीफा देकर जाने को तैयार हूं। कोई तथ्य नहीं हैं उनके पास। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहले आप इस्तीफा दे दें।

एक माननीय सदस्य : आप पहले इस्तीफा दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप इस्तीफा दे दें और इसकी जांच करा ली जाये। यदि जांच में आप सही होते हों तो कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यदि आप में जरा भी नैतिकता है, अगर आपका दामन साफ है तो क्या खाकर कहें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी, आप खुद जांच करा लें। अध्यक्षजी, आपके नेतृत्व में एक समिति बनाकर जांच करा ली जाये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप एफ.आई.आर. लाज कर इसकी जांच कर लें और जांच करने पर आप इस्तीफा दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : अगर इस सरकार का दामन साफ है तो...

एक माननीय सदस्य : इसमें और भी मंत्री शामिल हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसलिए सारे मंत्रिमण्डल को बर्खास्त करके नया मंत्रिमण्डल बनाओ (व्यवधान) सारे मंत्रिमण्डल को बर्खास्त कर दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप देखो, सब हो जायेंगे साफ।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है। एक मंत्री पर यदि पत्रकार यह कहे कि मंत्री या मंत्रिमण्डल का सदस्य भ्रष्टाचार में सम्मिलित है तो सरकार की एकदम नहीं सुनेंगे। अत: आरोप पर स्पष्ट करे सरकार। सरकार यह स्पष्ट करे कि सरकार को कोई मंत्री इसमें सम्मिलित नहीं है। जब तक यह नहीं हो, तब तक हम यह मानते हैं कि सरकार और सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के बिना जो भी बात कही जा रही हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबार की खबर के आधार पर इस तरह की चर्चा करना उचित नहीं है। बिना तथ्यों के तथ्यहीन बातें यहां पर की जा रही हैं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपये लगे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को इनकी छवि के लिए मुख्य मंत्री को फैसला करना पड़ेगा, आपको फैसला करना पड़ेगा। तीन-तीन महिलाएं हैं और मंत्री पर आरोप लगे, सरकार जवाब दे और मंत्री बच जाये, यह नहीं हो

(डा. सी. पी. जोशी)

सकता। पहले सरकार यह कहे कि मंत्री शामिल नहीं है। हम नहीं कहते कि मंत्री सही है, लेकिन सरकार को कहना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और अगर इनके पास में कोई तथ्य हो तो नियमों के अन्दर आइये। सदन की अपनी परम्परा है, व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं के हिसाब से चर्चा करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। केवल अखबार की खबर के आधार पर आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : तीन दिन हो गये, अखबार में छपी है और सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की? सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करे। सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है, फिर भी सरकार चुप बैठी हुई है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपके पास कोई तथ्य हो तो लेकर आइये।

श्री नरपत सिंह राजवी : ऐसी सब बातें आपने क्या कहने की अनुमति दे दी है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह संयुक्त जिम्मेदारी है। एक मंत्री बेइमान है, वेश्यावृत्ति में शामिल है तो पूरी सरकार शामिल है। सरकार यह नहीं मान सकती कि कोई भी सम्मिलित नहीं है। खड़े होकर बोलें इस बात को। संयुक्त जिम्मेदारी है आपकी। सरकार यदि नहीं मानती है तो कोई तकलीफ नहीं है कि हम इसमें सम्मिलित नहीं है लेकिन सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा, तीन दिन हो गये, सरकार ने खण्डन नहीं किया, सरकार इसमें सम्मिलित है, स्पष्ट करें इस बात को। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बात कर रहे हैं क्या? वरना हम उनकी बात नहीं सुनेंगे।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय जवाब दे इनका। यह नियम और कानून बने हैं सरकार के लिए और सरकार इनसे बच नहीं सकती। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब दें इस बात के लिए।

डा. सी. पी. जोशी : यह सवाल एक मंत्री का नहीं है अध्यक्ष महोदय, पूरी सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : सरकार अपनी बात को कहने के लिए तैयार है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो यह नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह मनगढंत खबर के आधार पर हाउस का समय बर्बाद किया जा रहा है।

डा. सी. पी. जोशी : यह आपकी संयुक्त जिम्मेदारी है, इस सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। एक मंत्री बेइमानी कर रहा है, सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है तो पूरे मंत्री सम्मिलित हैं, खण्डन करिये इसका। करिये खण्डन इसका। सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : तथ्यहीन बात है, सच्चाई से बिलकुल परे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है। आसन पांवों पर है। (व्यवधान) इस शोर-शराबे में आपकी किसी की भी बात अंकित नहीं हो पा रही है। क्या मतलब निकल रहा है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : क्या नहीं हो रहा है? सरकार बच नहीं सकती। काहे को सरकार खड़ी होगी। बात अंकित नहीं होती है तो फिर होगा क्या? आपने अंकित होने का मौका दिया है।

श्री अध्यक्ष : आसन पावों पर है। आप सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी : अंकित नहीं होगी तो कैसे कहेंगे आप। अंकित नहीं होगा, क्या अंकित नहीं होगा? आपने फैसला कर लिया कि अंकित नहीं होगा। क्या अंकित नहीं होगा? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप नियम और कानून से आइये, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में चर्चा करने की प्रक्रिया है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में इस सर्वोच्च पद पर आसीन हैं और एक पीड़ित महिला न्याय के लिए पुकार कर रही है। राजस्थान की जनता की ओर से हम फरियाद लेकर आपके सामने खड़े हुए हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सदन में चर्चा करने की एक प्रक्रिया है।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें यहां पर कही गई हैं, हम चाहते हैं कि इन पर चर्चा हो लेकिन इनको कोई हक नहीं है कि वह कार्यवाही को रोके। हम भी इस हाउस में व्यवस्था के अनुसार हाउस को चलाना चाहते हैं (व्यवधान) लेकिन ये अगर आपकी अनुमति के बिना बोलेंगे तो न हाउस चलेगा और न बात होगी।

डा. सी. पी. जोशी : बिलकुल नहीं चलने देंगे। सरकार भ्रष्ट है तो हाउस चलना नहीं चाहिए। किसकी सरकार, यह जनता की सरकार है। कोई तकलीफ नहीं है, काहे की तकलीफ है। अध्यक्षजी फैसला करेंगे, यह अध्यक्षजी फैसला करेंगे, आप फैसला

(डा. सी. पी. जोशी)

नहीं करेंगे, अध्यक्षजी फैसला करेंगे, आप फैसला नहीं करेंगे। यह काम अध्यक्षजी का है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी : राजवी साहब, यह आपका काम नहीं है, यह अध्यक्षजी का काम है, आपका काम नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : अभी तो एक ही नाम आया है, और भी नाम आयेंगे। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : आप जो भी बात कहते हैं बिना अनुमति के, वह रिकार्ड पर आती है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो एक ही नाम आया है, आप जांच करवाओ, और नाम आयेंगे। दो और शामिल हैं। एक केबिनेट मंत्री और हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इस तरह की वाहियात बातें उठाने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये आप पर भी दबाव डाल रहे हैं जबरदस्ती में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं प्रतिपक्ष से जानना चाहती हूं कि सदन को चलाने की मंशा आपकी है या नहीं? (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें, प्लीज स्थान ग्रहण करें पहले। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप हमारी बात सुन लीजिये पहले। आप बार-बार खड़ी होंगी ना। ना कतई नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं सुनूंगी ना।

एक माननीय सदस्य : नेताजी, बिना कानून-कायदे के बात चोखी कोनी लागै, बिराजो।

डा. सी. पी. जोशी : आप हमारी बात सुनिये, पहले हमारी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : You can throw us out of the House. आप हमें हाउस से निकलवा दीजिये, आप निकलवा दीजिये हाउस से हमको आज, हां निकलवा दीजिये मार्शल से, आप बाहर फिंकवा दीजिये।

डा. सी. पी. जोशी : आप विपक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहते। आप सरकार के मंत्री नहीं हो। पहले आप बात सुनिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष आसन पावा पर है. आसन पावों पर है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आप नियमों के तहत लाइये. मै हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप नियमों के तहत आयें और नियमों के तहत विषय रखें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं आपकी हर शंका का समाधान करने को तैयार हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बाहर फिंकवा दीजिये। आप फिंकवा दीजिये बाहर हमको। आप कोई बात नहीं सुनना चाहते। आप बात नहीं सुनना चाहते हैं, अंकित नहीं होने देना चाहते हैं, यह आपका रवैया है, वह डेमोक्रेसी के खिलाफ है आपका रवैया (व्यवधान) यह आपका रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है। आप मत अंकित होने दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं लेकिन ऐसे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये विषय को प्रस्ताव के माध्यम से लायें, मैं इनके हर प्रस्ताव का, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि चर्चा करें, नियमों के तहत आयें। जो विषय आज आया है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : नियमों में प्रस्ताव लाइये नियमों में।

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, सौ-सौ चूहा खाकर बिल्ली हज न चाली है। आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबां में झांको, अपन कपड़ों में झांको।

श्री टीकम चन्द कांत : अनर्गल आरोप लगाकर सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इसको नियमों के तहत लेकर चर्चा कराइये। मैं इनके प्रश्न का जवाब देकर, मैं आपकी हर शंका का समाधान करने का प्रस्ताव करूंगा।

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कौन महिला अपने आपको सुरक्षित महसूस करेगी इनके राज में। औरत को प्रताड़ित किया गया और वह भागकर गई वहां से। आज इसका फैसला होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, आज ही होना चाहिए, उसके बाद ही चलेगा सदन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव लेकर आयें, मैं इनके प्रस्ताव का जवाब देकर इसको सन्तुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे फिर आसन से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये किसी न किसी तरीके से मोशन लेकर आयें, मैं उसके आधार पर आपका हर जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि इस शंका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का समाधान हो। जो विषय इस प्रकार से आज खड़ा हो गया है, उसका कोई न कोई स्पष्टीकरण हो ताकि राजस्थान की जनता इस बारे में जाने। केवल विषय को लेकर के इस तरह की चर्चा से तो समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मैं अपनी तरफ से अपनी बात कहूंगा। अगर आपको कोई संदेह होता है तो आप मुझे बताइये, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोगों को कोई शंका हो...

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय गृह मंत्रीजी, आपने स्वयं गुलाबसिंहजी वाले मामले में सी.बी.आई. से जांच की मांग की थी, जांच कराई थी।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्रीजी, स्थान ग्रहण करें। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सांवर लाल : आपके पास कोई तथ्य नहीं है। आप सदन को चलाने देना नहीं चाहते, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस डेढ़ साल में जो इस सरकार ने किया है, उसके खिलाफ आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आप धौलपुर में कितने लोगों को...और आपके पास में है।

श्री सांवर लाल : अगर आपके पास में कोई तथ्य हो तो आप नियमों और प्रक्रिया में आइये आप। विधान सभा में सारी व्यवस्थाएं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आप क्यों खड़े हो, बैठिये आप। माननीय मंत्रीगण। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें। आप पहले आसन को सुनेंगे। आप पहले आसन को सुनेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके हाथों से सदन की परम्परा तोड़ी जा रही है जो आज तक नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आप तोड़ रहे हैं परम्परा।

श्री रामनारायण चौधरी : +++ प्रतिपक्ष के नेता को अपनी बात करने का पूरा अधिकार है। आप उन्हें अपनी बात कहने दीजिये। आप उन्हें अपनी बात कहने से रोक रही हैं।

श्री सांवर लाल : आप आसन पर आरोप मत लगाइये।

श्री महीपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार भ्रष्टाचार और बलात्कार में फंस चुकी है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार भ्रष्टाचार और बलात्कार के

(श्री महीपाल सिंह यादव)

दलदल में फंस चुकी है और आप इस सदन में नियमों की बात कर रही हैं। बार-बार आप खड़ी हो जाती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप इनके अधिकार को छीन नहीं सकते, आपको बोलने का अधिकार देना होगा। किसी भी समय...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : मुख्य मंत्री के क्षेत्र में स्मैक बनाई जाती है, +++ (व्यवधान) आप बार-बार खड़ी हो जाती हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करिये आप। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : करोड़ों रुपये पोषाहार में खा चुके हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कोई तथ्य इनके पास में नहीं है, केवल अखबार की बात के आधार पर सदन का समय जाया किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको नेता तो बनाया नहीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सांवर लाल : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके चार माननीय सदस्य खड़े हैं आपके साथ...

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : आप आसन को नहीं सुनना चाहते तो वो क्यों बात सुनेंगे आपकी। आप आसन को नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : xxx

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) वह क्या सुनेंगे आपकी क्या कहना चाहते हैं आप। पहले आप मेरी बात सुनिये। पहले आप मुझे, नहीं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अध्यक्ष : पहले आप मुझे सुनेंगे, मैं आपको उसके बाद दूंगी। मैं आपको सुनूंगी लेकिन बाद में, पहले नहीं। पहले किसी को नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : पहले नहीं। पहले आप आसन को सुनेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्रीमती ममता शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान) पहले आप अपने स्थान पर जाइये। पहले स्थान ग्रहण कर लें, मैंने कहा, स्थान ग्रहण कर लीजिये आप। पहले स्थान ग्रहण करिये।

श्रीमती ममता शर्मा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय, माननीय मंत्रीजी, पहले आप...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री अध्यक्ष : पहले आसन को सुनेंगे आप।

श्री कैलाश त्रिवेदी : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अर्जुन सिंह : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री रामनारायण डूडी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री कनकमल कटारा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री गुरजन्ट सिंह बराड़ : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री बत्तीलाल मीणा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अर्जुन सिंह : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री कालूलाल गुर्जर : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री कनकमल कटारा : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री कालूलाल गुर्जर : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री अर्जुन सिंह : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन पांवों पर।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। मैं माननीय सदस्यों को, सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष, दोनों के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, कहां आ गये आप। पहले आप स्थान ग्रहण करिये। आप पहले स्थान ग्रहण करिये। आप पहले स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण...

श्री सी. पी. जोशी : xxx

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : xxx

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण। अब आप स्थान ग्रहण कर लें। प्लीज, प्लीज, स्थान ग्रहण करें। आसन पावों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, यह सदन कुछ नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है...

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : ...(व्यवधान).आप मुझे बात कहने देंगे?

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : मुझे आप मजबूर [illegible] आप बहुत [illegible] कि आप बहुत होशियार हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य आप...

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी माननीय मंत्रीजी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आपने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी और मुझसे पहले आप खड़े होकर बोलने लगे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : फिर वही खड़े हो रहे हैं आप। बात पूरी करने दें। यह कोई तरीका नहीं है। आप बहुत होशियार हो सकते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : आप बहुत विद्वान भी हो सकते हैं लेकिन आसन का कहना आपको भी मानना पड़ेगा। हो सकता है, आप विद्वान हों लेकिन आसन नियमों में चलता है और आसन की अवहेलना नहीं कर सकते हैं आप। मुझे मेरी बात भी आपने पूरी नहीं करने दी और उससे पहले ही आप शोर-शराबा मचाने लगे।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं। फिर नहीं। नहीं-नहीं, मुझे मेरी बात कहने दें।

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : बिलकुल नहीं सुनूंगी किसी की जब तक बात पूरी नहीं करूंगी। जब तक आसन अपनी बात पूरी नहीं करेगा।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : जब तक आसन को आप बात पूरी नहीं करने देंगे...

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर वही बात कर रहे हैं। फिर वही बात कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : आप आसन को अपनी बात कहने दें।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री निर्भय लाल : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े होते हैं बीच में माननीय मंत्री, आप क्यों खड़े होते हैं बीच में कम से कम आसन जब पांवों पर खड़ा है तो आपको तो ध्यान रखना चाहिए वो तो नहीं रखते पर आपको तो रखना चाहिए।

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हो गये? लेट मी फिनिश। मैं यह कह रही थी कि नियमों और प्रक्रियाओं के अलावा परम्पराओं से भी सदन चलता है लेकिन यह क्वेश्चन आवर के समय क्वेश्चन आवर के बाद जब सूचनाएं सदन की टेबल पर रखते उस समय बात उठाते। बी.ए.सी. के अन्दर 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन का आप फैसला करते कि इतने दिन तक सदन चलेगा। आप नोटिस देते और अपनी बात को गम्भीरता से कहते। इस शोर-शराबे में बात तो आपकी सुन ही नहीं पाया कोई। पूरी बात अंकित भी नहीं हो पायी...(व्यवधान) फिर वही बात कह रहे हैं। तो मैं आपसे कहती हूं कि यदि आप इतना इसे गम्भीर मामला समझ रहे हैं और किसी के... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : xxx

श्री अध्यक्ष : सुनिये फिर वही बात कर रहे हैं आप। यह कोई तरीका है? यह कौन सा तरीका है? यह कौनसा तरीका है आपका, कि बात पूरी नहीं करने देते आप। तो आपको नियमों में आकर के बाकायदा इसके ऊपर चार्जेज लगा करके, उस वक्त मैं आपको मौका देती पूरा आपको जिसको जो कुछ बोलना था कहते और फिर जिसके खिलाफ चार्जेज लगे हैं, वो अपना कोई स्पष्टीकरण देना होता तो देता। लेकिन इस शोर-शराबे के अन्दर न पूरी बात आपने क्या कहा आसन सुन पाया न कोई आपकी बात जा पायी और खामख्वाह में खड़े होकर के न आपने किसी का नाम लिया न कुछ और लिया। आपको बाकायदा अपनी बात कहनी है तो तरीके से कहनी चाहिए थी। कहो आप अपनी बात को लेकिन क्वेश्चन आवर के अन्दर...(व्यवधान) फिर वही बात कर रहे हैं आप। आप मुझे गाइड करने वाले कौन हैं? आसन को गाइड करने वाले कौन हैं आप?...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात कह रहे हैं। आप क्वेश्चन आवर चलने दें।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप क्वेश्चन आवर चलने दें इस इश्यू को उठाना है तो आप अवसर के ऊपर जब इसका उपयुक्त अवसर हो तब उठायें। अभी क्वेश्चन आवर चलने दीजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : ...(व्यवधान) उठा चुके दुबारा उठाने का मौका नहीं मिलेगा आपको। आप उसे खामख्वाह ही उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : आपको अपनी बात कहने का दुबारा मौका नहीं मिलेगा। आप मत करो यह काम।

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री शिवचरण माथुर : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अध्यक्ष : दोनों पूर्व मुख्य मंत्री खड़े हैं, देखें यह क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान) क्या कहना चाहते हैं आप। (व्यवधान) एक बार स्थान ग्रहण कर लें। आप दोनों में से पहले कौन बोलेगा।

श्री शिवचरण माथुर : बोलने दीजिए ना आप मुड़

श्री नरपत सिंह राजवी : xxx

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रतिपक्ष के पास

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वाकई में कुछ कहने को होता तो वह नियमों के आधार पर उसको लाते, उसकी बहस करवाते और कुछ कहते और गृह मंत्रीजी उसका जवाब देते। मैं नहीं समझती हूं उनके पास कुछ कहने को है नहीं तो इतने हल्ले, दंगा-फसाद में कुछ आवाज सुनाई नहीं देती।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री अध्यक्ष : सदन की नेता खड़ी हैं और आप खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्रीमती वसुन्धरा राजे : आप सुनो तो सही, सुनते क्यों नहीं। अगर कोई ऐसी बात होती तो यह सुनते क्यों नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्रीमती ममता शर्मा : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री कालूलाल गुर्जर : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री गुलाबचन्द कटारिया : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री गुलाबचन्द कटारिया : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री सांवर लाल जाट (सिंचाई मंत्री: xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री सांवर लाल जाट : xxx

डा भंवरलाल राजपुरोहित : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री हीरालाल रैगर (निवाई) : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : xxx

श्री नरपतसिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह : xxx

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री सांवर लाल जाट : xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह : xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

डां. भंवरलाल राजपुरोहित : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

(कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : आप खुद ही सीरियस नहीं हो, मुझे क्या कह रहे हो। मैं तो चाहती थी आपको बोलने का मौका मिले।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर को अतारांकित प्रश्न माना जाकर कार्यवाही वृत्तान्त में मुद्रित कराया गया)

(कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर व्यवधान व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप स्वयं ही अपनी बात को खराब कर रहे हो। (व्यवधान) आपने गलत मौके पर उठा ली बात। आपको नियमों में आना था। (व्यवधान) आप नियमों में क्यों नहीं आये। (व्यवधान) बी.ए.सी. की मीटिंग होगी उसमें आप अपनी बात कहियेगा। (व्यवधान) लोकतंत्र का गला घोंटने में आप भी मदद कर रहे हो। आपने मौके पर बात क्यों नहीं उठायी। नियमों में क्यों नहीं उठायी बात। आपको नियमों में उठाना चाहिए था। (व्यवधान) आप यह बताइये कि आपने इसको नियमों में क्यों नहीं उठाया। इतना गम्भीर मामला था। नियमों में उठाते आप। (व्यवधान) शोर-शराबे में आपकी आधी बात तो सुनी गयी, आधी सुनी नहीं गयी। आप नियमों में आते, पूरी बात सुनते आपकी। आप न नियमों में आते हैं, न व्यवस्था का मौका देते हैं। (व्यवधान) न कोई आपकी पूरी बात शोर-शराबे में सुनाई दी। आपका जो मकसद था वह फोरफिट हो गया।

(कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्रीमती उषा पूनिया, पर्यटन राज्य मंत्री एवं श्री नारायण सिंह सदस्य, को 26 सितम्बर, 2005 से सत्रांत तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्रीमती उषा पूनिया, पर्यटन, राज्य मंत्री एवं श्री नारायण सिंह सदस्य, विधान सभा ने विदेश यात्रा पर जाने के कारण दिनांक 26 सितम्बर, 2005 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़) : महोदय, मैं गत सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं :-

(अ) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(ब) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :-

1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005
2. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005
3. राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005
4. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005
5. राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005
6. राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005
7. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005
8. राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2005
9. राजस्थान वित्त विधेयक, 2005
10. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005
11. राजस्थान राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005
12. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2005
13. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005
14. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005
15. राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति से रोके गये विधेयक

(स) विधेयक जिस पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति रोक ली है :

1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

अध्यादेश

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2005

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल

सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2005 को सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी। (व्यवधान)

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2005

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (नगरीय विकास राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (वर्ष 2005 का अध्यादेश संख्या-2) सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अध्यक्ष : पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 को और संशोधित करने के लिए विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2005 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जा रही है। उसके बाद शोकाभिव्यक्ति के लिये पुन: बैठेंगे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.08 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित हुई)

(12.23 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बीस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.23 बजे 12.43 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.43 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये और स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.43 बजे 13.43 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.44 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए श्री सुन्दर सिंह भण्डारी, पूर्व राज्यपाल, बिहार एवं गुजरात, श्री गोविन्द नारायण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, श्री पी.के. वासुदेवन नायर, पूर्व मुख्यमंत्री, केरल, केन्द्रीय मंत्री श्री सुनील दत्त, सऊदी अरब के शाह फहद बिन अब्दुल अजीज अल सउद तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हीरालाल सहरिया, श्री हंसराज गुर्जर, श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्री चम्पालाल जैन, श्री नत्था सिंह जाटव, श्री मजलिस खां, श्री हजारी लाल शर्मा, श्री जोधसिंह चौहान तथा श्री जयनारायण शर्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी, पूर्व राज्यपाल बिहार एवं गुजरात

बिहार एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्री सुन्दर सिंह भण्डारी का जन्म 12 अप्रैल, 1921 को उदयपुर में हुआ। आपने एम.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी 27 अप्रैल, 1998 से 14 मार्च, 1999 तक बिहार तथा

(श्री अध्यक्ष)

18 मार्च, 1999 से 7 मई, 2003 तक गुजरात के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। श्री भण्डारी वर्ष 1966 से 1972, 1976 से 1982 तथा 1992 से 1998 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1977 से 1980 तक जनता पार्टी संसदीय दल तथा वर्ष 1980 से 1982 तक भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के उप नेता रहे। राज्य सभा में आप वैज्ञानिक परिषद् तथा औद्योगिक खोज की जांच सम्बन्धी समिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी समिति, केन्द्रीय डाक एवं तार सलाहकार समिति, राजकीय उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति व लाभ के पदों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप याचिका समिति तथा यातायात, पर्यटन और नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समिति के सभापति भी रहे। श्री भण्डारी वर्ष 1978 से 1980 तक कृषि मूल्य आयोग के सदस्य भी रहे।

श्री भण्डारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राजस्थान इकाई के सम्भागीय प्रचारक रहे। राजस्थान में भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे श्री भण्डारी को वर्ष 1951 में जनसंघ की स्थापना पर राजस्थान इकाई का महासचिव बनाया गया। आप अखिल भारतीय जनसंघ के सचिव एवं महासचिव तथा वर्ष 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। आपको वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। आपने वर्ष 1978 में पुर्तगाल व 1997 में दक्षिणी कोरिया में आयोजित अन्तर संसदीय संघ के सम्मेलनों में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। अधिवक्ता रहे श्री भण्डारी वर्ष 1943 से 1946 तक शिक्षा भवन, उदयपुर के प्रधानाध्यापक रहे। आजीवन अविवाहित रहे श्री भण्डारी सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी का दिनांक 22 जून, 2005 को निधन हो गया।

श्री गोविन्द नारायण, पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री गोविन्द नारायण सिंह का जन्म 25 जुलाई, 1920 को सतना जिले के रामपुर बबेलान में हुआ। आपने एम.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गोविन्द नारायण सिंह पहली. दूसरी, तीसरी एवं चौथी मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। चौथी विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप दिनांक 30 जुलाई, 1967 से 12 मार्च, 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। आप वर्ष 1957 से 59 में लोक लेखा समिति और इसके पश्चात् याचिका समिति के सभापति रहे। आप मध्य प्रदेश सरकार में उपमंत्री तथा मंत्री पद के दायित्व का भी निर्वहन किया। श्री सिंह दिनांक 26 फरवरी, 1988 से 23 जनवरी, 1989 तक बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री सिंह 1946 से 47 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याख्याता भी रहे। आप वर्ष 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने गये और विंध्य प्रदेश में सहायक क्षेत्रीय आयुक्त के पद पर नियुक्त किये गये तथा कार्य ग्रहण करने के दूसरे दिन ही आपने त्याग-पत्र दे दिया। आप विंध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस समिति की योजना समिति के मनोनीत संयोजक तथा प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति के सदस्य रहे। आपने स्वतंत्रता आन्दोलन से जुडे विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल में बन्दी भी रहे। लेखन में रूचि रखने वाले श्री सिंह के कई आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए।

श्री गोविन्द नारायण सिंह का निधन दिनांक 10 मई, 2005 को हो गया।

श्री पी. के. वासुदेवन नायर, पूर्व मुख्य मंत्री, केरल

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पी. के. वासुदेवन नायर का जन्म 2 मार्च, 1926 को केरल के कोट्टायम जिले के किंडगुर में हुआ। आपने केरल विश्वविद्यालय से बी.एससी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री वासुदेवन नायर वर्ष 1977 से 1982 तक केरल विधान सभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप वर्ष 1977 से 1978 तक राज्य के उद्योग मंत्री तत्पश्चात् श्री ए.के. एन्टोनी के त्याग-पत्र के बाद 20 अक्टूबर, 1978 से 7 अक्टूबर, 1979 तक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। आप दूसरी, तीसरी, चौथी तथा वर्तमान में चौदहवीं लोक सभा में केरल के त्रिवेन्द्रम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। वर्तमान लोक सभा में आप श्रम सम्बन्धी समिति के सभापति तथा सामान्य प्रयोजन सम्बन्धी समिति के सदस्य तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दल के नेता भी थे।

श्री नायर केरल पीपुल्स आर्ट क्लब के अध्यक्ष तथा वायलर राम वर्मा ट्रस्ट के सभापति रहे। अध्ययन में रूचि रखने वाले श्री नायर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रकाशन नवयुगम पालिटिकल वीकली के मुख्य सम्पादक रहे। राजनैतिक मुद्दों पर आपकी कई पुस्तिकायें भी प्रकाशित हुई हैं। श्री नायर यूनियन क्रिश्चियन कालेज, केरल छात्र संघ तथा अखिल भारतीय युवा संघ के अध्यक्ष भी रहे।

श्री पी. के. वासुदेवन नायर का दिनांक 12 जुलाई, 2005 को निधन हो गया।

श्री सुनील दत्त, पूर्व केन्द्रीय मंत्री

प्रख्यात फिल्म अभिनेता श्री सुनील दत्त का जन्म 6 जून, 1929 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के खुर्द गांव (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ। आपने बी.ए. (आनर्स) की उपाधि प्राप्त की।

श्री अध्यक्ष)

श्री सुनील दत्त वर्तमान लोक सभा में मुम्बई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद थे। आपने आठवीं, नौवीं, दसवीं और बारहवीं लोक सभा में भी इसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान केन्द्रीय सरकार में आप खेल और युवा मामलों के मंत्री थे। नौवीं लोक सभा के कार्यकाल में आप पंजाब विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्योजन) अधिनियम, 1987 के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति तथा वर्ष 1999-2000 में मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य रहे।

वर्ष 1947 में विभाजन के समय भारत आये श्री सुनील दत्त ने अपने अथक परिश्रम, धैर्य और दृढ़ संकल्प से अपने आपको हिन्दी फिल्म जगत में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में स्थापित किया। आपने लगभग 100 फिल्मों में अभिनय किया और आठ फिल्मों का निर्माण तथा छह फिल्मों का निर्देशन किया। वर्ष 1967 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुए अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म "यादें" के लिये आपको ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको मदर इण्डिया, खानदान, मुझे जीने दो, दर्द का रिश्ता सहित अनेक फिल्मों के लिये भी पुरस्कृत किया गया है।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सुनील दत्त ने फिल्मों के अलावा राजनीतिक और सामाजिक जीवन में किये गये उल्लेखनीय कार्यों से अपनी विशिष्ट पहचान बनायी। आप वर्ष 1981-92 में मुम्बई के शैरिफ रहे। धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों के समर्थक श्री दत्त ने कैंसर के उपचार तथा प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित लोगों की सहायतार्थ श्री दत्त ने शान्ति स्थापना के लिये अनेक पद-यात्राओं का नेतृत्व किया।

श्री सुनील दत्त को राष्ट्रीय अखण्डता और शाश्वत मूल्यों की सेवाओं के लिये महाराणा मेवाड़ फाउण्डेशन द्वारा "हाकिम खां सूरी पुरस्कार", वर्ष 1997 में राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सदभाव के लिये "मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार", वर्ष 1998 में शान्ति व सौहार्द की स्थापना तथा हिंसा व आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष के लिये "राजीव गांधी सदभावना पुरस्कार", फिल्म उद्योग की सेवाओं के लिये वर्ष 1999 में "लाइफटाइम अचीवमेन्ट अवार्ड" से सम्मानित किया गया। आपको शिरोमणि पुरस्कार, आर्डर आफ दी पीपुल्स, ग्रेट सन आफ दि सायल और राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी प्रदान किये गये।

श्री सुनील दत्त का दिनांक 25 मई, 2005 को निधन हो गया।

सऊदी अरब के शाह फहद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद

सऊदी अरब के शाह फहद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का जन्म वर्ष 1923

(श्री अध्यक्ष)

में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा रियाद स्थित शाही परिवार के लिये बनाये गये प्रिन्सेस स्कूल में हुई। तंत्पश्चात् आपने मक्का के धार्मिक ज्ञान संस्थान में वहाबि इस्लाम की शिक्षा प्राप्त की।

शाह फहद दिनांक 13 जून, 1982 को सउदी अरब के शाह पद पर आसीन हुए। शाह फहद ने वर्ष 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में सउदी अरब प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में भाग लिया। आप वर्ष 1953 में सउदी अरब के शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए। आपने वर्ष 1962 में आन्तरिक मामलात मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद का कार्यभार सम्भाला तथा पांच वर्ष पश्चात् आपको सउदी अरब का द्वितीय उप प्रधान मंत्री बनाया गया।

आप पेट्रोलियम उत्पादों में प्रमुख स्थान रखने वाले सउदी अरब की सर्वांगीण उन्नति के लिये सदैव प्रयासरत रहे। आपने सउदी अरब के अनेक प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व किया। शाह फहद वर्ष 1995 से गम्भीर रूप से बीमार थे तथा उनका कार्य उनके भाई अब्दुला देख रहे थे। शाह फहद के निधन से अन्तरराष्ट्रीय जगत को अपूरणीय क्षति हुई है।

शाह फहद बिन अब्दुल अजीज अल सउद का दिनांक 1 अगस्त, 2005 को निधन हो गया।

श्री हीरालाल, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री हीरालाल संहरिया का जन्म 2 अप्रैल, 1947 को बारां जिले की किशनगंज तहसील के ग्राम फल्दी रामपुरिया में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री हीरालाल सहरिया आठवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के लिये किशनगंज सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आपने आठवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में निर्दलीय तथा ग्यारहवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे।

आप वर्ष 1972 से 1980 तक राजकीय सेवा में रहे। श्री सहरिया वर्ष 1985 से 1990 तक संचालक मण्डल, सहरिया परियोजना, शाहाबाद, बारां वर्ष 1987 से 1990 तक राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ, जयपुर, वर्ष 1987 से 1988 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम, उदयपुर के सदस्य तथा पंचायत समिति, किशनगंज के सदस्य

रहे। आप जन जाति परामर्शदात्री समिति, सहरिया आदिवासी विकास समिति, बंधक श्रमिक समिति, न्यायिक अभियोजन समिति तथा लोक अदालत, बारां के सदस्य भी रहे। अनेक सामाजिक संगठनों से जुडे श्री सहरिया समाज के पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जन-जाति समुदायों के उत्थान तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिये प्रयत्नशील रहे।

श्री हीरालाल सहरिया का दिनांक 11 जुलाई, 2005 को निधन हो गया।

श्री हंसराम गुर्जर, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री हंसराम गुर्जर का जन्म 27 जुलाई, 1936 को करौली जिले के सुन्दरपुरा ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री हंसराम गुर्जर छठी तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिये करौली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप छठी विधान सभा में कांग्रेस के तथा दसवीं विधान सभा में निर्दलीय विधायक रहे। दसवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे।

श्री गुर्जर वर्ष 1961 से 1969 तक ग्राम पंचायत, रोडकलां के सरपंच, वर्ष 1972 से 1976 तक सेन्ट्रल का-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन तथा वर्ष 1980 से 1989 तक करौली पंचायत समिति के प्रधान रहे। आप वर्ष 1977 से 1980 तक जिला कांग्रेस कमेटी, सवाई माधोपुर के अध्यक्ष भी रहे।

श्री हंसराम गुर्जर का दिनांक 25 अगस्त, 2005 को निधन हो गया।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री ओमप्रकाश गुप्ता का जन्म 5 जून, 1940 को जयपुर जिले की विराट नगर तहसील के बीलवाड़ी ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.एससी., एल.एल.बी. तथा डिप्लोमा इन लेबर ला की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता नौवीं राजस्थान विधान सभा के लिये बैराठ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप 15 मार्च, 1990 से 14 सितम्बर, 1992 तक सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर आसीन रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आपने जून, 1991 में आइल आफ मान में आयोजित राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के सेमीनार में सी.पी.ए. राजस्थान शाखा का प्रतिनिधित्व किया।

श्री गुप्ता अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1970 से 1974 तक जयपुर नगर परिषद् के सदस्य रहे तथा इसी दौरान गृह कर समिति एवं जन स्वास्थ्य समिति के सभापति भी रहे। आप वर्ष 1974 में नगर विकास न्यास, जयपुर के सदस्य, 1972 से

197[illegible] तक बार [illegible] 1977 [illegible] विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य भी रहे। कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री तथा कोषाध्यक्ष रहे श्री गुप्ता 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य रहे। आप भारतीय जनता पार्टी, जयपुर देहात के महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष तथा अनेक शैक्षणिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता का दिनांक 16 जून, 2005 को निधन हो गया।

श्री चम्पालाल जैन, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री चम्पालाल जैन का जन्म 30 नवम्बर, 1931 को ब्यावर तहसील के शाहपुरा ग्राम में हुआ। आपने पांचवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री चम्पालाल जैन, नौवी राजस्थान विधान सभा में ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा वन, पर्यावरण, खादी एवं ग्रामोद्योग विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

श्री जैन बीस सूत्री कार्यक्रम समिति के संरक्षक तथा रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा में रूचि रखने वाले श्री जैन अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ के उपाध्यक्ष एवं अजमेर जिला कौमी एकता समिति के संयोजक रहे। आप गर्ल्स स्कूल सोसायटी के संरक्षक भी रहे। श्री चम्पालाल जैन का दिनांक 3 जुलाई, 2005 को निधन हो गया।

श्री नत्था सिंह, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री नत्था सिंह का जन्म अगस्त, 1928 में भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री नत्था सिंह, पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिये नदबई निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 1982 से 1988 तक राज्य सभा में राजस्थान से कांग्रेस के सांसद रहे।

श्री नत्था सिंह वर्ष 1966 से 1969 तक भरतपुर जिला समाज कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि तथा वर्ष 1971 से 1976 तक राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 1942 से 1945 तक भारतीय सेना में हवलदार भी रहे। श्री यादव वर्ष 1969

से जिला कांग्रेस कमेटी तथा वर्ष 1972 से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। इससे पूर्व आप 1951 से 1968 तक समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे। आपने किसान आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा तीन बार जेल यात्राएं भी कीं।

श्री नत्था सिंह का दिनांक 16 जुलाई, 2005 को निधन हो गया।

श्री मजलिस खां, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री मजलिस खां का जन्म 16 अक्टूबर, 1923 को भरतपुर जिले के सबलाना ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल तक अध्ययन किया तथा ग्राम विकास, कृषि एवं खाद निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

श्री मजलिस खां तीसरी तथा चौथी राजस्थान विधान सभा के लिये कामां निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

आप वर्ष 1948 से 1952 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा वर्ष 1962 में जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री मजलिस खां ने भरतपुर एवं अलवर क्षेत्र में आचार्य विनोबा भावे के साथ मेवों के पुनर्वास में सहयोग किया। आप वर्ष 1953 से 1959 तक ग्राम सेवक, 1960 से 1961 तक खादी निरीक्षक तथा एक वर्ष के लिये कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे।

श्री मजलिस खां का दिनांक 18 जून, 2005 को निधन हो गया।

श्री हजारीलाल शर्मा, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री हजारीलाल शर्मा का जन्म 10 मई, 1920 को झुन्झुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में हुआ। आपने एम.काम. की उपाधि प्राप्त की।

श्री हजारी लाल शर्मा, तीसरी तथा सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिये पिलानी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप तीसरी विधान सभा में निर्दलीय तथा सातवीं विधान सभा में जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति तथा वित्त, करारोपण, आबकारी, शिक्षा, भाषा और वक्फ विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्विजीशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स विधेयक, 1963 पर गठित प्रवर समिति के सदस्य भी रहे।

आपने सार्वजनिक जीवन में आप चिड़ावा नगरपालिका के अध्यक्ष रहे।

(श्री अध्यक्ष)

कामर्स के अध्यापक रहे श्री शर्मा शिक्षण संस्थाओं की सहायता के लिये सदैव तत्पर रहते थे। आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर हैण्डबुक भी प्रकाशित हुई। आपने अनेक खाड़ी देशों की यात्राएं कीं।

श्री हजारी लाल शर्मा का दिनांक 30 मई, 2005 को निधन हो गया।

श्री जोधसिंह चौहान, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री जोधसिंह चौहान का जन्म 25 जुलाई, 1920 को उदयपुर में हुआ। आपने सैकेण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री जोधसिंह चौहान, तीसरी राजस्थान विधान सभा के लिए गिरबा निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति के सदस्य रहे। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

नगर परिषद्, उदयपुर के सदस्य तथा मांहोली ग्राम पंचायत के उप सरपंच रहे श्री चौहान विद्या निकेतन और मीरा छाया मन्दिर विद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे।

श्री जोधसिंह चौहान का दिनांक 22 मई, 2005 को निधन हो गया।

श्री जयनारायण शर्मा, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री जयनारायण शर्मा का जन्म 10 जून, 1913 को हुआ। श्री जयनारायण शर्मा अजमेर विधान सभा के लिए पुष्कर से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। नवम्बर, 1956 में अजमेर के राजस्थान में विलय के फलस्वरूप अजमेर विधान सभा का राजस्थान विधान सभा में विलय होने से श्री जयनारायण शर्मा प्रथम राजस्थान विधान सभा के सदस्य बने। अपने क्षेत्र के लोगों में "जून बाबू" के नाम से लोकप्रिय श्री जयनारायण पुष्कर नगरपालिका के पार्षद् तथा उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री जयनारायण शर्मा का दिनांक 5 सितम्बर, 2005 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, व्यापारिक संघ के लोग जो एक शांतिप्रिय तरीके से आन्दोलन करने आये थे अपनी मांगों को लेकर, उनकी जिस तरीके से... (व्यवधान) सूचना दे रहे हैं कि वहां लाठीचार्ज हुआ, लोग जख्मी हुए पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 27 सितम्बर, 2005 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.08 बजे मंगलवार, 27 सितम्बर, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन ... [illegible] ... पर

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार तारांकित प्रश्न को अतारांकित माना जाकर एतदरूप में कार्यवाही वृतान्त में मुद्रित कराया गया)

राज्य में विद्युत उत्पादन/मांग/आपूर्ति

1. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्तमान में कितने मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है तथा वर्तमान में कितने मेगावाट बिजली की मांग है?

(2) क्या यह सही है कि बिजली की पर्याप्त अनुपलब्धता के बावजूद, सरकार द्वारा नए कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में स्वयं के स्रोतों (गैसीय, तापीय व जल साझेदारी परियोजनाओं एवं केन्द्रीय विद्युत गृहों) से आबंटन मिलाकर 5373 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसमें राज्य की उत्पादन क्षमता 2886 मेगावाट, साझेदारी परियोजनाओं की 973 मेगावाट एवं केन्द्रीय इकाईयों की क्षमता 1514 मेगावाट है तथा वर्तमान पीक डिमाण्ड लगभग 3900 मेगावाट है। वर्तमान में उपलब्धता डिमाण्ड के अनुरूप है। रबी फसल के दौरान पीक डिमाण्ड लगभग 4750 मेगावाट होने की सम्भावना है।

(2) जी नहीं। विद्युत उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

पाली जिले के डाक बंगले

2. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में कितने डाक बंगले हैं? उनमें से ऐसे कितने डाक बंगले हैं जहां कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार जिले के कुछ डाक बंगलों को बेचने व लीज

(श्री मदन राठौड़)

पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में 10 डाक बंगले हैं। सभी डाक बंगलों में कर्मचारी नियुक्त हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुपयोगी स्थावर सम्पत्तियों के निस्तारण एवं न्यून उपयोगी परिसम्पत्तियों को निजी निवेशकों के द्वारा संचालित करने सम्बन्धी निर्णय लिये जाने हेतु माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में चार मंत्रीगणों की उपसमिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही डाक बंगलों का निस्तारण किया जा सकेगा।

रामगढ़ ग्राम (पाली) की भूमि पर अतिक्रमण

3. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रामगढ़ ग्राम पंचायत बाबरा तहसील रायपुर जिला पाली की चारागाह भूमि पर अजमेर जिले के रहने वाले लोगों ने मकान, कुए और फार्म हाउस बना लिये? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने कितने बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया है और कितने कुए खुदे और कितने मकान बने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्रामवासियों द्वारा कई शिकायतें की गई? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई और इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन दोषी है? सरकार इन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं की सफलता हेतु कार्य योजना

4. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या महिला एव बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

'श्री रामनारायण मीणा'

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 से अब तक महिला एवं बाल विकास हेतु कितनी-कितनी राशि का बजट आबंटित किया गया, जिसमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित राशि से कम व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा महिला, बालक एवं बालिकाओं के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं तथा इस हेतु परियोजनाएं संचालित की जाती हैं? यदि हां, तो क्या तथा उनके सफल संचालन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं? कार्य एवं परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं, अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 से अब तक विभाग को प्राप्त बजट राशि तथा उसके विरूद्ध हुए वर्षवार व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) वर्षवार 2003-04 से अब तक मदवार बचत का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 6 एवं 10 पर अंकित है।

(3) जी हां। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के समग्र विकास के लिए राज्य के सभी 32 जिलों में 257 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 35821 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सन्दर्भ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों एवं माताओं के पोषण व स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहयोगिनी का चयन किया जा रहा है।

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा सशक्तिकरण हेतु सम्पूर्ण राज्य में महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह, स्वयंसिद्धा, सामूहिक विवाह अनुदान योजना, शिशु पालना गृह संचालन, जिला महिला सहायता समिति, राज्य महिला आयोग, साथिन कार्यक्रम, बालिका समृद्धि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के मध्य कार्यक्रमों में समन्वयन

स्थापित कर तथा नीति निर्धारण के उद्देश्य से राज्य की महिला नीति भी तैयार की गई है।

किशोरी बालिकाओं के लिए राज्य के 26 जिलों की 165 पंचायत समितियों में बालिकाओं के समग्र विकास के लिए किशोरी शक्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में अल्प वजन की किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु पोषाहार पाईलेट परियोजना चलाई जा रही है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

इन कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए ग्राम स्तर, खण्ड स्तर तथा जिला स्तर विभिन्न प्रकृति के कार्मिकों के नियोजन के साथ-साथ नियमित पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण तथा किये गये कार्यों की मासिक सूचना सम्प्रेषण की व्यवस्था स्थापित है। मासिक सूचनाओं के आधार पर पाई गई कमियों के निराकरण के लिए सम्बन्धित कार्मिकों को यथा समय दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की समीक्षा बैठकें आयोजित कर इन कार्यक्रमों का अपेक्षित लाभ जनसाधारण को पहुंचाने हेतु मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

(4) कार्यक्रम क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं के निराकरण हेतु समय-समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा कर निर्धारित नीति एवं मानदण्डों में परिवर्तन कर आवश्यक दिशा-निर्देश निचले स्तर तक प्रसारित किये जाते हैं। भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की रोकथाम के लिए समय-समय पर महालेखाकार, निरीक्षण विभाग तथा विभागीय अंकेक्षण दलों द्वारा लेखों की जांच तथा अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा का कार्य किया जाता है।

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण हेतु नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण विभागीय एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों तथा जनसाधारण से प्राप्त शिकायतों की जांच के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

कार्यक्रम संचालन में आ रही खामियों की पहचान के लिए समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन बाहरी एजेन्सियों के माध्यम से [illegible] ना तथा उनसे प्राप्त सुझावों का समावेश कार्यक्रम के सुधार हेतु किया जाता है

परिशिष्ट-1

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	2003-2004				2004-2005				2005-2006	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बचत (4-5)	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बचत (8-9)	बजट अनुमान	व्यय (8/05) तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पोषाहार कार्यक्रम											
1.	आई.सी.डी.एस. आयोजना भिन्न	90.06	96.91	97.83	-0.92	99.42	107.31	106.10	1.21	112.58	50.49
2.	आई.सी.डी.एस. सी.एस.एस.	14309.44	13753.92	11012.02	2741.90	12008.59	12571.16	11098.61	1472.55	14059.13	3450.14
3.	आई.सी.डी.एस. आयोजना	10907.70	12179.53	11946.52	233.01	12759.51	14251.52	13146.12	1105.40	23713.10	4250.47
	योग :-	**25307.20**	**26030.36**	**23056.37**	**2973.99**	**24867.52**	**26929.99**	**24350.83**	**2579.16**	**37884.81**	**7751.10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
महिला विकास कार्यक्रम											
1.	डब्ल्यू.डी.पी.- आयोजना भिन्न	162.96	192.81	190.84	1.97	213.93	164.12	163.21	0.91	196.02	73.36
2.	डब्ल्यू.डी.पी.- आयोजना	49.00	515.00	466.47	48.53	997.52	397.51	368.74	28.77	937.48	228.14
3.	डब्ल्यू.डी.पी.- सी.एस.एस.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	25.00	25.00	0.00	0.02	180.00
	योग :-	**211.98**	**707.81**	**657.31**	**50.50**	**1211.47**	**586.63**	**556.95**	**29.68**	**1133.52**	**481.50**
	योग:-	**25519.18**	**26738.17**	**23713.68**	**3024.49**	**26078.99**	**27516.62**	**24907.78**	**2608.84**	**39018.33**	**8232.60**

* राशि का मिलान महालेखाकार कार्यालय की पुस्तिकाओं से नहीं किया गया है।

* वित्तीय वर्ष 2005-06 जारी होने के कारण इस वित्तीय वर्ष के प्रावधानों एवं व्यय के विरूद्ध बचत नहीं दर्शायी गई है।

भारत सरकार द्वारा स्वयं सिद्धा योजना (सी.एस.एस.) हेतु राशि 180.00 लाख निर्मुक्त की गई है, जिसके व्यय की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

परिशिष्ट-2

1. <u>समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम</u>

राज्य में बच्चों के समग्र विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत 257 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। यह परियोजनाएं सभी 32 जिलों की 237 पंचायत समितियों एवं 20 शहरी क्षेत्रों में चल रही हैं। इनके अधीन 35821 आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आयु वर्ग 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा तथा पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों एवं माताओं के टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच तथा सन्दर्भ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

1) प्रतिदिन 35 लाख 82 हजार बच्चों एवं माताओं को पूरक पोषाहार वितरित करने का लक्ष्य नियत किया गया है।

2) प्रतिदिन 14 लाख 33 हजार बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3) सभी 1 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है।

4) बच्चों की देखभाल तथा उनको पोषक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए माताओं एवं अभिभावकों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है।

2. <u>महिला विकास कार्यक्रम</u>

महिलाओं के प्रति समाज में जनचेतना जाग्रत करने तथा उनके सामाजिक सशक्तीकरण के लिए राज्य के सभी 32 जिलों में साथिनों के माध्यम से जनजागरण का कार्य किया जा रहा है। यह साथिनें राज्य की 9 हजार 189 ग्राम पंचायतों पर स्वीकृत की गई हैं। इनमें से सात हजार 661 साथिनों का चयन किया जा चुका है। इनके द्वारा राज्य में महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

3. <u>स्वयं सहायता समूह</u>

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 10-12 महिलाओं का समूह गठित कर उनमें बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। 6 माह पुराने समूह को स्वरोजगार गतिविधियों का प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण राशि भी स्वीकृत कराई जाती है। राज्य में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण तथा उत्पादों के विपणन के लिए राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह संस्थान भी जयपुर में कार्य कर रहा है।

4. <u>स्वयं सिद्धा</u>

भारत सरकार द्वारा राज्य के 26 जिलों की 30 पंचायत समितियों में यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी गठित किये जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं में समन्वय का कार्य भी इस योजना के अन्तर्गत किया गया है।

5. <u>सामूहिक विवाह योजना</u>

समाज में सामूहिक विवाह को प्रवृत्त करने तथा विवाहों में अपव्यय को रोकने के लिए इस योजना के अन्तर्गत प्रति जोड़ा 5 हजार रु. की दर से अनुदान राशि दी जाती है। यह अनुदान आयोजक संस्था को जिला कलक्टर के माध्यम से दिया जाता है।

6. <u>शिशु पालना गृह संचालन</u>

ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की दैनिक देखभाल के उद्देश्य से राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 500 शिशु पालना गृह (क्रेच) प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

7. <u>जिला महिला सहायता समिति</u>

शोषित एवं उत्पीड़न महिलाओं के तात्कालिक प्रश्रय तथा सहायता हेतु जिला महिला सहायता समितियों का राज्य के प्रत्येक जिले में गठन किया गया है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित इन समितियों द्वारा ऐसी महिलाओं को विधिक एवं आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

8. <u>राज्य महिला आयोग</u>

राज्य में महिलाओं के हितों को संरक्षित करने तथा लैंगिक विभेद समाप्त करने की दृष्टि से राज्य महिला आयोग वर्ष 1999 से कार्य कर रहा है। इस आयोग को शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं द्वारा लिखित एवं व्यक्तिश: मौखिक शिकायत प्राप्त होने पर उन प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही के उद्देश्य से सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदत्त है।

9. <u>बालिका समृद्धि योजना</u>

भारत सरकार से संपोषित इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों में अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर माता को 500 रु. की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए कक्षा 1-10 तक राशि 300-1000 रु. तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। राशि का भुगतान बालिका के नाम से खोले गये खातें में किया जाता है। इस योंजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता तथा बालिका शिक्षा को सुनिश्चित करना है।

10. <u>किशारी शक्ति योजना</u>

किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं सृजन शक्ति में गुणात्मक सुधार हेतु इस योजना का राज्य के 26 जिलों की 165 पंचायत समितियों में केन्द्र सरकार के सहयोग से योजना का संचालन किया जा रहा है। पंचायत समिति क्षेत्र के 20 गांवों का चयन प्रतिवर्ष बारी-बारी से किया जाता है। इन गांवों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 2 किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का वितरण किया जाता है। प्रति पंचायत समिति प्रतिवर्ष 11-18 वर्ष की 600 बालिकाओं को वोकेशनल प्रशिक्षण, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, आईएफए गोलियों का वितरण तथा अन्य शिक्षा एवं सामाजिक चेतना से सम्बन्धित विषयों पर भी जानकारी दी जाती है।

11. <u>पोषाहार पायलेट परियोजना</u>

राज्य के डूंगरपुर एवं बांसवाडा जिलों में 35 किग्रा. से कम वजन वाली 10 वर्ष से अधिक एवं 19 वर्ष से कम आयु वाली किशोरी बालिकाओं को प्रतिमाह 6 किग्रा. खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण किया जाता है। खाद्यान्न का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से होता है। इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं में कुपोषण की रोकथाम कर, उनका शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करना है।

12. <u>सहयोगिनी</u>

राज्य में बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को उचित खान-पान एवं पोषण, टीकाकरण, देखभाल आदि के सम्बन्ध में परिवारों को परामर्श देने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहयोगिनी लगाई जा रही है। सहयोगिनी के रूप में कार्य करने वाली महिला प्रति दिवस परिवारों के घर आंगन में जाकर उनके स्वास्थ्य रक्षण के बारे में सभी प्रकार की उचित सलाह देगी एवं परिवारों के स्वास्थ्य रक्षण में अहम भूमिका अदा करेगी। राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना 2004-05 में 26,521 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहयोगिनियों को लगाये जाने का प्रावधान किया गया। इसी क्रम में शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष 2005-06 में 9300 सहयोगिनियों को लगाये जाने का प्रावधान किया गया।

सहयोगिनियों का चयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। सहयोगिनियों की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है। चयनित सहयोगिनियों को 500/- प्रतिमाह मानदेय दिया जावेगा। सहयोगिनियों का चयन कार्य काफी त्वरित गति से किया गया है। अब तक अगस्त, 2005 तक कुल 35,821 सहयोगिनियों के चयन लक्ष्य के विरूद्ध 22, 168 सहयोगिनियों का चयन किया जा चुका है। शेष सहयोगिनियों का चयन कार्य प्रक्रियाधीन है। शेष चयन कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सम्पन्न कर शत-प्रतिशत लक्ष्यों की उपलब्धि अर्जित करने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

बारां जिले में मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु व्यय राशि

5. **श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां के विभिन्न चिकित्सालयों में कितने-कितने मरीज गत 3 माह में मौसमी बीमारियों, कुपोषण के कारण भर्ती किये गये?

(2) उक्त कुपोषण एवं मौसमी बीमारियों के कारण भर्ती किये गये मरीजों में से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा मौसमी बीमारियों के लिए जिला बारां में क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई और कितनी राशि मौसमी बीमारियों के इलाज पर खर्च की गई, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां के विभिन्न चिकित्सालयों में गत 3 माह में मौसमी बीमारियों के कारण कुल 2250 मरीज भर्ती हुए। कुपोषण के कारण कोई भी मरीज जिले के किसी भी चिकित्सालय में भर्ती नहीं हुआ।

(2) मौसमी बीमारियों के कारण भर्ती किए गए उक्त 2250 मरीजों में से 5 रोगियों की मृत्यु हुई है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) बारां जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिए निम्न व्यवस्थाऐं की गई :-

जिला बारां में मानसून के आगमन से पूर्व 31 मई, 2005 से 31 जुलाई, 2005 तक सिन्थैटिक पायरेथ्राईड एवं डी.डी.टी. कीटनाशकों का छिडकाव करवाया गया एवं मलेरिया की प्रभावी रोकथाम के लिए 1.8.2005 से छिडकाव का दूसरा चक्र चलाया जा रहा है। अति संवेदनशील गांवों में अत्याधुनिक कीटनाशक अल्फासाइपरमेथ्रिन का छिड़काव करवाया जा रहा है।

माह जुलाई से ही भ्रमणशील दल (मोबाइल टीम) का गठन कर घर-घर विजिट अभियान चलाया गया। माह अगस्त में अन्य जिलों से भी 18 चिकित्सा दल मय चिकित्सा अधिकरी के बारां जिले में लगाए गए हैं। उक्त दलों द्वारा प्रत्येक गांव में घर-घर विजिट कर मौके पर ही रोगियों का उपचार किया जा रहा है। बुखार के रोगियों की ब्लड स्लाईड बनाकर तत्काल जांच कर, उनमें मलेरिया रोगी पाए जाने पर मौके पर ही तत्काल आमूल उपचार दिया जा रहा है।

दिनांक 4.9.2005 से जिले में 40 टीमें गठित कर प्रत्येक गांव में बीमारियों का घर-घर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करवाया। टीमों को आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराई गई। टीमों द्वारा प्रत्येक घर में उल्टी-दस्त, बुखार, निमोनिया, पीलिया इत्यादि रोगियों की खोज कर मौके पर ही आवश्यक उपचार दिया गया।

बुखार के रोगियों की रक्त पटिकाएं बनाई गईं। गम्भीर रोगियों को निकट के चिकित्सा केन्द्र पर ले जाया गया। गांवों में जल स्रोतों का शुद्धिकरण किया गया। अभियान का दूसरा चरण 12.9.2005 से प्रारम्भ किया गया जो अभी जारी है।

उक्त के अलावा अन्य जिलों से बारां जिले के संवेदनशील गांवों में लगभग 80 चिकित्साकर्मी (नर्स, एएनएम, एलटी, एमपीडब्ल्यू) लगाये गए हैं जो लगातार मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं त्वरित उपचार की कार्यवाही कर रहे हैं।

मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु पेयजल स्रोतों का जल शुद्धिकरण एवं

नमूनीकरण किया जा रहा है तथा जनसाधारण का प्रचार-प्रसार के माध्यम से रोगों के बचाव व उपचार हेतु स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है।

रोगों के त्वरित निदान एवं उपचार हेतु जल, मल/उल्टी एवं खून के नमूने जांच हेतु लिये जा रहे हैं।

समस्त चिकित्सा संस्थानों पर मलेरिया एवं मौसमी बीमारियों में आवश्यक औषधियां जैसे मलेरिया रोधी औषधियां, ओ.आर.एस. आई.वी. फ्लुइस, कीटनाशक एवं ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बारां जिले में मलेरिया एवं मौसमी बीमारियों की स्थिति का जायजा लेने राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही करवाई जा रही है।

उक्त व्यवस्थाओं एवं मौसमी बीमारियों के इलाज पर राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में अब तक राशि रुपये 31,50,000/- खर्च की जा चुकी है।

इन सभी गतिविधियों की लगातार नियमित रूप से मोनिटरिंग की जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

बारां जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में गत 3 माह में मौसमी बीमारियों के कारण भर्ती किए मरीजों में से हुई मृत्यु की सूचना

क्र. सं.	गांव	चिकित्सालय	मृतक/मृतका का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	जाति	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का सम्भावित कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कापडीखेड़ा	बारां चिकित्सा	सीमा/(बतूल)	भंवरलाल	12 वर्ष	सहरिया	29.8.2005	टाईफाईड	बुखार के कारण 8 दिन से बारां चिकित्सालय में भर्ती था। 29.8.2005 को दिन में 12 बजे मृत्यु हुई।
2.	मिसाइडांडा	बारां चिकित्सा	सीमा	लक्ष्मण	15 वर्ष	सहरिया	3.9.2005	कारडियो रेसपीरेटरी फलियोर	यह मरीज दिनांक 3.9.2005 को 12.45 बजे राजकीय चिकित्सालय बारां में अर्द्धबेहोश में भर्ती हुई थी इसकी खून जांच में मलेरिया नहीं पाया गया। इसको खून

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	मिसाइडांडा	बारां चिकित्सा	सीमा	लक्ष्मण	15 वर्ष	सहरिया	3.9.2005	कारडियो रेसपीरेटरी फिलियोर	की कमी नहीं थी। इसको [illegible] दर्द की शिकायत थी [illegible] बेहोश हो गई इसकी मृ[illegible] कारण कारडियो रे[illegible] फलियोर था।
3.	रिझड़ा	छबड़ा	अजय	रामगोपाल	3 माह	एयरवाल	29.8.2005	निमोनिया	छबड़ा चिकित्सालय में 29.8.2005 को 3 बजे भर्ती हुआ शिशु रोग विशेषज्ञ का [illegible] चला। रात्रि 10.30 बजे [illegible] हुई।
4.	नीमथूर	छबड़ा	जानकी बाई	बद्रीलाल	45 वर्ष	मीणा	28.8.2005	एनटरिक टोक्सीमिया	यह मरीज 28.8.2005 को [illegible] 5 बजे सीएचसी छब[illegible] में [illegible] हुई। बिडाल टेस्ट पा[illegible] पाया गया। मरीज की [illegible] एनटरिक टोक्सीमिया [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	दुगारी	अन्ता	पिंकी	नाथुलाल	5 वर्ष	रैगर	30.8.2005	वायरल बुखार	4-5 दिन से बुखार से पीडित थी 3 दिन गांव में ही आरएमपी से इलाज करवाया बाद में 30.8.2005 को अन्ता चिकित्सालय लेकर गये जहां उसका इलाज कनिष्ट विशेषज्ञ मेडिसिन द्वारा किया गया। खून व पेशाब की समस्त जांच हुई। इलाज के दौरान सायं 6.30 बजे बालिका की मृत्यु हो गयी।

जयपुर शहर हेतु प्रस्तावित रिंग रोड़

6. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर शहर में रिंग रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो स्वीकृति का विवरण मय प्लान के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा टोंक रोड से आगरा रोड एवं आगरा रोड से दिल्ली रोड तक रिंग रोड की लाइन तय कर ली गई है? यदि हां, तो कहां-कहां होकर लाइन तय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में तीन वर्ष में रिंग रोड एवं डवलपमेन्ट कोरीडोर बनाने की योजना प्रस्तावित है।

(2) रिंग रोड एवं डवलपमेन्ट कोरीडोर परियोजना की स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर एवं प्लान की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टोंक रोड से आगरा रोड की लाइन तय कर ली गई है। आगरा रोड से दिल्ली रोड तक प्रस्तावित चरण में अत्यधिक नदी, नाले एवं पहाडियां होने के कारण परियोजना की प्लानिंग का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की विस्तृत रूपरेखा तय होने के पश्चात् ही इस लाइन में आने वाले ग्रामों की सूचना उपलब्ध होना सम्भव हो सकेगा। टोंक रोड से आगरा रोड तक की तय की गई लाइन जहां-जहां से होकर तय की गई है उन ग्रामों की सूचना परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(प्रति/प्लान आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले में नवीन ग्रिड सब-स्टेशन

7. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे .-

क्या यह सही है कि सरकार नागौर जिले में 33 केवी, 132 केवी, 220 केवी व 400 केवी के विद्युत ग्रिड स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व किन-किन स्थानों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नागौर जिले में वर्ष 2004-05 से माह अगस्त, 2005 तक स्वीकृत 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त सब-स्टेशनों का निर्माण किया जा सकेगा। नागौर जिले में 220 के.वी. का एक ग्रिड सब-स्टेशन मकराना में तथा 132 के.वी. के तीन ग्रिड सब-स्टेशन हेसाबा, मेड़ता रोड एवं रूण में बनाया जाना स्वीकृत है। इन ग्रिड सब-स्टेशनों में से 220 के.वी. मकराना एवं 132 के.वी. हेसाबा ग्रिड सब-स्टेशन वर्ष 2005-06 में तथा मेड़ता रोड व रूण में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन वर्ष 2006-07 में पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं। इनके अतिरिक्त खींवसर में एक 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बरसिंगसर तापीय विद्युतगृह से विद्युत निस्तारण हेतु आवश्यक प्रसारण तंत्र की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

नागौर जिले में वर्ष 2005-06 माह अगस्त, 2005 तक स्वीकृत 33/11 केवी सब स्टेशनों की सूची

1. रूपपुरा
2. नरवा
3. ईशर नाबदा
4. पचौरी
5. हमीराना
6. अन्तरोलीकलां
7. करवासों की ढाणी
8. तौसर
9. बरली
10. रिको, नागौर
11. रिको, मेड़ता

लूणी विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु आबंटित राशि

8. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र लूणी को नाबार्ड व आर.यू.एम.पी. योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नाबार्ड व आर.यू.एम.पी. के अन्तर्गत एक विधान सभा क्षेत्र में कितनी कितनी राशि का आबंटन किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय वर्ष 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र लूणी में किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि सड़कों पर व्यय करना प्रस्तावित है?

(4) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र लूणी में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर.एम.यू.पी. योजना के अन्तर्गत 60.00 लाख राशि आबंटित की गई थी। जिसके विरूद्ध 51.45 लाख का व्यय किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नाबार्ड द्वारा पोषित आर.एम.यू.पी. योजना में सड़कों के डामरीकरण हेतु राशि का आबंटन विधान सभा क्षेत्रवार न होकर क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति एवं रिन्यूवल साईकल के अनुसार किया जाता है।

(3) वित्तीय वर्ष 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र लूणी में आर.एम.यू.पी. योजना प्रथम के तहत 28.24 लाख, डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. फेज द्वितीय योजना में 99.00 लाख तथा पी.एम.जी.एस.वाई. योजना में 363.10 लाख रु. व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। वर्ष 2004-05 में लूणी विधान सभा क्षेत्र में 11 स्वीकृत कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष 3 में से 2 कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 23.12.2005 है एवं एक कार्य की भूमि पर अतिक्रमण के कारण 600 मीटर डामर सडक का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार समय पर पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अनुबन्ध के अनुसार क्षतिपूर्ति वसूली करती है। विलम्ब से होने वाले 3 कार्यों पर कुल 2.68 लाख की अन्तरिम क्षतिपूर्ति वसूली गई है। विलम्ब से पूर्ण किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र लूणी में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर.एम.यू.पी.-1 योजना के अन्तर्गत आबंटित तथा व्यय राशि का विवरण

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत किलोमीटर	कार्य पर कुल व्यय (लाखों में)	टिप्पणी
आर.एम.यू.पी. प्रथम के कार्य					
1.	गूडा लूणी धून्धाड़ा कि.मी 4/0 से 14/0 एवं 19/500 से 22/500 आरएमयूपी प्रथम	36.40	13.00	29.88	कार्य पूर्ण
2.	बीसलपुर टांका से भटिण्डा कि.मी 5/0 से 12/0 आरएमयूपी प्रथम	23.60	7.00	21.57	कार्य पूर्ण
	योग	**60.00**	**20.00**	**51.45**	

वर्ष 2004-05 में विलम्ब से पूर्ण हुए कार्यों की सूची

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	देरी के लिए लगाई गई क्षतिपूर्ति	टिप्पणी
1.	जोधपुर सरदारशहर सडक कि.मी. 35 से सजाडा पी.एम.जी.एस.वाई पैकेज सं. आरजे-21/27	22.4.2005	28.4.05 समय विलम्ब (6 दिन)	पूर्ण	1.00 लाख (अन्तरिम)	

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	देरी के लिए लगाई गई क्षतिपूर्ति	टिप्पणी
2.	गूड़ा लूणी धून्धाड़ा कि.मी 4/0 से 14/0 एवं 19/500 से 22/500 आरएमयूपी प्रथम	3.5.2005	8.5.2005 समय विलम्ब (5 दिन)	पूर्ण	1.68 लाख (अन्तरिम)	क्रम संख्या 2 एवं 3 का कार्य एक अनुबन्ध के तहत है।
3.	बीसलपुर टांका से भटिण्डा कि.मी 5/0 से 12/0 आरएमयूपी प्रथम	3.5.2005	15.6.05 समय विलम्ब (1 माह 12 दिन)	पूर्ण		

जैसलमेर में होटल निर्माण हेतु आबंटित भू-खण्ड

9. **डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-**

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जैसलमेर शहर व इसके 15 किलोमीटर क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिये होटल निर्माण हेतु वर्ष 1980 से वर्ष 2004 तक रियायती दरों पर या खुली बोली में भूखण्ड आबंण्टित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि में किस-किस व्यक्ति/ फर्म को कौन -कौन से वर्ष में किन-किन शर्तों पर भूखण्ड आबंटित किये गये तथा इन भूखण्डों की निलामी से सरकार को कुल कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आबंटन की शर्तों के अनुसार कितने भूखण्डों पर होटल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व कितने भूखण्ड कब-कब से आज भी खाली हैं? खाली पड़े भूखण्डों का आज बाजार मूल्य क्या है? खाली पड़े हुये भूखण्डों की सूची आबंटी के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(डा. समरजीत सिंह)

(3) क्या यह सही है कि खाली पड़े भूखण्डधारियों को सरकार द्वारा कोई नोटिस दिया गया है? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जिन आबंटियों ने आबंटन की शर्तों को पूरा नहीं कर भूखण्डों को खाली रख रखा है, के आबंटन आदेशों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1989 से 2003 तक होटल/रिसोर्ट प्रयोजनार्थ 13 भूखण्डों का आबंटन किया गया। आबंटी एवं क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है। उक्त में से 12 भूखण्डों का आबंटन राज. भू-राजस्व (सिनेमा, पैट्रोल पम्प या चिकित्सा सुविधा स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आबंटन, परिवर्तन तथा नियमन) नियम, 1978 एवं एक भूखण्ड का आबंटन राज. भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन) नियम, 1959 में उल्लेखित शर्तों पर किया गया है। उक्त भूखण्डों के आबंटन से राज्य सरकार को 1.48 करोड़ रुपये की आय हुई। जिसका विवरण परिशिष्ट-ए पर है।

(2) आबंटन की शर्तों के अनुसार 5 आबंटित भूखण्डों पर होटलों का निर्माण पूर्ण कर उसे चालू कर दिया गया है व 7 भूखण्ड वक्त आबंटन से खाली है एवं 1 आबंटी के द्वारा अधूरा निर्माण करवाया गया है। उक्त भूखण्डों का मूल्य आज की डीएलसी दर से 2.55 करोड़ रुपये बनती है। खाली पड़े भूखण्डों की सूची आबंटी के नाम सहित परिशिष्ट-बी पर संलग्न है।

(3) जी हां। दिनांक 7.5.2005, 31.5.2005 एवं 26.6.2005 को राज्य सरकार द्वारा नोटिस दिये गये।

(4) जिन आबंटियों ने आबंटन शर्तों को पूरा नहीं कर भूखण्डों को खाली डाल रखा है, के आबंटन आदेश निरस्त करने सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार जो नोटिस दिये गये उन पर नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

जैसलमेर में होटल प्रयोजनार्थ आबंटित भू-खण्डों का विवरण

क्र. सं.	आबंटी का नाम	भू खण्ड सं.	साईज	आबंटन/ नीलामी की दिनांक	आबंटन/ निलामी	आबंटन/निलामी से प्राप्त आय (रुपयों में)				
						कीमत	किराया	विकास शुल्क	रुपया शुल्क	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					रिसोर्ट काम्पलेक्स बाडमेर रोड					
1.	मैं. आबेराय होटल्स लि.	01	19.40 एकड़	8.9.1994	आबंटन	485000.00	5490.00	850784.00	227747.00	1568721.00
2.	मै. वेलकम ग्रुप लि. (आई.टी.सी. होटल्स लि.)	03	18.30 एकड़	19.5.1993	आबंटन	457500.00	13994.00	797606.00	217508.00	148668.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	मै. इण्डियन होटल्स कं. (ताज ग्रुप) लि.	04	20.90 एकड़	1.5.1993	आबंटन	500000.00	18000.00	870000.00	217800.00	1605800.00
	होटल काम्पलेक्स जोधपुर रोड									
4.	मै. होटल गोडावन प्रा. लि. (होटल रजवाड़ा फोर्ट), जैसलमेर)	01	6.85 एकड़	7.12.1995	नीलामी	615000.00	59678.00	298386.00	0.00	973064.00
5.	मै. भगवती नव निर्माण प्रा. लि., बाड़मेर	02	6.95 एकड़	9.7.1993	आबंटन	278000.00	60552.00	302742.00	0.00	641294.00
6.	मै. मालानी होटल्स प्रा. लि. (होटल रावलकोट), जोधपुर	03	3.40 एकड़	26.11.1992	आबंटन	127500.00	29621.00	148104.00	0.00	305225.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	मै. पायल होटल्स एण्ड रिसोर्ट लि. जैसलमेर	04	3.35 एकड	15.3.1903		2550000.00	600.00	147126.00	0.00	2697726.00
8.	मै. मरूधरा होटल्स प्रा. लि.. जोधपुर	06	3.98 एकड	7.12.1995	आबंटन	285000.00	29447.00	148104.00	0.00	462551.00
9.	मै. कोंस कन्ट्री होटल्स लि, नई दिल्ली	07	8.50 एकड	20.3.1993	आबंटन	340000.00	74923.00	374616.00	0.00	789539.00
				होटल काम्पलेक्स सम रोड						
10.	मै. बी.जे. होटल लि. (गोरबंध पैलेस जैसलमेर होटल)	1 2 3	250x190 व.फु.	3.10.1989	नीलामी	1250000.00	39600.00	197500.00	0.00	1487100.00
			250x330 व.फु. 250x400 व.फु.		आबंटन / विस्तार	1153400.00	36500.00	182500.00	0.00	1372400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	मै. हेरीटेज इन प्रा. लि. (होटल हेरीटेज), जैसलमेर	4	200x830 व.फु.	13.8.1991	नीलामी	485000.00	31500.00	157500.00	0.00	674000.00
12.	मै. उमा होटल्स लि. (होटल रंगमहल), जैसलमेर	5	250x340 व.फु.	26.2.1992	नीलामी	282000.00	2000.00	120000.00	0.00	404000.00
13.	मै. केजरीवाल होटल्स प्रा. लि., जयपुर	6	250x790 व.फु.	20.11.1992	नीलामी	215000.00	1425.00	85000.00	0.00	301425.00

जिला कलक्टर
जैसलमेर

परिशिष्ट "बी"

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

जैसलमेर में होटल प्रयोजनार्थ आबंटित भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड सं.	साईज	आबंटन/नीलामी की दिनांक	आबंटन/ नीलामी	होटल निर्माण सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5	6	7
			रिसोर्ट काम्पलेक्स बाड़मेर रोड			
1.	मै. ओबेराय होटल्स लि.	01	19.40 एकड़	8.9.1994	आबंटन	भूखण्ड वक्त आबंटन से खाली है।
2.	मै. वेलकम ग्रुप लि. (आई.टी.सी. होटल्स लि.)	03	18.30 एकड़	19.5.1993	आबंटन	भूखण्ड वक्त आबंटन से खाली है।
3.	मै. इण्डियन होटल्स कं. (ताज ग्रुप) लि.	04	20.90 एकड़	1.5.1993	आबंटन	भूखण्ड वक्त आबंटन से खाली है।
			होटल काम्पलेक्स जोधपुर रोड			
4.	मै. भगवती नव निर्माण प्रा. लि. बाड़मेर	02	6.95 एकड़	9.7.1993	आबंटन	भूखण्ड वक्त आबंटन से खाली है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै. पायल होटल एण्ड रिसोर्ट लि. जैसलमेर	04	3.35 एकड	15.3.2003	नीलामी	भूखण्ड वक्त आबंटन से खाली है।
6.	मै. मरूधरा होटल्स प्रा. लि. जोधपुर	06	3.98 एकड	7.12.1995	आबंटन	भू खंण्ड वक्त आबंटन से खाली है। आबंटन की शर्तो की पालना नहीं करने से आबंटन निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध आबंटी के द्वारा राजस्व मण्डल में अपील की गई है जो कि विचाराधीन है।
7.	मै. कॉस कन्ट्री होटल्स लि. नई दिल्ली	07	8.50 एकड	20.3.1993	आबंटन	मौके पर अधूरा निर्माण है।
			होटल काम्पलेक्स सम रोड			
8.	मै. केजरीवाल होटल्स प्रा. लि. जयपुर	06	250x790 व.फु.	20.11.1992	नीलामी	भूखण्ड वक्त आबंटन से खाली है।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

बाली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम/ढाणियों का माडा योजनान्तर्गत विकास

10. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली की माडा चयनित ग्राम व ढ़ाणियों जो पेयजल संकट, अविद्युतीकरण, अपर्याप्त इलाज/उपचार आदिवासी बालिका शिक्षा व महिला विकास के पिछड़ेपन व अन्य विकास कार्यों से वंचित हैं? यदि हां, तो ऐसी ग्राम ढाणियों का वर्तमान जनसंख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम ढाणियों में पेयजल सुविधा, विद्युतीकरण, आदिवासियों के पर्याप्त इलाज/उपचार आदिवासी बालिका शिक्षा, महिला विकास व अन्य विकास कार्य माडा योजनान्तर्गत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बाली विधान सभा क्षेत्र की माडा चयनित सभी गांव विभिन्न पेयजल योजनाओं द्वारा लाभान्वित हैं।

चिकित्सा सुविधा के तहत 21 गांवों में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 उप केन्द्र एवं 2 एएनएम स्तर के केन्द्र कार्यरत हैं। माडा योजना एवं विधान सभा बाली का कोई ग्राम चिकित्सा सुविधा से वंचित नहीं है।

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 21 गांवों में से एक गांव अरडवा में महिला बाल विकास विभाग का आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित नहीं है।

माडा क्षेत्र में संलग्न सूची परिशिष्ट "ए" में अंकित गांव/ढाणियां वर्तमान में विद्युतीकृत नहीं हैं।

माडा क्षेत्र में 3 हायर सैकण्डरी स्कूल, 2 सैकण्डरी स्कूल, 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 47 प्राथमिक विद्यालय व 28 शिक्षा कर्मी विद्यालयों का संचालन कर रहा है।

(2) जी हां। सरकार माडा क्षेत्र की उक्त ग्राम/ढाणियों में पेयजल, विद्युतीकरण आदिवासियों के पर्याप्त इलाज/उपचार आदिवासी बालिका शिक्षा महिला विकास व अन्य विकास कार्य करवाने का विचार बजट की उपलब्धता की स्थिति में रखती है। वर्तमान में प्रस्तावित योजनाओं की सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	जनसंख्या के अनुसार	आवद्युतीकृत ढाणी	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	दूदनी	रघुनाथपुरा	142[illegible]	—	
2.	कोठार	कोठार	2625	इन्द्रा कोलोनी	
		वेलार	1163	—	
3.	लुन्दाडा	लुन्दाडा	2906	डुगरी जी की भागल	
		मालदर ढाणी	250	—	
4.	मालनू	मालनू	2493	—	
		हिरोला	264	—	
		लालपुरा		—	
5.	चामुन्डेरी	चामुन्डेरी	7946	बोरावली, भीलबस्ती	
6.	नाना	नाना	11754	कराडों की वाव भील बस्ती रेतिया भागल गोरधनपुरा, सरजूवाडी रमतानाडी, बराडिया	
7.	आमलिया	आमलिया	1362	वाजफली, रबारियों की ढाणी	
		कागदडा	1086	कागदडा झूपा	
		ठण्डीबेरी		—	
8.	भीमाना	भीमाना	7125	—	
9.	कोयलबाव	कोयलबाव	5091	भूरीघाटी कुरका पाटरीया ढाणी सिंगटा भाटा खादराफली भागला खूणा	
10.	कूरण	कूरण	2069	रूपण खेडा कूरण खादरा	
		कोलवाडा	724	कान्दारा नाल कोलवाला उपला व कोलवाडा निचला	

1	2	3	4	5	6
		खेतरली	1572	खेतरली खाडा उपली फली निचली फली	
11.	गोरिया	गोरिया	2245	—	
		कोरवा	756	कोरवा सम्पूर्ण	
12.	काकराडी	काकराडी	1023	थोईडी फली भील बस्ती	
		अरडवा	446	अरडवा कोटीया खादरा	
		साभरंवाडा	1139	रीणी खेत कुडालिया, सांकडा सांभरवाडा	
		दानवरली	757	—	

परिशिष्ट "ब"

पेयजल विभाग-माडा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल एवं वर्तमान सुविधा का विस्तार उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित योजनाएं प्रस्तावित हैं :-

1. ग्राम भीमाना की स्वच्छ पेयजल (परिवर्तित योजना हैण्डपम्प से पनघट) उपलब्ध कराने बाबत योजना राज्य सरकार द्वारा रु. 72.30 लाख की बजट मद ए.आर.जी. (डीडीजी) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य करवाना सम्भव होगा।

2. ग्राम लालपुरा एवं लून्दांडा को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय जल योजना अनुमानित लागत रु. 57.91 लाख कीं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बजट मद एआजी (डीडीजी) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। तकनीकी स्वीकृति पश्चात कार्य करवाना सम्भव होगा।

3. ग्राम खेतरली को स्वच्छ पेयजल (परिवर्तित योजना हैण्डपम्प से पनघट) उपलब्ध कराने बाबत योजना अनुमानित लागत रु. 53.58 लाख की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

4. ग्राम गोरिया की स्वच्छ पेयजल (परिवर्तित योजना हैण्डपम्प से पनघट) उपलब्ध कराने बाबत योजना अनुमानित लागत रु. 7.48 लाख की बजट मद माडा के अन्तर्गत

स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है। योजना के अन्तर्गत एक नलकूप का निर्माण करवाया जा चुका है एवं चालू करने हेतु विद्युत मांग पत्र का भुगतान किया जा चुका है। विद्युतीकरण पश्चात् योजना के अन्य कार्य पाइपलाइन लगाना, बिछाना व भूतल जलाशय का निर्माण कराना सम्भव होगा।

चिकित्सा विभाग ग्राम चामुण्डेरी (जनसंख्या) के वर्तमान उच्च स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा माडा क्षेत्र में निम्न स्थानों पर अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना प्रस्तावित है :-

1. हिरोला में मिनि आंगनबाड़ी केन्द्र,
2. लून्दाडा-मालदर ढाणी आंगनबाड़ी केन्द्र,
3. काकराडी में-अरडवा, आंगनबाड़ी केन्द्र,
4. कूरण में-कोलीवाडा, आंगनबाड़ी केन्द्र,
5. भीमाना में-

   1—सामतीफली, आंगनबाड़ी केन्द्र,

   2—तणी फली, आंगनबाड़ी केन्द्र,

   3—माडिया भीमाना आंगनबाड़ी केन्द्र,
6. कोयलबाव में

   1—चौपा की नाल, आंगनबाड़ी केन्द्र,

   2—चिगटा भाटा, आंगनबाड़ी केन्द्र,
7. आमलिया की ढाणी-नार्थो की फली आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करने माडा क्षेत्र की अविद्युतीकृत ढाणियों एवं गांवों में विद्युतीकरण हेतु विभागीय नार्मस के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्य करवाया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने कोलवाड़ा, कोरवा, हिरोला व कुरण गांव में नवीन प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता को चिह्नित किया है। इसी प्रकार विभाग ने ग्राम लून्दाडा में बालिका विद्यालय एवं मालनू में माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता जताई है।

जनजाति उपयोजना (उदयपुर) क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों की भर्ती में विशेष आरक्षण

11. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर सम्भाग में नर्स/कम्पाउण्डर के कितने पद स्वीकृत हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हुए व कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जनजाति उप योजना क्षेत्र में नर्स/कम्पाउण्डर के पद पर 45 प्रतिशत आरक्षण है? यदि हां, तो क्या सरकार आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर/ भर्ती में उक्त आरक्षण कोटा देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत, उदयपुर सम्भाग में नर्स/कम्पाउण्डर के कुल 773 पद एवं आयुर्वेद महाविद्यालय के अधीन 43 पद स्वीकृत हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) स्वीकृत पदों में से भरे हुए पदों व रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है। नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पद, नवीन नियुक्ति से भरने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। नवीन नियुक्ति के समय नियमानुसार आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाता है।

परिशिष्ट "क"

आयुर्वेद विभागान्तर्गत, उदयपुर सम्भाग में नर्स/कम्पाउण्डर के स्वीकृत व रिक्त पदों का जिलेवार विवरण-(स्थिति दिनांक 15.9.2005)

क्र. सं.	नाम जिला/संस्था	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
(अ) आयुर्वेद विभागान्तर्गत				
1.	उदयपुर	217	191	26
2.	राजसमन्द	114	78	36
3.	बांसवाडा	138	130	08
4.	डूंगरपुर	151	149	02
5.	चित्तौड़गढ़	153	108	45
	योग	**773**	**656**	**117**
(ब) आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के अधीन				
1.	आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर	11	10	01
2.	आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर	11	06	05
3.	"अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, उदयपुर	21	17	04
	योग	**43**	**33**	**10**

ब्यावर नगर परिषद में भू-नियमन सम्बन्धी लम्बित प्रकरण

12. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद्, ब्यावर में माह अगस्त, 2005 तक मानचित्र, पट्टे एवं भू-नियमन के कितने प्रकरण किन कारणों से लम्बित हैं? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों के निस्तारण में हुई देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, ब्यावर में माह अगस्त, 2005 तक मानचित्र, पट्टे एवं नियमन के लम्बित प्रकरणों की सूची लम्बित रहने के कारण स्पष्ट करते हुए "ध्वज-अ" पर संलग्न है। मानचित्र के कुल 396, पट्टे व नियमन के 219 प्रकरण अगस्त, 2005 तक लम्बित थे।

(2) इन प्रकरणों के निस्तारण में हुए विलम्ब के लिये उप नगर नियोजक, अजमेर, तहसीलदार ब्यावर, जिनके द्वारा प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही समय पर नहीं की गई के साथ-साथ नगर परिषद् ब्यावर के तत्कालीन समापति, कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य दोषी रहे हैं। इनमें से तत्कालीन सभापति श्री प्रमोद सांखला को विभागीय आदेश दिनांक 22.7.2004 के द्वारा निलम्बित किया गया था तथा प्रकरण वर्तमान में न्यायिक जांच हेतु विचाराधीन है। अन्य दोषियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शीघ्र उत्तरदायित्व निर्धारित कर, नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

13. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 के अन्त तक राज्य के कितने राजस्व गांवों को विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? अब तक कितने राजस्व गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है एवं कितने शेष हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के कितने राजस्व गांवों को इस वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है? अब तक कितने गांवों को विद्युत से जोड़ा जा चुका है एवं कितने शेष हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के शेष रहे राजस्व गांवों को कब तक पूर्णतया विद्युतीकृत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु राज्य मे 209 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित था।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार राज्य के कुल 41353 ग्राम हैं। इनमें से 38719 ग्राम माह मार्च, 2005 तक विद्युतीकृत हैं तथा 2634 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष है। राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के 4160 ऐसे विद्युतीकृत घोषित ग्राम, जिनमें एक भी कनेक्शन विद्यमान नहीं है, को अविद्युतीकृत घोषित किया है। इनको मिलाकर अब 2001 की जनगणनानुसार कुल 6794 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं।

(2) इस वर्ष टौंक जिले में 17 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। विद्युतीकरण के लक्ष्य जिलेवार ही निर्धारित किये जाते हैं।

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के 130 ग्रामों में से 114 ग्राम विद्युतीकृत हैं एवं 16 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं।

(3) शेष रहे ग्रामों को वर्ष 2007 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

विधायक अनुशंसा पर सड़क निर्माण

14. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार पंचायत मुख्यालयों को सड़कों द्वारा तहसील मुख्यालयों, न्यायालयों, मण्डियों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधायकों की अभिशंसा पर उनके क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने किलोमीटर व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सड़कों के छोटे-छोटे गैप जिनको जोड़ने से आरपार की सड़कें बन जाती हैं, के जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार रावतसर, नोहर भादरा विधान सभा क्षेत्रों से गुजरने वाली रावतसर-हिसार रोड को ग्रेफ से लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार चूरू से नोहर सड़क को चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत मुख्यालयों को तहसील मुख्यालयों, न्यायालयों, मण्डियों के आपस में सड़क से जोड़ने का कार्य राज्य के उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। सड़कों के नये निर्माण राज्य के उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर है। संसाधन उपलब्ध होने पर विधायकों की अभिशंसा पर भी विचार किया जायेगा।

(3) जी नहीं। सड़कों के छोटे-छोटे गेपों को जोड़ने का कार्य राज्य के उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकता पर निर्भर हैं।

(4) जी नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस सड़क को सेना के वाहनों के उपयोग में लेने के लिए ग्रेफ की मांग के अनुसार स्थानान्तरित किया गया है। अत: इसकी देखभाल/मरम्मत ग्रेफ द्वारा की जानी है।

(5) इस सड़क को चौड़ा करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में राजस्व अभियानों में भू-नियमन

15. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में राजस्व रिकार्ड P-14 के अनुसार अभियानों में नियमन की श्रेणी में आने वाली भूमि व कुए. आवास किस-किस पंचायत में किन किन व्यक्तियों को नियमन किये गये? सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(2) पी-14 के अभिलेख में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनकी भूमि नियमन योग्य होने के बावजूद भी नियमित नहीं की गई? ऐसे कितने काश्तकार नियमन से वंचित रहे? क्या सरकार इन काश्तकारों की भूमि भी नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील सहाड़ा में 65 व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ 19 व्यक्तियों के कुएं तथा आवास का एक प्रकरण नियमन योग्य होने से नियमन किए गए। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ") एवं तहसील रायपुर में 14 व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ 33 व्यक्तियों के कुएं नियमन योग्य होने से नियमन किए गए। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(2) ऐसा कोई काश्तकार नहीं है, जिनकी भूमि नियमन योग्य होने के बावजूद भी नियमित नहीं की गयी।

परिशिष्ट अ

भूमि नियमन सम्बन्धी सूचना तहसील सहाड़ा मुकाम गंगापुर

नान्दशा

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम खातेदार	नाम ग्राम	आ. न.	रकबा
1	2	3	4	5	6
1.	नान्दशा	माग/रामा पि. जग्ग बलाई	नान्दशा	2990	0.54 है.
2.	"	मियाचन्द, देवीलाल पि. गिरधारी गाडरी	"	2991 90	0.24 है.
		आमली			
1.	आमली	शिवशम्भू पि. पन्ना	आमली	783	0.26 है.
2.	"	जीत पि. पन्नासरगरा	"	783	0.26 है.
3.	"	भैरूलाल पि. केशकुम्हार	"	2628	0.10 है.
4.	"	संग्रामसिंह पि. शंकरसिंह	"	1693	0.21 है.
		सूरावास			
1.	सूरावास	उदा पि. कगरधारी रैगर	सूरावास	617	0.28 है.
2.	"	छोगा पि. रता कुम्हार	"	623	0.10 है.
3.	"	मदन पि. मागू चमार	मण्डपिया	431 432	0.10 है.
4.	"	भंवरगिरि पि. तुलसीगिर	सूरावास	1804 1805	0.64 है. 0.34 है.
5.	"	रामप्रसाद पि. बालराम	"	623	0.09 है.
6.	"	नारायण पि. रामलाल	"	617	0.21 है.
7.	"	नन्दा पि. नारू भील	"	153	0.13 है.
8.	"	श्यामसिंह पि. शोभागसिंह	"	623	0.40 है.

1	2	3	4	5	6
		गणेशपुरा			
1.	गणेशपुरा	रामलाल पि देवाकालबेलिया	लख मणियास	897/ 1923	0.25 हैं.
2		हेमा पि. हरलाल "	श्रीरामनगर	913	0.20 हैं.
3.		सोहनलाल पि. देवा "	लख मणियास	897/ 1923	0.20 हैं.
4.		जान पि. रंगलाल "		"	0.20 हैं.
5.		भूरा पि. भूरा खटीक	श्रीरामनगर	923 924	0.59 हैं.
		चीडखेड़			
1.	चीडखेड़ा	रामलाल चिमनालाल पि. भैरू भील अड़सीपुरा	अड़सीपुरा	2213 2219	0.27 हैं. 0.16 हैं.
2.	"	पीपि, पीलदानि बोरियापुरा	"	2220	0.42 हैं.
3.	"	रतन पि. भैरू गूजर		4	1.24 हैं.
4.	"	बरदा पि. किसनी गाडरी	"	2287 2292	0.31 हैं. 0.15 हैं.
5.	"	रामलाल पि. भैरू भील	"	2059	0.15 हैं.
6.	"	मांगीलाल पि. रामलाल जाट	"	714	0.12 हैं.
7.	"	नारायण पि. उदा गाडरी	"	2220	0.68 हैं.
8.	"	सोहनलाल पि. मांगू गाडरी	"	1881/ 3935	0.26 हैं.
		भूणास			
1.	भूणास	कैलाशचन्द पि. नन्दा कुम्हार	भूणास	1126	0.60 हैं.
2.	"	हीरालाल पि. कालू गाडरी रामदेवनगर	भूणास	2138	0.15 हैं.
3.	"	मोहन पि. कालू गाडरी	"	2138	0.45 हैं.

1	2	3	4	5	6
4.	"	मांगीलाल पि. कजोड़ ब्रा.	मेघरास	1263 1265/ 1343	0.25 है. 0.25 है.
5.	"	डालचन्द पि. नन्दा कुम्हार	भूणास	1220	0.35 है.
6.	"	भूरा पि. उदा सुथार	"	1124/ 3143	0.13 है.
7.	"	भंवरकंवर बेवा पुष्पेन्द्र सिंह	"	1334	0.23 है.
		नेगडियाखेड़ा			
1.	नेगडिया खेड़ा	किशन गोकुल पि. नारू, बेणा पि. रता भील	अर्जुनपुरा	97 98 112	0.27 है. 0.22 है. 0.52 है.
2.	"	हरलाल पिता उदा सुथार	"	63/ 416	0.13 है.
3.	"	डालू पि. श्रीकिशन सुथार	"	62/ 415	0.15 है.
4.	"	शम्भू पि. सोहन सुथार	"	60/413	0.17 है.
5.	"	रामचन्द्र पि. श्रीकिशन	"	62/415	0.15 है.
6.	"	नारायण, छगन पि. बिहारी सुथार	"	61/414	0.14 है.
7.	"	भंवरलाल, देवीलाल, माधो पि. हीरा सुथार	"	60/413	0.18 है.
8.	"	भंवर पि. पेमा बन्जारा	फूकिया	1032	0.43 है.
9.	"	शम्भू पि. पेमा	"	1029	0.35 है.
10.	"	श्रीमती कमला पत्नि भंवर भारती	"	1032	0.43 है.
11.	"	पेमा पि. गंगाराम	"	1031	0.43 है.
12.	"	जीतू पि. जोधा भील	"	1032	0.43 है.

1	2	3	4	5	6
13.	"	अम्बालाल पि. माग नायक	"	1032	0.22 है.
14.	"	श्रीमती पुष्पाप ति भैरू	"	1032	0.22 है.
15.	"	श्रीमती लक्ष्मीपत्नि रत्न नायक	"	1032	0.22 है.
16.	"	श्री नानूदास पि. बालूदास	"	1032	0.20 है.
		शिवरति			
1.	शिवरति	श्री रामचन्द्र, सत्यनारायण लादूलाल, कन्हैयालाल पि बंशीलाल, श्रीमति सन्तोष पत्नि भीमराज नायक	कालाढ़ढा	655	0.45 है.
2.	"	रामलाल पि. काल गाडरी	"	981	0.20 है.
3.	"	शंकरलाल, धन्ना, भोजराज पि. घीसू गुर्जर	"	147	0.34 है.
4.	"	रतनसिंह पि. बाघसिंह	"	668	0.20 है.
5.	"	रतनसिंह पि. रेवतसिंह	"	669	0.47 है.
6.	"	नाहरसिंह, चावडसिंह पि. मोतीसिंह	"	1130 1132 1133	0.43 है. 0.43 है. 0.40 है.
7.	"	रतन पि. केला गाडरी	शिवरति	1167	0.43 है.
8.	"	नारायण पि. देवा	"	339	0.60 है.
9.	"	चादी पत्नि देवा गाडरी	"	339	0.60 है.
10.	"	मदनलाल पि. मौहन बैरवा	"	2150	0.58 है.
11.	"	नेहरू पि. भूरा गाडरी	"	587	0.43 है.
12.	"	खूमा पि. मोती भील, प्यार पत्नि खमा भील	"	587	0.43 है.
13.	"	श्रीमती नन्दू पत्नि भैरू	"	587	0.43 है.

1	2	3	4	5	6
14.	"	श्रीमती हंजा पि. भूरा गाडरी	"	587	0.43
15.	"	श्री जगरूपनाथ पि. उदय नाथ शिवरति	"	806/ 2826	0.35

आवासीय नियमन तहसील सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम खातेदार	नाम ग्राम	आ. न.	रकबा
1.	सातलियास	श्री लहरूलाल पिता हेमराज शर्मा निवासी सातलियास	सातलियास	1059 /1	0.08

तहसीलदार सहाड़ा
मुकाम गंगापुर

गैर मुश्तकिल अ.चा. नियमन तहसील सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम आबंटी	नाम ग्राम	आ.न.	रकबा	गे.मु.आ.
1	2	3	4	5	6	7
1.	उल्लाई	देवीलाल पि. रामा, डालू पि. रामा, हेमा पि. राम, बरदीचन्द, प्यारा पि चम्पालाल, शंकरलाल शान्तिलाल पि. सुखा लाल जाट	उल्लाई	1808	0.01	"
2.	"	नानालाल पि. सीताराम टेलर	"	2765	0.01	"
3.	कागणी	नानू पि. परसा चमार	गुमानपुरा	197	0.01	"

1	2	3	4	5	6	7
4.	सूरावास	भैरूलाल पि. किशना	सूरावास	23	0.01	"
5.	नान्दशा	मांगीलाल, गजानन्द पि. भैरूलाल नाई	नान्दशा	417	0.01	"
6.	गोवलिया	नानू पि. नारू, गोरधन पि. डालू, रामकिशन पि. मियाचन्द लोहार	गोवलिया	561	0.01	"
7.	खाखला	अम्बालाल पि. भैरा जाट	खाखला	3348	0.02	"
8.	"	भैरू, बद्री, पि. धन्ना, रतना पि. माधू, सोजी बेवा माधू, चन्द्री बेवा धन्ना जाट	खाखला	3348	0.01	"
9.	उम्मेदपुरा	कस्तूर, पन्नालाल पि. सूरजमल/ 1/3, के सुखलाल पि. गोकल 1/3, लालूराम गोपाल पि. नानूराम कुमावत	उम्मेदपुरा	1315	0.01	"
10.	"	बरदा पि. परत पि. गोपी पि. भीमा, हरलाल पि. नन्दा कुमावत	"	1313	0.01	"
11.	डेलाणा	भेरी बेबा मोहन, नानूराम पि. किशना, ऊकार, गंगाराम पि. डालू बाडरी	कालीमगरी काखेड़ा	618	0.01	"

1	2	3	4	5	6	7
12.	"	धन्ना पि. जीतमल जाट	डेलाणा	944	0.01	-
13.	काशीथल	लहरूवास, घीसूदास पि. छोगादास बेरागीनिगलवा	कोशीथल	4587	0.01	"
14.	"	नन्दा पि. मेघाप्यारी बेवा बगतावरनायक	"	6945/ 6224	0.01	"
15.	सालेरा	भगवतीलाल पि. मांगीलाल ब्राह्मण नि. गिरड़िया	गिरड़िया	1336/ 1574	0.01	"
16.	माझावास	भैरूलाल पि. किशनलाल, रामचन्द्र पि. किशनलाल जाट नि. माझावास	माझावास	1058	0.01	ट्यूबवेल
17.	"	भैरूलाल पि. दयाराम जाट माझावास	"	1797	0.01	"
18.	सातलियास	रामेश्वरलाल पि. गणेश ब्राह्मण	सातलियास	881	0.5	गं.मु.आ.
19.	चीडखेड़ा	मांगीलाल पि. किशना जाट अड़सीपुरा	अड़सीपुरा	2720/ 1729	0.02	"

तहसीलदार सहाड़ा
मुकाम गंगापुर

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाड़ा

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि नियमन सूची तहसील क्षेत्र रायपुर

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	निवासी/पता	नाम पंचायत	नाम ग्राम	आ. नं.	रकबा (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	
1.	कुन्दनसिंह पिता पदमसिंह राजपूत	लड़की	पीथाकाखेड़ा	ढिकाणी	1	1.30
2.	डालूनाथ पिता भुवानानाथ	जीति	"	लड़की	757	1.08
3.	नेनू पिता देवा बलाई	पीथाखेड़ा	"	पीथाखेड़ा	153	0.33
4.	श्रीमति दरू पत्नि भैरू लुहार	लगाखेड़ा	सगरेब	सगरेब	4322 4323	0.74 0.43
5.	[illegible] पिता भोलीदास साधु	राणास	आशाहोली	राणास	431	0.30
6.	[illegible] पिता कजोड़ कुम्हार	मौखमपुरा	थलां	मौखमपुरा	10	0.27
7.	सुवालाल पिता गणेश खटीक	गाडरीखेड़ा	"	गाडरीखेड़ा	672/274	0.41

1	2	3	4	5	6	7
8.	मांगीलाल पिता नोला लखारा	थलां	"	थलां	1547	0.06
9.	भगवान पिता डालचन्द कुमावत	थलां	"	"	1311/1मि	0.86
10.	लहरू पिता नीला कुमावत	खूटियाखेड़ा	नाराणखेड़ा	खूटियाखेड़ा	388 298	0.54 9.21
11.	भूरा पिता गंगाराम कुमावत	खूटियाखेड़ा	"	"	189	0.88
12.	भंवर पिता पोखर कुमावत	"	"	"	390	0.45
13.	भूरा पिता गंगाराम बलाई	चारोट	खेमाणा	चारोट	370	1.30
14.	केसू पिता मोडा जाट	आंबाखेड़ा	नारायणखेड़ा	आंबाखेड़ा	700	1.50

तहसीलदार रायपुर
जिला भीलवाडा

कार्यालय तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाड़ा

कुआ नियमन सूची तहसील क्षेत्र रायपुर

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	निवासी/पता	नाम पंचायत	नाम ग्राम	आ. नं.	रकबा (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	लेहरू पिता डालू वगैरह कुमावत	रूपाखेड़ा	भींटा	रूपाखेड़ा	941	0.03
2.	रेवत, मोहन, दोला पिता हेमा कुमावत वगैरह	"	"	"	941	0.03
3.	रामचन्द्र पिता रूपा सुथार नि. बाबलास	बाबलास तह. माण्डल	बोरियापुरा	रेवाड़ा	369	0.03
4.	रामचन्द्र/कालू जाट वगैरह	बोरियापुरा	"	बोरियापुरा	1	0.03
5.	श्यामलाल-मोहनलाल पिता गिरधारी ब्राह्मण	रेवाड़ा	"	रेवाड़ा	31	0.01
[illegible]	भंवर लाल पिता गोपी जाट वगैरह	बोरियापुरा	"	बोरियापुरा	836/1	0.01
7.	रेतब पिता रायमल गुजर	वाडियाखुर्द	नान्दशा	वाडियाखुर्द	796	0.02
8.	पन्ना, लोभा, पोखर पिता प्रताप वगैरह	"	"	"	428	0.02

1	2	3	4	5	6	7
9.	नारायण पिता हुक्मा वगैरह	परबती	"	परबती	299	0.01
10.	राजेशकुमार पिता ओमप्रकाश ब्राह्मण वगैरह	"	"	"	136	0.02
11.	बालू पिता हरू वगैरह	दियास	"	दियास	313	0.03
12.	मांगीलाल पिता लक्ष्मीलाल शर्मा	नान्दशा	"	नान्दशा	2866	0.02
13.	करणीदान पिता गोपालदान चारण	छातोल	कोट	छातोल	7	0.05
14.	मदनसिंह, अर्जुनसिंह पिता शम्भूसिंह वगैरह	देवरिया	देवरिया	देवरिया	499	0.05
15.	श्रीमती देऊ, कमला पत्नि भैरू लुहार	नयाखेड़ा	सगरेब	सगरेब	4324	0.03
16.	नगजीराम पिता हजारी गुर्जर	थोरियाखेड़ा	भींटा	थोरियाखेड़ा	441	0.02
17.	भैरू पिता छोगा सुथार वगैरह	नाबरिया	कोट	छातोल	102	0.03
18.	नन्दा पिता छोगा कलाल वगैरह	आसपुर	नाथडियास	आसपुर	262	0.03
19.	नारू पिता मांगू गाडरी	"	"	"	218	0.03
20.	मूला पिता लालू गाडरी वगैरह	आशाहोली	आशाहोली	आशाहोली	236	0.03
21.	सुख लाल पिता ज्वारमल जाट	आम्बाखेड़ा	नारायणखेड़ा	आम्बाखोड़ा	621	0.0[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
22.	बंशीलाल जगदीशचन्द्र, शांतिलाल पिता भैरूलाल ब्राह्मण	पनोतिया	नाथड्यिास	पनोतिया	784	0.03
23.	मांगू पिता जवारा जाट	दुल्हेपुरा	नाहरी	नाहरी	2761	0.03
24.	रामलाल पिता डालू कुमावत	सुरास	बागोलिया	सुरास	769	0.02
25.	देवा पिता जोधा कुमायत	बागोलिया	"	बागोलिया	1748	0.01
26.	जयराम, भगवान, दीपचन्द पिता किशना तेली	देवरिया	देवरिया	देवरिया	1760	0.01
27.	मांगीलाल, पन्नालाल, राजूलाल, सोहनलाल पिता हीरा गुजर	गोविन्दपुरा	गलवा	लाटियाखेडी	327	0.03
28.	रामेश्वरलाल पिता नारायण ब्राह्मण	आसपुर	नाथड़ियास	आसपुर	857	0.03
29.	भैरू पिता रूपा कुमावत वगैरह	बागोलिया	बागोलिया	अर्जुनगढ़	300	0.03
30.	पन्ना पिता खेमा बलाई वगैरह	झडोल	झडोल	झडोल	1363	0.03
31.	सोहनलाल, लेहरूलाल, मांगीलाल भंवरलाल गाडरी	रायपुर	रायपुर	रायपुर	711	0.03
32.	आसु पिता लेहरू वगैरह जाट	मेरनियाखेड़ा	कोट	मेरनियाखेड़ा	104	0.03
33.	[illegible]लू पिता द्दा गुजर	बागड़काखेड़ा	बागड़	बागड़	303	0.03

तहसीलदार रायपुर

तारानगर (चूरू) नगरपालिका क्षेत्र में चयनित बी.पी.एल. परिवार

16. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र तारानगर (तहसील तारानगर, जिला चूरू) में बी.पी.एल. सर्वे का कार्य पूर्ण कर नये सर्वे की सूची प्रकाशित कर दी गई है? यदि हां, तो तारानगर नगरपालिका क्षेत्र में कितने नये बी.पी.एल. परिवारों को सूची में शामिल किया गया तथा कितने परिवारों को पूर्व सूची से हटाया गया?

(2) क्या बी.पी.एल. सूची में जोड़े गये नये परिवारों को बी.पी.एल. की सुविधाओं का लाभ देना प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका क्षेत्र तारानगर की बी.पी.एल. सर्वे 2003 का कार्य पूर्ण कर, सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। इस पालिका क्षेत्र में वर्ष 2003 में हुए बी.पी.एल. सर्वे में 2457 बी.पी.एल. परिवार सूची में शामिल किये गये हैं। इनमें से 986 परिवार वर्ष 1998 में चयनित सूची के एवं 1471 परिवार नए शामिल हुए हैं तथा वर्ष 1998 में चयनित 417 परिवारों के नाम इस 2003 की बी.पी.एल. सूची से हटाये गये हैं।

(2) जी हां। बी.पी.एल. सूची में चयनित परिवारों के 1071 राशन कार्ड व 168 मेडिकल कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा दिनांक 1.4.2005 से गरीबी उन्मूलन की सभी योजनाओं में इन चयनित परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

राज्य में जहरीली/अवैध शराब की रोकथाम हेतु कार्य-योजना

17. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 अगस्त, 2005 तक जहरीली व अवैध शराब से किस-किस स्थान पर कितने-कितने लोगों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जहरीली एवं अवैध शराब से हुई दुखान्तिकाओं एवं शराब के अवैध कारोबार को रोक पाने में असक्षम रहे अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जहरीली व अवैध शराब से होने वाली दुखान्तिकाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

[illegible] में दिनांक 1.1.2004 से 31.8.2005 तक जहरीली व अवैध शराब पान से जिन स्थानों पर व्यक्तियों की मृत्यु हुई, उनका विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) दिनांक 1.1.2004 से 31.8.2005 तक जहरीली एवं अवैध शराब से हुई दुखान्तिकाओं एवं शराब के अवैध कारोबार के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) शराब दुखान्तिकाओं को रोकने हेतु आबकारी विभाग के आबकारी एवं आबकारी निरोधक दल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सावधान कर तुरन्त अवैध शराब की बिक्री करने वालों की धरपकड़ करने व रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये। राज्य में तत्काल ही आबकारी एवं पुलिस विभाग के द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय इत्यादि में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध धरपकड़ हेतु विशेष आबकारी धावे आयोजित किये गये और नाकाबन्दी, चैकिंग एवं गश्त बढ़ा दी गई।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	आबकारी जिला	दिनांक	मृतकों की संख्या
1.	गांव कवलियावास जिला भीलवाड़ा	6.5.2004	7
2.	वृत्त भिवाड़ी जिला अलवर	8.9.2004	17
3.	सांगानेर जिला जयपुर	21.1.2005	3
4.	भंवरगढ़ एवं खेडलीगंज, जिला बारां	1.4.2005	4
5.	इन्द्रा कालोनी, जलमहल जयपुर	27.4.2005	1
6.	कोलायत, नोखा बीकानेर	23.7.2005	28
7.	गांव लिखमीसर, जिला चूरू	24.7.2005	[illegible]
8.	गांव उज्जलवास, जिला हनुमानगढ़	25.7.2005	[illegible]
9.	नागौर	3.8.200[illegible]	[illegible]
10.	अलवर	30.8.2005	2

परिशिष्ट "ख"

दिनांक 1.1.2004 से 31.8.2005 तक की अवधि में जहरीली एवं अवैध शराब से हुई दुखान्तिकाओं के लिए विभाग के उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी, जिनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

1. दिनांक 6.5.2004 को ग्राम कंवलियास जिला भीलवाड़ा में हुई शराब दु:खान्तिका के सम्बन्ध में सम्भागी आयुक्त, अजमेर द्वारा जांच की गई, जिसकी तथ्यात्मक टिप्पणी राज्य सरकार को प्रेषित की गई। सम्बन्धित श्री हरनाथ सिंह तथा श्री त्रिलोकी पालीवाल, प्रहराधिकारी के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही हैं।

2. दिनांक 8.9.2004 को अलवर जिले के भिवाड़ी ग्राम में हुई शराब दु:खान्तिका के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र जोशी, आबकारी निरीक्षक के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हैं।

3. दिनांक 21.1.2005 को सांगानेर जिला जयपुर में हुई शराब दु:खान्तिका के लिए जिम्मेदार श्री के. के. तिवाड़ी, आबकारी निरीक्षक एवं श्री सत्यप्रकाश शर्मा, प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन हैं एवं सम्बन्धित को आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र जारी किये गये हैं।

4. दिनांक 21.7.2005 को बीकानेर में हुई शराब दुखान्तिका के लिए जिम्मेदार श्री हजियाराम राठौड़, आबकारी निरीक्षक एवं श्री भंवर सिंह, प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत निलम्बित किया जाकर विभागीय जांच विचाराधीन हैं।

5. श्री हिरेन्द्र सिंह चौधरी, जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26.7.2005 द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है एवं उप पुलिस अधीक्षक, आबकारी निरोधक दल को भी आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है।

सीकर जिले के उप-खण्डों का पुनर्सीमांकन

18. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़, सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग में उपखण्ड सृजित करने के क्या मानदण्ड है एवं क्या सरकार द्वारा इस हेतु कोई नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में कितने उप-खण्ड हैं एवं उनके अधीन कौन-कौनसा क्षेत्र है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला सीकर के उप-खण्ड लक्ष्मणगढ़ के अधीन मात्र एक ही नगरपालिका क्षेत्र समाहित है? यदि हां, तो क्यों एवं क्या सरकार सभी उप-खण्डों के अधीन बराबर क्षेत्र रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार तहसीलवार अथवा विधान सभा क्षेत्रवार अथवा जनसंख्या के आधार पर विभागीय उप-खण्डों को पुनर्सीमांकित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड सृजित करने के लिए कोई अलग से मानदण्ड अथवा नियम नहीं बना रखें है। उपखण्डों का सृजन खण्डीय कार्यालय के साथ किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा खण्डीय कार्यालय के सृजित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है।

(2) जिला सीकर में 13 उपखण्ड कार्यालय कार्यरत हैं। इनमें से 10 उपखण्ड कार्यालय नियमित कार्य सम्पादित करते हैं एवं एक उपखण्ड राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कार्यों को देखता है एवं दो उपखण्ड कार्यालय गुण एवं नियन्त्रण के कार्यों को देखते हैं। सीकर जिले में कार्यरत उपखण्ड कार्यालय की सूची एवं उनके कार्य विभाजन परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। उपखण्ड लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ का कार्य देखता है तथा लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका का क्षेत्र आता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जी नहीं। उपखण्ड के कार्य का विभाजन कार्यभार (वर्क लोड) आधार पर किया जाता है।

(4) जी नहीं। उपखण्ड के कार्य का विभाजन वर्कलोड के आधार पर किया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	अधीनस्थ क्षेत्र का नाम
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड द्वितीय, सीकर	पंचायत समिति, पीपराली
2.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, लक्ष्मणगढ़	पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, फतेहपुर	पंचायत समिति, फतेहपुर
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, धोद	पंचायत समिति, धोद
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, प्रथम सीकर	नगर परिषद् सीमा, सीकर
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, दांतारामगढ़	पंचायत समिति, दांतारामगढ़
7.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, नीमकाथाना	पंचायत समिति, नीमकाथाना
8.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, अजीतगढ़	पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर
9.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, खण्डेला	पंचायत समिति, खण्डेला
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, श्रीमाधोपुर	पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर
11.	सार्वजनिक निर्माण विभाग गुण नियन्त्रण उपखण्ड, सीकर	पंचायत समिति, पीपराली, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, धोद, सीकर एवं दांतारामगढ़
12.	सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, गुण नियन्त्रण उपखण्ड, नीमकाथाना	पंचायम समिति, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर एवं पंचायत समिति खण्डेला
13.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपखण्ड, सीकर	राष्ट्रीय उच्च मार्ग का कार्य देखते हैं।

जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निजीकरण

19. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा), श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) एवं श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था निजी कम्पनियों को दी गई है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में किन-किन को व कब से किन-किन शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निजी सफाई कम्पनियों ने टेण्डर में वर्णित कार्यक्षेत्र (वार्ड) में निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया? यदि नहीं. तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा सफाई के लिए निजी कम्पनियों को दिये गये वार्डों में से कुछ वार्ड वापिस ले लिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) निजी कम्पनियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के बाद क्या निजी कम्पनी के कार्यक्षेत्र में निगम द्वारा भी अपने साधनों द्वारा सफाई व्यवस्था यथा; कचरा परिवहन व सीवर लाइन का कार्य अपने साधनों से कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस वार्ड में कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार को निजी कम्पनियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्राप्त शिकायतों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम जयपुर द्वारा जिन क्षेत्रों/जोनों में शहर की सफाई व्यवस्था निजी कम्पनियों को दी गई है, उन जोनों/क्षेत्रों के नाम, कम्पनी/ऐजेन्सी के नाम तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि निम्नानुसार है, एवं कार्य की शर्ते परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है :-

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

जोन/क्षेत्र का नाम	कम्पनी/ऐजेन्सी का नाम	कार्य प्रारम्भ दिनांक व क्षेत्र (वार्ड)
हवामहल जोन (पूर्व) (रोड स्वीपिंग व छोटी नालियों की सफाई को छोड़कर अन्य सफाई सम्बन्धी सभी कार्य)	मै. ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेन्ट सैल, मुम्बई	15.8.2005 से वार्ड सं. 44, 45, 46, 47, 48 व 49 21.8.2005 से वार्ड सं. 50, 51, 52, 55, 56, 57 इस प्रकार कुल 12 वार्ड
हवामहल जोन (पश्चिम) (रोड स्वीपिंग व छोटी नालियों की सफाई को छोड़कर अन्य सफाई सम्बन्धी सभी कार्य)	मै. के.के. कैरियर मुम्बई	18.7.2005 से वार्ड सं. 39, 40, 41, 42, 43, 53, 54, 58, 59, 60 व 61 में।
मोतीडूंगरी जोन (रोड स्वीपिंग व छोटी नालियों की सफाई को छोड़कर अन्य सफाई सम्बन्धी सभी कार्य)	मै. एक्मे एन्टरप्राइजेज, जयपुर	1.7.2005 से वार्ड सं. 18 व 26 7.7.2005 से वार्ड सं. 31, 32, 33, 34 व 35 18.8.2005 से वार्ड सं. 27 व 30 28.8.2005 से वार्ड सं. 28 व 29
प्रताप नगर (सांगानेर जोन) (रोड स्वीपिंग व छोटी नालियों की सफाई को छोड़कर अन्य सफाई सम्बन्धी सभी कार्य)	मै. प्रहरी सिक्यूरिटीज एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेज प्रा. लि. कपूरथला, पंजाब	14.6.2005 से वार्ड सं. 22 व 23 का भाग में स्थिति हाउसिंग बोर्ड कालोनी के सैक्टर सं. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11

(2) कार्य आरम्भ की जोनवार स्थिति निम्नानुसार है :-

जोन हवामहल पूर्व : दिनांक 1.8.2005 तक कार्य प्रारम्भ करना था परन्तु 6 वार्डों में 15.8.2005 से तथा 6 वार्डों में 21.8.2005 से कार्य प्रारम्भ किया गया। कम्पनी द्वारा बाम्बे में भारी बारिश के कारण

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

संसाधन आने में देरी के कारण समयावधि बढ़ाने हेतु निवेदन किया, जिसे उचित मानते हुए स्वीकार किया गया।

जोन हवामहल पश्चिम : दिनांक 1.8.2005 तक कार्य प्रारम्भ करना था। कम्पनी ने दिनांक 18.7.2005 से कार्य प्रारम्भ किया। इस प्रकार कोई विलम्ब नहीं हुआ।

मोती डूंगरी जोन : दिनांक 7.7.2005 तक कार्य प्रारम्भ करना था। कम्पनी ने दिनांक 7.7.2005 तक वार्ड सं. 18, 26, 31, 32, 33, 34 एवं 35 में कार्य आरम्भ कर दिया। वार्ड सं. 27 व 30 में दिनांक 18.8.2005 से तथा वार्ड 28 एवं 29 में दिनांक 28.8.2005 से कार्य आरम्भ किया। इनमें से वार्ड 18, 26 व 34 में कम्पनी द्वारा कार्य को फिलहाल स्थगित किया गया है। कुछ वार्डों में कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने व स्थगित करने का कारण कम्पनी के पास जोन के सभी वार्डों हेतु साधनों को निगम द्वारा पर्याप्त नहीं माना गया।

प्रताप नगर (सांगानेर जोन) : दिनांक 26.4.2005 तक कार्य आरम्भ करना था। कम्पनी द्वारा दिनांक 14.6.2005 से पूर्ण रूप से कार्य आरम्भ किया गया। कम्पनी द्वारा साधन (काम्पेक्टर) आने में विलम्ब के कारण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ किया।

(3) जोन हवामहल (पूर्व एवं पश्चिम) तथा प्रताप नगर (सांगानेर जोन) में कम्पनियों को दिये गये वार्डों में से कोई वार्ड वापिस नहीं लिये गये अपितु मोती डूंगरी जोन में वार्ड सं. 18, 26 व 34 में निम्नांकित कारणों से कम्पनियों द्वारा कार्य को फिलहाल केवल स्थगित किया गया है :-

1. निगम सफाई कर्मियों का विरोध
2. निजी सफाई वृत्त कर्मियों (Customary Private Sweepers) का विरोध
3. कम्पनी के पास उपलब्ध साधनों का बिखराव कम कर जितने वार्डो हेतु साधन पर्याप्त माने गये, उतने ही वार्डो में काम सीमित रखने के उद्देश्य से।

(4) जोन हवामहल (पूर्व) व प्रताप नगर (सांगानेर जोन) में नगर निगम के

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

साधानों द्वारा कचरा परिवहन नहीं किया गया। मोती डूंगरी जोन में थोड़े समय के लिए आंशिक रूप से नगर निगम के साधन भेजे गये, जिनका विवरण क्रमश: परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। नगर निगम द्वारा भेजे गये संसाधनों की राशि की नियमानुसार कटौती कम्पनियों को देय भुगतान में से की जायेगी। मोती डूंगरी, हवामहल (पूर्व) व पश्चिम जोन में कम्पनीज को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। हवामहल जोन पश्चिम में दिनांक 18.7.2005 से 30.7.2005 तक नये ठेकेदार के पूरे साधन नहीं आने के कारण 13 दिन पुराने ठेकेदार के साधन भी लगाये गये थे। उक्त अवधि की राशि की नियमानुसार कटौती की जायेगी।

अनुबन्ध की शर्त, सैक्शन 3 के क्लाज 2.2.3 (डी.एफ.) के अनुसार जेटिंग मशीने, नगर निगम द्वारा कम्पनीज को किराये पर दी गई हैं, जिनका किराया भुगतान में से वसूल किया जायेगा।

(5) निजी कम्पनीज के विरूद्ध हवामहल जोन पूर्व में 2 शिकायतें, हवामहल जोन पश्चिम में 2 शिकायतें, मोतीडूंगरी जोन में 11 शिकायतें प्राप्त हुयी हैं तथा प्रताप नगर (सांगानेर जोन) में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। प्राप्त शिकायतें परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। इन प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में यथा आवश्यक समय-समय पर कम्पनीज को नोटिस दिये गये हैं तथा मौखिक निर्देश भी दिये गये हैं। साथ ही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नियमानुसार भुगतान में से कटौती भी की जायेगी। कुछ शिकायतें, डोर-टू-डोर कलेक्शन से सम्बन्धित है, जिसमें जनता द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है तथा कचरा संग्रहणकर्ताओं को बहुत कम मकानों से कचरा दिया जा रहा है।

(शर्तें आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर महिला अभ्यर्थियों से पंजीयन शुल्क की वसूली

20. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कृषि भूमि के हस्तान्तरण में स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 50 प्रतिशत किया गया था? यदि हां, तो कब व किस आदेश द्वारा? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कृषि भूमि हस्तान्तरण पर सामान्यजन से कितने प्रतिशत

(श्री रामचन्द्र सराधना)

स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है और महिलाओं से कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि महिलाओं से 50 प्रतिशत से अधिक स्टाम्प ड्यूटी वसूली जा रही है यदि हां, तो किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार महिलाओं से 50 प्रतिशत से अधिक ली गई स्टाम्प ड्यूटी को वापस उन महिलाओं को लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम 1952 की द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 23 में वर्णित कन्वेंस की दर 11 प्रतिशत को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचना दिनांक 14.1.2004 द्वारा महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क को 50 प्रतिशत घटाया गया था। अर्थात् उक्त आर्टिकल 23 में विद्यमान 11 प्रतिशत की दर को 50 प्रतिशत घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया था। अधिसूचना दिनांक 14.1.2004 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में कृषि भूमि हस्तान्तरण पर सामान्य जन से 8 प्रतिशत एवं महिलाओं से 5.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है।

(3) जी नहीं। महिलाओं से द्वितीय अनुसूचि के आर्टिकल 23 में वर्णित दर से 50 प्रतिशत से अधिक स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जा रही है।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 12.7.2004 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 31.3.2005) के द्वारा जिन दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क 11 प्रतिशत लगता था, उसे राज. स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत घटाकर 8 प्रतिशत दिनांक 31.3.2006 तक कर दिया गया है। चूंकि महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर 11 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय नहीं होता है अपितु 5.5 प्रतिशत देय होता है इसलिए अधिसूचना दिनांक 12.7.2004 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 31.3.2005) इन पर लागू नहीं होती है।

(4) जी नहीं। भाग संख्या 3 में दिये गये प्रत्युत्तर के अनुसार महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि के निष्पादित हस्तान्तरण-पत्रों में अधिक स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली गई है। अत: ऐसी कोई राशि लौटाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 14.1.2004

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम संख्या 7) द्वारा राजस्थान के लिए यथानुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित लिखतों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य शुल्कों को घटाकर निम्नानुसार करती है :-

(1) द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 10 के तहत कम्पनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क 0.5 प्रतिशत से घटाया जाकर अधिकतम सीमा 2 लाख के अधीन 0.2 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

(2) द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 23 के तहत महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क 50 प्रतिशत घटाकर प्रभारित किया जायेगा।

(3) द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 55(बी) के तहत रिलीज डीड के अन्य मामलों पर देय स्टाम्प शुल्क 11 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[सं. प. 2 (11) वित्त/कर/2003-110]

राज्यपाल के आदेश से,

एस. के. मित्तल

उप शासन सचिव

जोधपुर नगर सुधार न्यास में भू-रूपान्तरण के चालान योग्य लम्बित प्रकरण

21. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा अवैध आबंटन/भू-रूपान्तरण के कितने प्रकरण पिछले चार वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये? इनमें से कितने प्रकरणों में जांच पूरी की जा चुकी है और कितनों में लम्बित है? सरकार द्वारा लम्बित जांच कब तक पूरी कर दी जावेगी?

(2) जिन प्रकरणों में जांच पूरी हो चुकी है उनमें से कितनों में न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके हैं और कितने चालान किन कारणों से पेश नहीं किए गए?

(3) क्या यह सही है कि किसी प्रकरण में जांच में दोषी पाये जाने के उपरान्त भी चालान पेश नहीं हुए? यदि हां, तो ऐसे प्रकरणों की कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा अवैध आबंटन/भू-रूपान्तरण के सम्बन्ध में अनियमितता करने के आरोपों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पिछले चार वर्षों में (वर्ष 2001 से 9/2005 तक) कुल 9 प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें से 6 प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है और 3 प्रकरण अनुसंधानाधीन है। लम्बित प्रकरणों का अनुसंधान त्वरित गति पर है।

(2) किसी भी प्रकरण में चालान पेश नहीं है। कारणों का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा अवैध आबंटन/भू-रूपान्तरण के पिछले चार वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	अपराध संख्या/ दिनांक	विरूद्ध	किन कारणों से चालान पेश नहीं
1	2	3	4
1.	90/2002 20.3.2002	1. श्री पी.सी. सिंघवी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवानिवृत्त 2. श्री सोहन लाल महेश्वरी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवा निवृत्त, बीकानेर 3. श्री सुरेश चन्द छगाणी, लेखाकार हाल सहायक लेखाधिकारी, लिफ्ट केनाल, पीएचईडी 4. श्री रेशमा राम, क. अभियन्ता 5. श्री वासुदेव, क. लि. 6. श्री महेश व्यास, व. लि. 7. श्री दाउलाल माथुर, क. लि. 8. श्री नरेश माथुर, लिपिक, कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ, नगर सुधार न्यास, जोधपुर	अन्वेषणाधीन

1	2	3	4
2.	91/2002 20.3.2002	1. श्री पी.सी. सिंघवी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवानिवृत्त 2. श्री सोहन लाल महेश्वरी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवा निवृत्त, 3. श्री चतुर्भुज राठी, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त 4. श्री अशोक गिरी, क.लि. कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ 5. श्री वासुदेव, क.लि., नगर सुधार न्यास, जोधपुर 6. श्रीमती रोशन पत्नि अब्दुल रसीद निवासी सिलावटों का बास, जोधपुर (आम मुख्तारनामिक)	क्र. सं. 1, 2, 3 व श्री दाउलाल माथुर व.लि. व श्री जगदीशसिंह लाभार्थी के विरूद्ध चालान निर्णय दिनांक 8.1.2003 को लिया जा चुका है। आरोपीगण सेवानिवृत्त होने के कारण अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। चालान शीघ्र न्यायालय में पेश किया जायेगा।
3.	92/2002 20.3.2002	1. श्री पी. सी. सिंघवी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवानिवृत्त 2. श्री सोहन लाल महेश्वरी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवानिवृत्त 3. श्री रतन लाल विश्नोई आरएएस 4. श्री चतुर्भुज राठी, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त 5. श्री रेशमा राम, क. अभियन्ता, यू.आईटी, श्रीगंगानगर 6. श्री घनश्याम पंवार, क. अभियन्ता 7. श्री रूपाराम निरीक्षक 8. श्री दाउलाल माथुर, क. लि. हाल सेवानिवृत्त	क्र. सं. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12 एवं श्री नाथुसिंह, तत्कालीन अतिक्रमण रोक निरीक्षक, लाभार्थी गोरधन सिंह के विरूद्ध चालान का निर्णय दिनांक 9.7.2003 को लिया जा चुका है। श्री घनश्याम पंवार क. लि., श्री रूपाराम, सहायक अतिक्रमण निरीक्षक एवं श्री नाथुसिंह, अतिक्रमण रोक निरीक्षक के विरूद्ध जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष यूआईटी जोधपुर

1	2	3	4
3.	92/2002 20.3.2002	9. श्री महेश व्यास, व. लि. 10. श्री वासुदेव क. लि. यूआईटी जोधपुर 11. श्री रामनाथ वकील 12. श्री मंगलाराम रेल्वे कर्मचारी, लाभार्थी	से अभियोजन स्वीकृति दिनांक 1.6.2005 को निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त नहीं होने के कारण निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।
4.	93/2002 20.3.2002	1. श्री पी. सी. सिंघवी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवानिवृत्त 2. श्री बाघसिंह राव, तत्कालीन सचिव, 3. श्री हिम्मतसिंह गहलोत, क. अभियन्ता 4. श्री चतुर्भुज राठी, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त 5. श्री राजेन्द्र सोनी, क. अभियन्ता 6. श्री तेजसिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी 7. श्री अनिल माथुर, क. लि. 8. श्री रघु माथुर, क. लि. 9. श्री वासुदेव, क. लि. 10. श्री रामकरण खोजा, वकील 11. श्री पुखराज पुत्र भुराराम लाभार्थी	क्र. सं. 1, 2, 4, 10, 11 एवं श्रीमती सुरजा बाई के विरुद्ध चालान का निर्णय दिनांक 23.9.2003 को लिया जा चुका है। आरोपीगण सेवानिवृत्त होने के कारण अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में शीघ्र ही चालान पेश किया जावेगा।

1	2	3	4
5.	94/2002 20.3.2002	1. श्री पी. सी. सिंघवी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवानिवृत्त 2. श्री सोहन लाल महेश्वरी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवा निवृत्त, बीकानेर 3. श्री उगमराम रत्नू, भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर सुधार न्यास, जोधपुर हाल एसडीएम 4. श्री पी. सी. माथुर, सहायक नगर नियोजक हाल सेवानिवृत्त 5. श्री सुरेश छंगाणी, हाल सहायक लेखाधिकारी, लिफ्ट केनाल, पीएचईडी 6. श्री चतुर्भुज राठी, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त 7. श्री महेशचन्द शर्मा, हाल एसडीएम, जयपुर 8. श्री राजेन्द्र सोनी, क. अभियन्ता 9. श्री अशोक गिरी, क. लि. कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ, नगर सुधार न्यास, जोधपुर 10. श्री वासुदेव क. लि. यूआईटी, जोधपुर 11. श्री श्रवण कुमार ओझा एडवोकेट 12. श्री रामनारायण चौधरी पुत्र करणाराम लाभार्थी	क्र. सं. 1, 2, 6 एवं श्री नरसिंहलाल लाभार्थी के विरूद्ध चालान का निर्णय दिनांक 4.5.2005 को लिया गया है। आरोपीगण सेवानिवृत्त होने के कारण अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में शीघ्र ही चालान पेश किया जावेगा।

1	2	3	4
6.	95/2002 20.3.2002	1. श्री पी. सी. सिंघवी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवानिवृत्त 2. श्री तेजसिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी 3. श्री उगमराम रत्नू, भूमि अवाप्ति अधिकारी 4. श्री रेशमा राम, क. अभियन्ता 5. श्री बजरंगसिंह, व. लि. 6. श्री नरेश माथुर, क. लि. 7. श्री रघुनाथ, क. लि. 8. श्री अशोक गिरी, क. लि. 9. श्री वासुदेव, क. लि. 10. श्री दाउलाल माथुर, क. लि. हाल सेवानिवृत्त 11. श्री चतुर्भुज राठी, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त 12. श्री बसन्त किशोर पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा, लाभार्थी	क्र. सं. 1, 4, 6, 10, 11, 12 एवं श्री सोहन लाल माहेश्वरी, लाभार्थी श्री विक्रम सिंह, श्री कैलाश गुर्जर, प्रोपर्टी डीलर श्री नरपतसिंह एवं श्री राजेन्द्र शर्मा के विरूद्ध चालान का निर्णय दिनांक 10.1.2003 को लिया जा चुका है। जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, यूआईटी, जोधपुर से श्री रेशमाराम, क. अभियन्ता व श्री नरेश माथुर, क. अभियन्ता के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दिनांक 1.6.2005 को अपूर्ण प्राप्त हुई है। संशोधित अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।
7.	96/2002 20.3.2002	1. श्री सोहन लाल माहेश्वरी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवानिवृत्त, बीकानेर 2. श्री चतुर्भुज राठी, सहायक लेखाधिकारी, सेवानिवृत्त 3. श्री हिम्मत सिंह, क. अभियन्ता 4. श्री वासुदेव, क. लि.	क्र. सं. 1, 2, 5 एवं प्रोपर्टी डीलर श्री गोरधनसिंह एवं श्रीमती मुमताज के विरूद्ध चालान का निर्णय दिनांक 10.1.2003 को लिया जा चुका है। जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, यूआईटी, जोधपुर से श्री घनश्याम

1	2	3	4
7.	96/2002 20.3.2002	5. श्री घनश्याम शर्मा क. लि.	शर्मा, क. लि. के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दिनांक 1.6.2005 को अपूर्ण प्राप्त हुई है। पुनः संशोधित अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।
8.	97/2002 20.3.2002	1. श्री सोहन लाल माहेश्वरी, तत्कालीन सचिव, हाल सेवानिवृत्त, बीकानेर 2. श्री अर्जुन सिंह, कार्यालय अधीक्षक सेवानिवृत्त 3. श्री चतुर्भुज राठी, सहायक लेखाधिकारी, सेवानिवृत्त 4. श्री महेश व्यास, क. लि. 5. श्री दाऊलाल माथुर, व. लि. सेवानिवृत्त 6. श्री सीताराम, क. लि. यूआईटी, जोधपुर	अन्वेषणाधीन
9.	24/2004 3.2.2004	1. श्री सोहन लाल महेश्वरी, तत्कालीन सचिव, यूआईटी, जोधपुर 2. श्री दाऊलाल माथुर, प्रभारी आबंटन अधिकारी 3. श्री नाथूसिंह, अतिक्रमण रोक निरीक्षक 4. श्री सुनील राय, सहायक विधि परामर्श 5. श्री रेशमा राम, तत्का. कनिष्ठ अभियन्ता 6. श्री रामलाल, निवासी जोधपुर	अन्वेषणाधीन

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

1. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 के पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कुछ वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु श्री यतीन्द्र सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त कमेटी की रिपोर्ट में राज्य/सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों के वेतनमानों की विसंगतियों को दूर करने की सिफारिश की गई है? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार उक्त समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कमेटी द्वारा दिनांक 31.12.1999 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जी हां। समितियों की रिपोर्ट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं।

(3) उपरोक्तानुसार।

राज्य कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई वेतन पर महंगाई भत्ता

2. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार वित्तीय बजट 2005-06 में आधिक्य होने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के अनुसार राज्य कर्मचारियों को भी समान दर से महंगाई भत्ता वेतन पर महंगाई भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। चूंकि मूल वेतन में महंगाई वेतन को जोड़ कर अवशेष 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान जुड़े हुए वेतन पर देना दोहरी क्षतिपूर्ति करना होगा।

जनजाति क्षेत्रों में महाराष्ट्र प्रणाली के अनुसार आबंटित राशि

3. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर सम्पूर्ण बजट की 12 प्रतिशत राशि, जनजाति क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने से अब तक जनजाति क्षेत्रों में आबंटित राशि का विवरण वर्ष वार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2000-2001 से महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर आयोजना सीमा के विभाज्य परिव्यय (Divisible Outlay) की 8 प्रतिशत राशि जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु व्यय की जावे।

महाराष्ट्र पैटर्न हेतु वर्ष वार आबंटित राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	आबंटित राशि
2000-2001	
2001-2002	30.00
2002-2003	10.00
2003-2004	5.00
2004-2005	32.46
2005-2006	75.51

निर्वाचन क्षेत्र में विधायी कार्यों के निर्वहन हेतु विधायकों/सांसदों को निजी वाहन सुविधा

4. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधायकों या सांसद को अपने क्षेत्र में अभाव अभियोग सुनने के लिए जिला पूल से वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस प्रकार के वाहन दिये जा रहे हैं?

(2) क्या ज़िला पूल के पास वाहन उपलब्ध न हो तो क्षेत्र में प्रचलित किराये दर पर किराये के वाहन लेने का विधायक को अधिकार है? यदि नहीं तो क्यों, व इस हेतु सरकार की क्या व्यवस्था है?

(3) विधायक को दस दिन प्रतिमाह सरकारी वाहन उपलब्ध कराने पर वाहन के रखरखाव व ड्राइवर की तनख्वाह एवं उसका डी.ए. तथा डीजल आदि पर कितनी राशि प्रतिदिन खर्च होती है? क्या यह राशि विधायक को दी जा सकती है? जिससे वह स्वयं अपने क्षेत्र में प्रवास निमित्त वाहन व्यवस्था कर सके?

उत्तर

(1) जी हां। मा. विधायकों/सांसदों से सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा एक माह में 10 दिन के लिए जिला पूल में उपलब्ध वाहनों में से वाहन उपलब्ध कराये जाते हैं।

(2) जी नहीं। जिला पूल के पास वाहन उपलब्ध न होने पर वाहन किराये पर लेने हेतु जिला कलक्टर्स को ही अधिकृत किया गया है।

(3) विधायकों को 10 दिन प्रतिमाह सरकारी वाहन उपलब्ध कराने पर वाहन के रखरखाव व ड्राइवर की तनख्वाह एवं उसका डी.ए. तथा डीजल आदि पर मोटर गैराज द्वारा विधायकों को वाहन उपलब्ध कराने पर विभाग का डीजल/पेट्रोल, डी.ए. पर ही अतिरिक्त व्यय बढ़ता है, शेष खर्चे तो विभाग वैसे भी वहन करता ही है? अत: इस राशि का भुगतान विधायकों को करने का वर्तमान में कोई विचार राज्य सरकार का नहीं है।

पूर्व प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

5. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सर्किट हाउस सेवा के पूर्व में राजस्थान हाउस नई दिल्ली में पदस्थापित मैनेजर श्रेणी के अधिकारी देवेन्द्र सिंह फौजदार राजकीय सेवा में किस तिथि से कार्यरत है और किस-किस स्थान पर कौन से पद पर कितनी अवधि तक पदस्थापित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारी के विरुद्ध किस-किस प्रकार की शिकायतें कौन-कौन से कार्यकाल में सरकार को प्राप्त हुई तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? प्राप्त शिकायतों की प्रति व की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के प्रत्येक पदस्थान पर शिकायत, झगड़े, गोली चलाना, अनियमितता, फौजदारी मुकदमें, राजस्थान हाउस दिल्ली के कमरों में लड़कियां रख देह व्यापार कराने जैसे गम्भीर आरोप लगाए गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी को अब सेवा मुक्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री देवेन्द्र सिंह फौजदार राजकीय सेवा में दिनांक 3.5.1986 से कार्यरत है तथा इनके पदस्थापन की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) यद्यपि किसी शिकायत विशेष का अंकन प्रश्न में नहीं है फिर भी मुख्य-मुख्य शिकायतों के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। लेकिन इनके लिए समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की गई है, जिसमें से महत्वपूर्ण शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित कर दिया गया है। राजस्थान हाउस नई दिल्ली के कमरों में लड़कियां रख देह व्यापार कराने जैसे गम्भीर आरोप की जांच विचाराधीन है वर्णित स्थित अनुसार सम्बन्धित अधिकारी को सेवा मुक्त किये जाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां कालेज रोड स्थित मदिरा विक्रय केन्द्र का स्थानान्तरण

6. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जन शिकायतों के आधार पर माह जून, 2005 में जिला कलक्टर बारां द्वारा बारां शहर में कालेज रोड पर स्थित विदेशी मदिरा दुकान को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए अवगत करावें कि दुकान अब तक नहीं हटाने के क्या कारण रहे?

(2) क्या सरकार आबकारी अधिकारी बारां द्वारा जिला कलक्टर बारां के आदेश की अवहेलना करने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(3) क्या सरकार अब उक्त दुकान को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति पताका "क" पर है। जिला स्तरीय समिति के निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 19.9.2005 को कालेज रोड, बारां स्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर का लोकेशन जिला आबकारी अधिकारी, बारां द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(2) जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15.7.2005 के बिन्दु संख्या 2 की पालना में जिला आबकारी अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 19.9.2005 को भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकान बारां रोड की लोकेशन को निरस्त कर जिला कलक्टर, बारां के आदेशों की पालना कर दी गई है।

(3) जिला स्तरीय समिति के निर्देश कीं अनुपालना में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकान कालेज रोड, बारां की लोकेशन को जिला आबकारी अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 19.9.2005 को निरस्त किया जा चुका है।

परिशिष्ट "क"

दिनांक 15.7.2005 को जिला कलक्टर कक्ष में आयोजित खुदरा शराब दुकानों की अवस्थिति के सम्बन्ध में जिला स्तरीय जिला आबकारी समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण

कार्यवाही

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बारां की अध्यक्षता में दिनांक 15.7.2005 को दोपहर 12.00 बजे जिला कलक्टर, बारां के कक्ष में मदिरा दुकानों की लोकेशन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निम्न अधिकारियों (सदस्यों) ने भाग लिया :-

1. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां
2. श्री हेमराजजी मीणा विधायक किशनगंज
3. जिला परिवहन अधिकारी, बारां
4. जिला आबकारी अधिकारी, बारां (सदस्य सचिव)

जिला कलक्टर महोदय ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए जिला आबकारी अधिकारी से आबकारी दुकानों की लोकेशन के बारे में प्राप्त परिवादों एवं शिकायतों व उन पर की गई कार्यवाही की पालना बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनाधिकृत शराब की बिक्री के सम्बन्ध में व शराब की खुदरा दुकानों के लोकेशन की अवस्थिति के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2005-2006 में प्राप्त 11 शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही की संलग्न सूची प्रस्तुत की गई जिनमें समिति की आम राय से श्रीमान जिला कलक्टर ने निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये :-

1. भंवरगढ़ में मदिरा की दुकान अगर स्कूल के पास लगी हुई हो तो उसका स्थान परिवर्तन किया जावे।
2. कालेज रोड पर स्वीकृत भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकान का स्थान परिवर्तन किये जावे।

3. मांगरोल कस्बे में मन्दिर के पास स्थित शराब दुकान को तीन दिन में नियमानुसार अन्यत्र स्थानान्तरण करें।

4. सभी अनुज्ञाधारियों को निर्देश प्रदान करें कि जिले की समस्त मदिरा दुकानों पर दुकान के लोकेशन, (स्थान) का नक्शा एवं सेल्समेन का नौकरनामा दुकान पर रखा जावे।

5. जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में दो रजिस्टर अलग-अलग संधारित किये जावें। एक रजिस्टर में जिला कलक्टर महोदय एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का इन्द्राज किया जावे। उसमें एक ही स्थान की दुबारा शिकायत आने पर लाल स्याही में एन्ट्री की जावे। दूसरे रजिस्टर में जिला कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा दर्ज किया जावें।

6. जिले में अवस्थिति दुकानों की सूची मय पूर्ण पते के श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं श्री हेमराजजी मीणा विधायक को पेश की जावें।

7. दुकान पर एक ही दरवाजा होना चाहिये।

8. दूरभाष पर भी दुकान की अवस्थिति की शिकायत होने पर रजिस्टर में इन्द्राज किया जावे।

9. अन्य राज्यों के विकृत प्रासव के टेंकर जो बारां जिले में होकर जाते हो उन पर निगरानी रखी जावे।

10. जिन दुकानों की दुबारा शिकायत प्राप्त होती है। उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

11. जिन शिकायतों में कोई भी कार्य शेष नहीं है, उन्हें समाप्त किया गया।

धन्यवाद के बाद समिति की बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला आबकारी अधिकारी,
बारां
(सदस्य सचिव)

बारां कार्या. निरीक्षक आबकारी वृत्त बारां जिला बारां

वर्ष 2005-06

नाम अनुज्ञाधारी श्री निर्मल कुमार S/o श्री राधाकिशन नागर

भा.वि.वि. भ. (खुदरा बारां) समुद्र आबकारी विभाग (राजस्थान)

नाम मालिक दुकान श्री हरी कुमार S/o नन्दकिशोरजी नागर R/o बारां

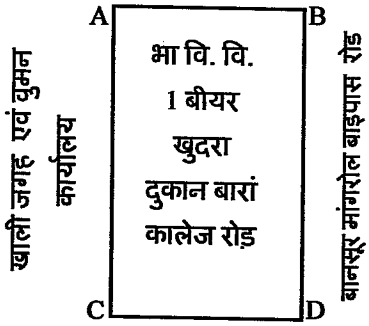

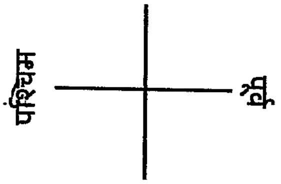

दुकान नक्शा
ABCD

हस्ता. अनुज्ञा.
भा.नि.वि. भ./बीयर
खुदरा नगर पालिका, बारां

प्रमाणित

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त देशी/भारत निर्मित विदेशी मदिरा, मुख्य दुकान/उप दुकान के लोकेशन का मेन मौका मुआयना कर लिया है। उक्त लोकेशन अनुज्ञा-पत्र देशी मदिरा रिटेल की शर्त संख्या का विदेशी मदिरा रिटेल अनुज्ञा-पत्र की शर्त संख्या 5.1 तथा बीयर रिटेल की अनुज्ञा पत्र शर्त संख्या 5.1 के अनुकूल है। उक्त लोकेशन नियम 75 राजस्थान आबकारी नियम 1958 के तहत तथा समय-समय पर प्रसारित विभागीय, न्यायिक आदेशों तथा टारनेन्स प्रोग्राम के अनुसार उपयुक्त है।

ह./-

आबकारी निरीक्षक

डूंगरपुर व उदयपुर जिले के देशी मदिरा ठेके

7. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किस-किस जिले में वर्ष 2005-06 में देशी मदिरा के ठेके नहीं उठे और उसके क्या कारण रहे? इन ठेकों से कितनी आय प्राप्त करना अनुमानित था? इन जिलों में इस हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई और इससे प्रथम तिमाही में कितनी आय प्राप्त हुई?

(2) जिला डूंगरपुर व उदयपुर में वर्ष 2005-06 में देशी मदिरा के ठेके कितनी राशि में उठे? इससे पूर्व वर्ष 2004-05 में गंगानगर शुगर मिल्स ने इन जिलों में कितनी राशि की शराब बेची थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आबकारी नीति वर्ष 2005-06 में देशी मदिरा के 25 समूह निर्धारित किये गये थे, जिनके ठेके दिनांक 14.3.2005 को उठ चुके हैं। कोई भी ठेका पड़त नहीं रहा।

(2) आबकारी नीति वर्ष 2005-06 में बांसवाडा-डूंगरपुर-राजसमन्द जिलों के संयुक्त समूह बनाये गये हैं। अत: डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले के ठेका राशि अलग से बताया जाना सम्भव नहीं है। उदयपुर-राजसमन्द जिले का देशी मदिरा का ठेका राशि रुपया 36,55,77,555/- तथा बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों का देशी मदिरा ठेका राशि रुपये 10,80,00,000/- पर उठा है।

वर्ष 2004-05 में जिला डूंगरपुर में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा राशि रुपये 1,49,88,204/- तथा उदयपुर जिले में राशि रुपये 67,22,674/- की बिक्री की गई है।

हवामहल एवं मोती डूंगरी जोन जयपुर की सफाई व्यवस्था

8. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर निगम के हवामहल जोन पूर्व, हवामहल जोन पश्चिम तथा मोती डूंगरी जोन के प्रत्येक वार्ड में कुल कितने-कितने मकान, गंदी गलियां, मेन हाल, कचरा डिपो तथा दो फीट से अधिक गहरे कितने नाले (मय लम्बाई के) हैं?

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

(2) दिनांक 1 जुलाई, 2005 से मोती डूंगरी जोन, दिनांक 17 जुलाई, 2005 से हवामहल जोन पश्चिम व दिनांक 15 अगस्त, 2005 से हवामहल जोन पूर्व से ठेकेदारों द्वारा शर्तों के अनुसार दिनांक 31 अगस्त, 2005 तक प्रत्येक वार्ड के कितने-कितने मकानों से कचरा मांग कर उठाया गया?

(3) दिनांक 31 अगस्त, 2005 तक उपरोक्त जोनों की कितनी गन्दी गलियां, 2 फीट से अधिक गहरे नाले, मेन हालों को साफ किया गया तथा कितने कचरा डिपो से कचरा उठाया गया?

(4) क्या यह सही है कि निगम द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने पर ठेकेदार से राशि की कटौती की गई? यदि हां, तो शर्तों की प्रति व प्रत्येक वार्ड का दैनिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम के हवामहल जोन पूर्व, हवामहल जोन पश्चिम तथा मोतीडूंगरी जोन के प्रत्येक वार्ड के मकानों, गंदी गलियों, मैनहालों, कचरा डिपो तथा दो फीट से अधिक गहरे नालों मय लम्बाई की सूचना जोनवार क्रमश: परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में जोन हवामहल, पूर्व, हवामहल पश्चिम व मोती डूंगरी में "डोर टू डोर" कचरा संग्रहण के तहत जिन मकानों से कचरा संग्रहण किया गया उनकी जोनवार सूची परिशिष्ट "बी" पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में जोन हवामहल पूर्व हवामहल जोन पश्चिम मोती डूंगरी में साफ किये गये 2 फीट से अधिक गहरे नाले, मैनहालों तथा उठाये गये कचरा डिपों की सूची जोनवार परिशिष्ट "सी" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। इन जोनों में से किसी भी ठेकेदार को अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। अत: कटौती भी नहीं की गई है।

परिशिष्ट "ए"

कार्यालय आयुक्त हवामहल जोन-पूर्व, नगर निगम जयपुर

मकान, गन्दी गलियां, कचरा डिपो, मैनहोल व 2 फुट से गहरे नालों की वार्डवाईज सूची

क्र. सं.	वार्ड नम्बर	मकानों की संख्या	2 फुट से गहरे नालों की संख्या व लम्बाई मीटर		गंदी गलियों की सफाई की संख्या	मैनहोलों की सफाई की संख्या	कचरा डिपो की संख्या
1.	44	4028	2	1900	318	610	22
2.	45	2461	—	Nil	336	946	23
3.	46	4222	—	Nil	185	1014	40
4.	47	5113	—	Nil	230	1254	39
5.	48	6370	11	5190	Nil	410	41
6.	49	4870	6	1930	Nil	403	37
7.	50	5449	4	3280	96	1167	28
8.	51	4516	3	1550	51	355	55
9.	52	6660	11	7010	Nil	210	35
10.	55	3993	4	770	300	1147	35
11.	56	2633	1	900	293	605	14
12.	57	4009	1	400	415	781	23
योग		**54, 324**	**43**	**22930**	**2224**	**8902**	**392**

आयुक्त,
हवामहल जोन-पूर्व,
नगर निगम जयपुर

परिशिष्ट "ए"

कार्यालय, आयुक्त हवामहल जोन (पश्चिम) नगर निगम जयपुर की सूची

क्र. सं.	वार्ड नम्बर	कुल मकान	कुल गन्दी गलियां	कुल मैन होल	कुल कचरा डिपो	2 फीट से गहरे नाले
1.	39	3582	206	658	9	1
2.	40	2316	430	623	15	0
3.	41	2992	361	685	23	3
4.	42	3320	342	1390	21	4
5.	43	3645	210	774	17	2
6.	53	4440	101	450	41	8
7.	54	7062	0	575	45	5
8.	58	4571	121	994	36	12
9.	59	4744	214	1415	33	12
10.	60	4318	391	1320	25	1
11.	61	4546	374	973	18	12
योग		**45536**	**2750**	**9857**	**283**	**60**

आयुक्त,
हवामहल जोन-(पश्चिम)
नगर निगम, जयपुर

परिशिष्ट "ए"

मोती डूंगरी जोन के निम्नांकित वार्ड अनुसार मकान, बन्द गालियां, मेनहोल, कचरा डिपो एवं दो फीट से अधिक गहरे नालों की सूची प्रस्तुत है :-

क्र. सं.	वार्ड	मकान संख्या	बन्द गलियां	मेनहोल	कचरा डिपो	दो फीट से अधिक गहरे नाले	
						संख्या	लम्बाई
1.	18	4317		1016	50	18	7215

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	26	5899		2900	40	12	7436
3.	27	6576		373	38	14	5901
4.	28	14604		26	21	8	4630
5.	29	7388		84	19	4	3115
6.	30	4659	18	1870	40	8	3304
7.	31	4276		880	60	12	6910
8.	32	4033		813	67	10	2838
9.	33	3436		802	30	4	4600
10.	34	4095	26	892	34	5	2200
11.	35	3599		868	70	21	14975
योग	**11**	**62882**	**44**	**10524**	**469**	**116**	**63124**

परिशिष्ट "बी"

कार्यालय आयुक्त हवामहल जोन-पूर्व, नगर निगम जयपुर

दिनांक 15.8.2005 से 31.8.2005 तक डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने की मकानों की सूची

दिनांक	वार्ड 44	वार्ड 45	वार्ड 46	वार्ड 47	वार्ड 48	वार्ड 49	वार्ड 50	वार्ड 51	वार्ड 52	वार्ड 55	वार्ड 56	वार्ड 57
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.8.2005	201	123	211	20	317	243						
16.8.2005	281	246	295	25	400	487						
17.8.2005	283	369	295	28	637	487						
18.8.2005	403	492	253	45	700	730						
19.8.2005	183	492	378	60	1274	730						
20.8.2005	604	615	338	72	1274	730						
21.8.2005	685	738	380	81	1320	974	1040	150	999	200	1200	1200
22.8.2005	806	738	464	108	1400	974	1040	225	999	200	1400	1400
23.8.2005	806	738	633	120	1880	974	1144	250	1132	300	1400	1400
24.8.2005	1007	861	844	150	1900	974	1144	275	1332	400	1500	1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.8.2005	1088	984	844	200	1900	974	877	275	1332	500	1600	1500
26.8.2005	1208	984	844	250	1900	974	544	300	1465	200	1500	1600
27.8.2005	1329	1134	844	300	2250	974	544	315	1665	300	1400	1500
28.8.2005	1410	1107	844	350	2250	974	817	346	1798	300	1000	1600
29.8.2005	1490	1107	844	400	2250	974	817	350	1998	400	1500	1200
30.8.2005	1611	1230	844	400	2250	974	926	350	2131	400	1500	1500
31.5.2005	1611	1230	844	600	2250	1071	986	360	2331	400	1400	1600
Total	**15306**	**13188**	**9999**	**3209**	**26152**	**14218**	**9879**	**3196**	**17182**	**3600**	**15400**	**16000**

जोन के 12 वार्डों से कुल 1,47,329 मकानों से कचरा मांग कर उठाया गया।

नोट :- वार्ड संख्या 50. 51. 52, 55, 56 व 57 में कार्य दिनांक 21.8.2005 से प्रारम्भ किया गया है।

आयुक्त

हवामहल जोन पूर्व

जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट "बी"

कार्यालय, हवामहल जोन (पश्चिम) नगर निगम जयपुर की मकानों से कचरा एकत्रित करने सूचना सूची

क्र. सं.	वार्ड नं.	कुल मकान	एकत्रित किये गये मकान	प्रतिशत
1.	39	3582	1074	30%
2.	40	2316	926	40%
3.	41	2992	1346	45%
4.	42	3320	1660	50%
5.	43	3645	1822	50%
6.	53	4440	2664	60%
7.	54	7062	2824	40%
8.	58	4571	2285	50%
9.	59	4744	2372	50%
10.	60	4318	2159	50%
11.	61	4546	1818	40%
योग		**45536**	**20950**	

आयुक्त,
हवामहल जोन (पश्चिम)
नगर निगम, जयपुर

परिशिष्ट-बी

मोती डूंगरी जोन में घर-घर से कचरा उठाने का कार्य

दिनांक	वार्ड 27	वार्ड 28	वार्ड 29	वार्ड 30	वार्ड 31	वार्ड 32	वार्ड 33	वार्ड 35ए	वार्ड 35बी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.2005					476	200	2536	1000	500
2.8.2005					476	300	2536	1000	500
3.8.2005					200	400	2536	1000	500
4.8.2005					306	450	2536	1000	500
5.8.2005					250	500	2536	1000	500
6.8.2005					200	550	2536	1000	500
7.8.2005					250	600	2536	1000	500
8.8.2005					306	0	2536	1000	500
9.8.2005					280	600	2536	1000	500
10.8.2005					270	700	2536	1000	500
11.8.2005					270	600	2536	1000	500
12.8.2005					276	700	2536	1000	500
13.8.2005					272	800	2536	1000	500
14.8.2005					260	700	2536	1000	500
15.8.2005					270	0	2536	1000	500
16.8.2005					300	800	2536	1000	500
17.8.2005					300	900	2536	1000	500
18.8.2005	500				310	700	2536	1000	500
19.8.2005	500				0	800	2536	1000	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.8.2005	500				310	600	2536	1000	500
21.8.2005	500				350	400	2536	1000	500
22.8.2005	500				376	600	2536	1000	500
23.8.2005	500				376	600	2536	1000	500
24.8.2005	500				386	650	2536	1000	500
25.8.2005	500				386	700	2536	1000	500
26.8.2005	500				400	800	2536	1000	500
27.8.2005	500				200	900	2536	1000	500
28.8.2005	500				300	0	2536	1000	500
29.8.2005	500				410	900	2536	1000	500
30.8.2005	500				350	950	2536	1000	500
31.8.2005	500				440	1000	2536	1000	500

परिशिष्ट "सी"

कार्यालय आयुक्त हवामहल जोन-पूर्व, नगर निगम जयपुर

गन्दी गलियां, कचरा डिपो, मैनहोल व 2 फुट से गहरे नाले (उठाये गये व साफ किये गये) की 15.8.2005 से 31.8.2005 की सूची

क्र. सं.	वार्ड नम्बर	2 फुट से गहरे नालों की संख्या	गन्दी गलियों की सफाई की संख्या	मैनहोलों की सफाई की संख्या	कचरा डिपो (उठाये गये की संख्या)
1.	44	Nil	12	5	335
2.	45	Nil	11	Nil	362
3.	46	Nil	33	208	609
4.	47	Nil	Nil	22	559
5.	48	Nil	Nil	90	634

1	2	3	4	5	6
6.	49	Nil	19	26	616
7.	50	Nil	22	7	229
8.	51	Nil	5	Nil	601
9.	52	Nil	Nil	28	361
10.	55	Nil	24	27	360
11.	56	Nil	15	Nil	119
12.	57	Nil	16	Nil	228
कुल		Nil	157	413	5013

नोट :- वार्ड संख्या 50, 51, 52, 55, 56 व 57 में कार्य दिनांक 21.8.2005 से प्रारम्भ किया गया है।

आयुक्त
हवामहल जोन-पूर्व,
नगर निगम जयपुर

परिशिष्ट "सी"

कार्यालय आयुक्त हवामहल जोन पश्चिम
गन्दी गलियां, कचरा डिपो, मैनहोल व 2 फुट से गहरे नालों की जोन की दिनांक 1.8.2005 से 31.8.2005 तक साफ किये गये सूची

क्र. सं.	कार्य विवरण	कुल संख्या
1.	गन्दी गलियों की सफाई की संख्या	328
2.	2 फुट से गहरे नालों की संख्या व लम्बाई मी.	Nil
3.	मैनहोलों की सफाई की संख्या	763
4.	उठाये गये कचरा डिपो की संख्या	8268

आयुक्त
हवामहल जोन पश्चिम,
नगर निगम जयपुर, जयपुर

परिशिष्ट "सी"

कार्यालय आयुक्त मोती डूंगरी जोन

गन्दी गलियां, कचरा डिपो, मैनहोल व 2 फुट से गहरे नालों की वार्ड वाइज सूची

दिनांक 1.8.2005 से 31.8.2005 तक साफ किये गये

क्र. सं.	वार्ड नम्बर	गंदी गलियों की सफाई की संख्या	2 फूट से गहरे नालों की संख्या व लम्बाई मी.		मैनहोलों की सफाई की संख्या	कचरा डिपो की संख्या	विशेष विवरण
1.	27	N/A	Nil	Nil	Nil	473	
2.	28	N/A	Nil	Nil	Nil	—	दिनांक 28.8.2005 से कार्य प्रारम्भ
3.	29	N/A	Nil	Nil	Nil	55	
4.	30	N/A	Nil	Nil	Nil	320	
5.	31	Nil	Nil	Nil	Nil	850	
6.	32	N/A	Nil	Nil	Nil	1808	
7.	33	N/A	Nil	Nil	70	1023	
8.	35	N/A	Nil	Nil	18	2058	
कुल		Nil	Nil	Nil	88	6587	

आयुक्त
मोती डूंगरी जोन
नगर निगम जयपुर

जयपुर, प्रताप नगर-सैक्टर-62, हाउसिंग बोर्ड की रोड़ लाइटें

9. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड जयपुर के सैक्टर नं. 62 में पिल्लरों पर ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उनमें से कुछ ट्यूब लाइटें लम्बे समय से टूटी हुई हैं, जिससे राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में ट्यूब लाइटें विशेषकर कार्नर के मकानों के सामने के पिल्लरों पर लगवाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड के सैक्टर नं. 62 के पिल्लरों पर 42 ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, जिनमें से 4 ट्यूबलाइटें अन्दर व 4 ट्यूबलाइटें कार्नर पर इस प्रकार कुल 8 ट्यूबलाईटें टूटी हुई थीं, जिन्हें ठीक करा दिया गया है एवं इस प्रकार राहगीरों को कोई असुविधा इस सन्दर्भ में नहीं होगी।

(2) जी हां। यद्यपि पूर्व से पर्याप्त ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं एवं बन्द लाइटों को चालू करा दिया गया है, फिर भी आवश्यकतानुसार और ट्यूबलाइटें शीघ्र लगा दी जायेंगी।

ग्राम बीड़ सरकारी (जयपुर) की भूमि का अवैध बेचान प्रकरण

10. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बीड़ सरकारी हल्का झोटवाड़ा, तहसील जयपुर जिला जयपुर की जमाबन्दी में दर्ज खसरा नं. 110 से 121 की भूमि का भू-माफियाओं द्वारा किसी गृह निर्माण सहकारी समिति को इकरारनामे के आधार पर बेचान कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस ने फर्जी इकरारनामा बनाकर किस-किस गृह निर्माण सहकारी समिति को कितनी-कितनी भूमि का बेचान किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के फर्जी बेचान की कार्यवाही किये जाने में

(श्री राजकुमार रिणवा)

हल्का पटवारी एवं गिरदावर की भी मिली भगत है? यदि हां, तो दोषी के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बेचान (इकरारनामा) में श्री पांचूराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण की भूमि हिस्सा 1/6 को बेचान से मुक्त रखा गया है? यदि हां, तो उक्त भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में श्री पांचूराम की भूमि के पट्टे जारी नहीं करने बाबत् कोई विरोध पत्र उपायुक्त जोन-6 जे.डी.ए. में प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह सही है कि उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति ने सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके उक्त विवादग्रस्त भूमि की 90बी की कार्यवाही भी बिना श्री पांचूराम की सहमति के करा ली गई? यदि नहीं, तो उक्त रकबों की कुल 21 बीघा भूमि में से कितनी भूमि की 90बी की कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त धारा 90बी की कार्यवाही में श्री पांचूराम के हिस्से की भूमि को पृथक से रखा गया है? यदि हां, तो उक्त में कितनी भूमि को छोड़ा गया?

(7) क्या सरकार श्री पांचूराम की (हिस्सा 1/6) शेष बच रही भूमि को वापिस दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त भूमि की फर्जी बेचान की कार्यवाही किये जाने में हल्का पटवारी/गिरदावर की मिलीभगत से सम्बन्धित कार्यवाही जिला कलक्टर कार्यालय में लम्बित नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। उक्त भूमि में श्री पांचूराम की भूमि के पट्टे जारी नहीं करने बाबत् दिनांक 1.9.2005 को आपत्ति प्राप्त हुई है। जिस पर जांच की जा रही है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(5) जी नहीं। उक्त समस्त रकबे की 90बी की कार्यवाही की गई है।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। समस्त भूमि की 90बी होने के उपरान्त उनके खाते में भूमि नहीं रहती है।

जयपुर सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल महावीर नगर द्वारा अतिक्रमित भूमि

11. श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महावीर नगर (प्रथम) टोंक रोड़, जयपुर में सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल का भवन बना हुआ है? यदि हां, तो स्कूल के नाम आबंटित मूल जमीन का आबंटन पत्र व साइट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल द्वारा उसे आबंटित जमीन से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो कितनी जमीन पर ? अतिक्रमित भूमि के नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल द्वारा उक्त क्षेत्र के सुविधा क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महावीर नगर (प्रथम) के स्वीकृत नक्शे की प्रति मय सुविधा क्षेत्र के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आबंटन पत्र परिशिष्ट "अ" पर व साइट प्लान की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आबंटन-पत्र

क्रमांक : एफ-1(17)जविप्रा/मुराअ/84 दिनांक 21.2.1986

सचिव

सेन्ट्रल एकेडमी एज्यूकेशनल सोसायटी,

केन्द्रीय कार्यालय, ए/3, सुन्दर पथ, बनीपार्क, जयपुर।

महोदय,

आपके पत्र क्रमांक सीएज/44/85 जो दिनांक 29.4.1985 को प्राप्त हुआ के सन्दर्भ में प्राधिकरण को भूमि एवं सम्पत्ति समिति ने अपनी बैठक दिनांक 5.2.1986 में यह निर्णय लिया है कि सेन्ट्रल एकेडमी एज्यूकेशनल सोसायटी को महावीर नगर योजना (न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति योजना) में स्कूल भवन हेतु 24514.6 वर्ग फिट भूमि योजना की सुरक्षित दर 100/- रुपये प्रति वर्गगज की आधी अर्थात् 50/- रुपये प्रति वर्गगज पर आबंटन कर दी जावें। अत: सेन्ट्रल एकेडमी एज्यूकेशनल सोसायटी को महावीर नगर योजना (न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति) की योजना में 24514.5 वर्ग फिट अर्थात् 2723.83 वर्गगज भूमि योजना की सुरक्षित दर 100/- रुपये प्रति वर्गगज की आधी अर्थात् 50/- रुपये प्रति वर्गगज की दर पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आबंटित की जाती है :-

आबंटन की शर्तें :

1. भूमि का आबंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा, जिसमें पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा।

2. वार्षिक शहरी जमाबन्दी आबंटित भूमि का आधिपत्य पत्र जारी होने की तिथि से योजना की सुरक्षित दर रुपये 100/- पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से देय होगी। यह प्रथम तीन वर्ष तक आधा दर पर प्रतिवर्ष व इसके बाद पूर्ण दर से वसूल की जा[illegible]

3. वार्षिक शहरी जमाबन्दी की राशि (प्रथम वर्ष की) मांग पत्र के साथ अग्रिम जमा करानी होगी।

4. शहरी जमाबन्दी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक प्राधिकरण कोष में जमा कराना आवश्यक है। अन्यथा इसके उल्लंघन पर प्राधिकरण को नियमानुसार ब्याज वसूल करने का अधिकार होगा।

5. शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् परिवर्तित की जा सकती है किन्तु ऐसी प्रत्येक वृद्धि वर्तमान दर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6. भू-खण्ड का निर्माण कार्य आबंटन पत्र की तिथि से 6 माह की अवधि में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार प्रारम्भ किया जावेगा एवं 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जावेगा। भवन मानचित्र अनुमोदन करवाने की जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

7. यदि आबंटन की तिथि से भूमि का उपयोग 2 वर्ष की अवधि में नहीं किया गया तो भू-खण्ड व उस पर बने अधूरे भवन यदि कोई हो तो को अधिग्रहित कर लिया जावेगा व मुआवजा देय नहीं होगा।

8. भू-खण्ड केवल स्कूल भवन बनाने हेतु काम में लिया जावेगा एवं किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी और न ही किसी प्रकार का वाणिज्यिक एवं लाभ कमाने की दृष्टि से इसका उपयोग किया जा सकेगा।

9. भू-खण्ड एवं इस पर निर्मित भवन किसी भी अन्य को प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना विक्रय बन्धक, दान, शिकमी एवं अन्य किसी भी रूप में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

10. भू-खण्ड एवं इस पर निर्मित भवन को पुर्नगृहित कर लिये जाने पर इसको पुन: आबंटन/विक्रय करने का प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा।

11. राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 (वर्ष 1982 का 25वां अधिनियम) के तहत राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों उप नियमों व समय-समय पर प्रचलित अन्य नियमों व उनमें किए गए व किए जाने वाले संशोधनों व समय-समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों एवं प्राधिकरण के निर्णयों के अधीन भू-खण्ड का आबंटन समझा जावेगा।

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किया गया तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि बिना कोई नोटिस दिये भू-खण्ड अधिग्रहित कर लें।

13. भू-खण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल आबंटित भू-खण्ड के स्थान मानचित्र के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। अत: आधिपत्य लेते समय वास्तविक क्षेत्रफल के अनसार धनराशि देय होगी।

14. जयपुर के बाहर के चैक स्वीकार नहीं किये जाते हैं। जहां तक स्थानीय अर्थात् जयपुर के चैकी का प्रश्न है वे भुगतान की अन्तिम तिथि से तीन दिन पूर्व बैंक में प्रस्तुत करने पर ही भुगतान समय पर हुआ माना जावेगा।

15. मांग की गई राशि इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 6 माह की अवधि में जमा न कराने पर प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा आबंटन निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त भू-खण्ड का नजराना व शहरी जमाबन्दी आदि की धनराशि निम्न प्रकार है :-

(1) नजराना राशि भूमि दर रुपये 50/- प्रति वर्ग गज की दर से 2723.83 वर्ग गज के लिये 1,36,191.50

(2) शहरी जमाबन्दी (राजस्थान नगर विकास न्यास भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 7(1) व 7(3) के अन्तर्गत

(1) प्रथम तीन वर्ष के लिए (प्रथम वर्ष की अग्रिम) सुरक्षित दर 100/- प्रति वर्ग गज पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 6809.58

(2) चौथे वर्ष से लीज अवधि तक 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष 13619.15

(3) स्थान मानचित्र की प्रति 25.00

यदि आपको उपरोक्त नियम व शर्तों के आधार पर भू-खण्ड का आबंटन स्वीकार हो तो कृपया वांछित धन राशि इस आबंटन पत्र के जारी होने की तिथि से 6 माह में प्राधिकरण कोष में निम्न प्रकार जमा कराने को व्यवस्था करें :-

(1) नजराना राशि रुपये	1,36,191.50
(2) शहरी जमाबन्दी प्रथम वर्ष की अग्रिम	6,809.58
(3) स्थान मानचित्र	25.00
कुल योग :-	1,43,026.00

नोट :-वांछित धनराशि संलग्न चालान संख्या..............दिनांक..............से यूनियन बैंक आफ इण्डिया की एस.डी.एम.एच. शाखा, जयपुर में जमा करावें।

मुख्य राजस्व अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट "ब"

SITE PLAN OF OPEN SPACE IN SCHEME

MAHAVIR NAGAR SOCIETY NEW PINK CITY G.N.S.S. LTD. TONK ROAD, JAIPUR

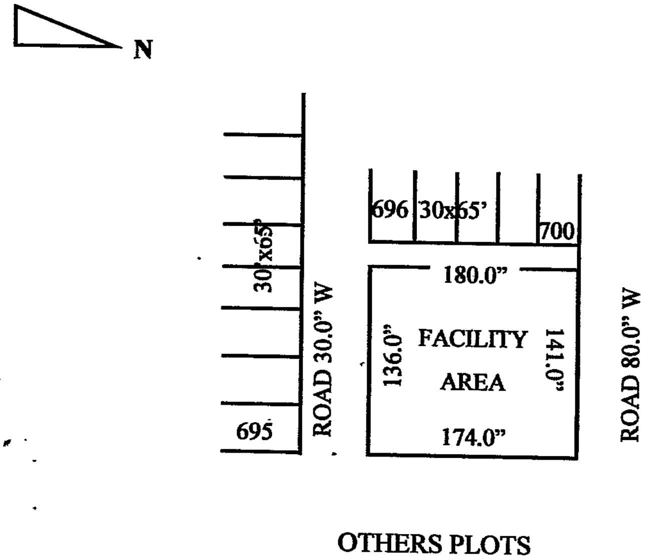

उपायुक्त (जोन-4)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

J.E.N. ASSISTAN ENGINEER
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

12. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कारपोरेशन का गठन कब व किन उद्देश्यों से किया गया व उनके कौन-कौन पदाधिकारी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थान की वर्ष जनवरी, 2004 के पश्चात् से अब तक कितनी बैठकें कब-कब हुई व उनमें किन उद्देश्यों को पूरा किया गया? बैठकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थान का क्या स्टेटस है? क्या उक्त संस्था सरकारी, अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी है?

(4) उक्त संस्थान द्वारा जनवरी, 2004 के पश्चात् क्या निर्णय लिये गये तथा उनके क्रियान्वयन के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये?

उत्तर

(1) राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स एण्ड डवलपमेन्ट कारपोरेशन का गठन दिनांक 8.12.2004 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा राजस्थान के स्थानीय नगरीय निकायों को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने, Bankable Projects तैयार करने व उनकी सहायता हेतु गठित किया था। वर्तमान में इसके निम्न पदाधिकारी हैं :-

1. श्री प्रताप सिंह सिंघवी, माननीय राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, (अध्यक्ष)
2. डा. मनजीत सिंह, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, (उपाध्यक्ष)
3. श्री सी. एस. राजन, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (निदेशक)
4. श्री अशोक जैन, शासन सचिव, वित्त विभाग (निदेशक)
5. श्री एम. के. गर्ग, कार्यकारी निदेशक, RUIFDCO, (निदेशक)
6. श्री पारितोष गुप्ता, CEC, PDCOR Ltd. (निदेशक)

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) इस संस्थान के निदेशक मण्डल की जनवरी, 2004 से अब तक पांच बैठकें निम्नानुसार हुई :-

प्रथम बैठक	दिनांक 13.2.2004
द्वितीय बैठक	दिनांक 22.3.2004
तृतीय बैठक	दिनांक 17.5.2005
चतुर्थ बैठक	दिनांक 21.5.2005
पंचम बैठक	दिनांक 03.9.2005

उक्त बैठकों का कार्यवाही विवरण संलग्न है। उक्त बैठकों में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा किया गया :-

1. श्री पारितोष गुप्ता, CEO, PDCOR Ltd. को परियोजनाऐं तैयार करने, वितीय एवं कम्पनी मामलों में दक्ष होने के कारण इस कम्पनी के निदेशक मण्डल में नियुक्त किया गया।
2. कारपोरेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं भूमिका के निर्धारण हेतु, PDCOR Ltd. को इस कारपोरेशन का बिजनेस प्लान बनाने के लिए कहा गया है ताकि कालान्तर में कारपोरेशन एक राज्यस्तरीय वित्तीय संस्थान के रूप में उभर सके।
3. कम्पनी द्वारा सीकर शहर की पानी एवं सीवर निकासी की संयुक्त लाइन डालने हेतु, Pre-Feasility Report तैयार करवाई गई है। जोधपुर एवं बीकानेर शहरों के Bankable Projects चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
4. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि 220 करोड़ रुपये के तहत सम्पूर्ण राज्य के लिए ठोस कचरा प्रबन्धन पर कार्य योजना तैयार की जा रही है।
5. राज्य सरकार के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रणाली सुधार एवं दोहरा लेखा प्रणाली संधारित करने हेतु निविदाऐं आमंत्रित कर ली गई हैं। अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।
6. नगर निकायों की परियोजनाएं तैयार करने हेतु विशेषज्ञों के पैनल का गठन कर लिया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन, राज्य मंत्री)

7. विभिन्न स्थानीय निकायों हेतु तैयार किये जाने वाले विभिन्न विषयों के प्रोजेक्टस जैसे-ठोस कचरा प्रबन्धन, ई-गवर्नेन्स, लेखासुधार आदि हेतु प्रत्येक के लिए एक करोड़ रुपये का कोरप्स फण्ड के गठन की अनुमति निदेशक मण्डल द्वारा दी जा चुकी है।

(3) उक्त संस्था एक सरकारी लिमिटेड कम्पनी है।

(4) इस बिन्दु का उत्तर प्रश्न के भाग संख्या 2 में निहित है।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर की आगरा रोड/गोनेर रोड की कालोनियों का नियमन

13. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में खानिया क्षेत्र के आगे आगरा रोड/गोनेर रोड पर किन-किन कालोनियों की 90बी की कार्यवाही हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में आगरा रोड की किन-किन कालोनियों के गृह निर्माण सहकारी समिति के रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन कालोनियों के नियमन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में खानिया क्षेत्र के आगे आगरा रोड/गोनेर रोड पर जिन कालोनियों की 90बी कार्यवाही हो चुकी है उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर शहर में आगरा रोड की जिन कालोनियों के गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकार्ड जे.डी.ए. में जमा हो चुके हैं उनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। इन कालोनियों में से जिन कालोनियों के नियमन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है उनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। शेष कालोनियों के अभिलेख का निरीक्षण किया जा रहा है।

परिशिष्ट "3"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर-शहर में खानिया क्षेत्र से आगे आगरा रोड/गोनेर रोड पर धारा 90बी पूर्ण हो चुकी योजनाओं की सूची

क्र. सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	नाम योजना
1	2	3
1.	लक्ष्मी नगर गृ.नि.स. समिति	पाल कालोनी
2.	लक्ष्मी नगर गृ.नि.स. समिति	पाल कालोनी विस्तार
3.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	खण्डेलवाल नगर 'सी'
4.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	पंचवटी कालोनी
5.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	पंचवटी विस्तार
6.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	खण्डेलवाल नगर विस्तार
7.	बन्धु गृ.नि.स. समिति	देव विहार
8.	बन्धु गृ.नि.स. समिति	गोपाल विहार
9.	भैरव गृ.नि.स. समिति	गुरू वाटिका
10.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	श्याम नगर
11.	लक्ष्मी गृ.नि.स. समिति	गोपाल नगर
12.	लक्ष्मी गृ.नि.स. समिति	राम विहार
13.	महावीर स्वामी गृ.नि.स. समिति	वर्द्धमान नगर विस्तार
14.	शंकर भवन गृ.नि.स. समिति	वरूण विहार
15.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	विजय नगर
16.	लक्ष्मी गृ.नि.स. समिति	गोपाल नगर स्कीम
17.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	ग्रीन पार्क
18.	श्यामपुरी गृ.नि.स. समिति	मनु विहार विस्तार
19.	महावीर स्वामी गृ.नि.स. समिति	दुर्गा विहार
20.	महावीर स्वामी गृ.नि.स. समिति	शान्ति विहार

1	2	3
21.	शिवशंकर गृ.नि.स. समिति	श्री राम वाटिका
22.	शान्ती नगर गृ.नि.स. समिति	गणेश विहार
23.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	गुरू तेगबहादुर नगर
24.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	जगदीश कालोनी
25.	शांति नगर गृ.नि.स. समिति	लक्ष्मी नगर बी
26.	शांति नगर गृ.नि.स. समिति	लक्ष्मी नगर सी
27.	दी फोरेस्ट व्यू गृ.नि.स. समिति	बाल नगर ई
28.	अम्बेश्वर गृ.नि.स. समिति	गणेश बिहार बी
29.	दी फोरेस्ट गृ.नि.स. समिति	बाबा नाहरसिंह कालोनी
30.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	शंकर विहार कालोनी
31.	नेशनल गृ.नि.स. समिति	स्कीम नं. 3, दादू नगर
32.	शान्ति नगर गृ.नि.स. समिति	लक्ष्मी नगर
33.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	जगदीशपुरी
34.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	बाल विहार कालोनी
35.	दी फोरेस्ट व्यू गृ.नि.स. समिति	सरदार कालोनी
36.	श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स. समिति	त्रिवेणी नगर
37.	हथरोई गृ.नि.स. समिति	बाल नगर जी
38.	राम राजपुरा गृ.नि.स. समिति	मोहन नगर
39.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	बाबा नाहर सिंह कालोनी सी
40.	महावीर नगर	भानु नगर
41.	शंकर भवन	जगदीश विहार
42.	हथरोई गढ़ी	कटेवा नगर विस्तार
43.	हथरोई गढ़ी	शान्ति प्रकाश नगर
44.	लक्ष्मी नगर	द्वारकापुरी
45.	महावीर स्वामी	राजेन्द्र नगर
46.	महावीर स्वामी	दीपक नगर

1	2	3
47.	हथरोई गढ़ी	फतेह नगर (न्यू कालोनी)
48.	नेशनल गृ.नि.स. समिति	निलेश्वरी
49.	लूणियावास	शंकर विहार
50.	हथरोई गढ़ी	फतेह नगर ए विस्तार
51.	हथरोई गढ़ी	हरि विहार साउथ
52.	श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स. समिति	राम नगर विस्तार ए
53.	हथरोई गढ़ी	फतेह नगर ए
54.	हथरोई गढ़ी	श्रीराम विहार
55.	लक्ष्मी नगर	बसन्त विहार
56.	हसनपुरा ए	शिव नगर
57.	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार
58.	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार ए
59.	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार विस्तार
60.	हथरोई गढ़ी	बाल विहार विस्तार
61.	विकास भवन	च्वन ऋषि कालोनी
62.	सिन्धु नगर	हनुमान नगर
63.	श्री गणपति	शान्ति विहार
64.	श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स. समिति	तिरूपति नगर विस्तार
65.	सुभाष सिन्धी	दादू नगर स्कीम नं. 24
66.	गोपालपुरा गृ.नि.स. समिति	मयूर विहार
67.	दी फोरेस्ट व्यू	बाल नगर एफ
68.	दी फोरेस्ट व्यू	फस्ट कालोनी
69.	शिवशंकर गृ.नि.स. समिति	दयाल कालोनी
70.	विकास भवन	गोपाल विहार
71.	दयाल भवन	व्यास कालोनी
72.	शंकर भवन	तिलक विहार

1	2	3
73.	हथरोई गढ़ी	बाबा नाहरसिंह कालोनी बी
74.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	डिफेंस कालोनी
75.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	फ्रेण्डस कालोनी बी
76.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	ईदगाह कालोनी
77.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	रहीम नगर विस्तार
78.	हथरोई गढ़ी	बाल नगर ई
79.	विकास भवन	गुरूधाम
80.	हसनपुरा ए	रामकुटीर
81.	मित्र गृ.	फ्रेण्डस कालोनी
82.	शान्ति नगर	लक्ष्मी नगर ए
83.	मेजर खन्ना	इन्दू विहार
84.	मेजर खन्ना	पटेल नगर
85.	राम राजपुरा गृ.नि.स. समिति	बृज विहार
86.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	आशा विहार
87.	मेजर खन्ना	बन्धु विहार
88.	मित्र गृ.	नारायण विहार प्रथम व द्वितीय
89.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	अशोक कालोनी
90.	राजेन्द्र नगर आदर्श नगर गृ.	दुर्गा विहार
91.	हथरोई गढ़ी	बाल नगर एफ
92.	हथरोई गढ़ी	किशन कालोनी
93.	हथरोई गढ़ी	बाल नगर बी
94.	हथरोई गढ़ी	दादू कालोनी
95.	हथरोई गढ़ी	बाल विहार
96.	लक्ष्मी गृ.नि.स. समिति	करीम नगर
97.	हसनपुरा ए	विनायक विहार

1	2	3
98.	महावीर स्वामी	पूजा टाउन
99.	लक्ष्मी नगर	हिल व्यू एनक्लेव
100.	श्री महावीर स्वामी	रामनगर विस्तार ए
101.	हथरोई गढ़ी	हंरी विहार साउथ
102.	हथरोई गढ़ी	शान्ति प्रकाश नगर
103.	लक्ष्मी नगर	द्वारकापुरी नं. 52
104.	हथरोई गढ़ी	श्रीराम विहार
105.	हथरोई गढ़ी	फतेह नगर ए
106.	हथरोई गढ़ी	फतेह नगर ए विस्तार
107.	हथरोई गढ़ी	कटेवा नगर विस्तार
108.	हथरोई गढ़ी	बाल विहार विस्तार
109.	सिन्धु नगर	हनुमान नगर
110.	श्री महावीर स्वामी	दीपक नगर
111.	महावीर नगरं	भानु नगर
112.	हसनपुरा ए	शिव नगर
113.	लक्ष्मी नगर	बसन्त विहार
114.	श्री गणपति	शान्ति विहार
115.	शंकर भवन	जगदीश विहार
116.	सुभाष सिन्धी	दादू नगर योजना
117.	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार
118.	श्री महावीर स्वामी	पूजा टाउन विस्तार
119.	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार ए
120.	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार विस्तार
121.	शिवदासपुरा	खेलविहार
122.	महावीर स्वामी	चाणक्यपुरी
123.	शान्ति नगर	सैनी कालोनी

1	2	3
124.	जयपुर वालमिकी	अमर विहार
125.	भैरव गृ.नि.स. समिति	बाबा वाटिका
126.	मोती	सियाराम विहार
127.	अपोलो नगर गृ.	केशव नगर
128.	महावीर स्वामी	देव नगर
129.	इन्दिरा	बलराम नगर
130.	माधो गृ.	फादर कालोनी
131.	बाबा आर.एन. गौड	फादर कालोनी
132.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	कृष्णा विहार
133.	भैरव गृ.नि.स. समिति	आनन्द विहार
134.	शिवशंकर	गीताबाड़ी
135.	मोती भवन	शिव शक्ति नगर
136.	मित्र गृ.	शिवा नगर
137.	सूरजपोल	महाराणा प्रताप नगर
138.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	पटेल नगर
139.	भैरव गृ.नि.स. समिति	गणेश वाटिका ए
140.	लक्ष्मी नगर	गणपति
141.	महावीर हाउसिंह	जयन्ती नगर
142.	माधो गृ.	इन्दिरा कालोनी
143.	हथरोई गढ़ी	कृष्णा वाटिका ए
144.	हथरोई गढ़ी	बाल नगर एच
145.	इन्दिरा	कल्याणपुरी
146.	भैरव गृ.नि.स. समिति	पालिका मार्केट
147.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	गोविन्द विहार
148.	बाबा आर एन गौड़	रितु विहार
149.	शिव शंकर गृ.नि.स. समिति	मां रूकमणी नगर

1	2	3
150.	श्यामपुरी	लक्ष्मी विहार
151.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	शुभम विहार
152.	भैरव गृ.नि.स. समिति	गणेश वाटिका
153.	बाबा आर एन गौड	शिव नगर
154.	टैगोर नगर	राधागोविन्द नगर
155.	बन्धु गृ.नि.स.समिति	गणेशपुरी कालोनी
156.	शिवशंकर	राज नगर
157.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	महावीर नगर
158.	तोपखानादेश	सुन्दर नगर
159.	श्री लक्ष्मी नारायण	ओम कालोनी
160.	हथरोई गढ़ी	चित्रकूट ए, बी, सी
161.	अम्बेश्वर गृ.नि.स. समिति	वृन्दावन विहार
162.	भैरव गृ.नि.स. समिति	शिव वाटिका
163.	बुनियादी विकास	चेतक विहार
164.	इन्दिरा	जनकपुरी 2
165.	श्री महावीर	त्रिवेणी नगर
166.	शान्ति नगर	शान्ति नगर
167.	हथरोई गढ़ी	कान्जी नगर
168.	शंकर भवन	सर्वोदय कालोनी
169.	हथरोई गढ़ी	भरत विहार बी
170.	श्री लक्ष्मी	अरिहन्त नगर
171.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	जय विहार
172.	बाबा रामदेव	जगदम्बा कालोनी
173.	दी फोरेस्ट व्यू	जगदम्बा कालोनी
174.	शंकर भवन	मधु विहार
175.	मित्र गृ.	जगन्नाथपुरी

1	2	3
176.	मित्र गृ.	मदन विहार
177.	मित्र गृ.	भरत विहार
178.	सिन्धु नगर	मां शारदा नगर
179.	लक्ष्मी नगर	केशव पार्क
180.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	स्कीम नं. 2
181.	बस्सी सीतारामपुरा	मो. नगर
182.	हथरोई गढ़ी	श्री राम वाटिका
183.	श्री महावीर स्वामी	लक्ष्मी वाटिका ए
184.	महावीर स्वामी	त्रिवेणी नगर ए
185.	ओम शिव	विश्वकर्मा नगर
186.	अपोलो नगर गृ.	केशव नगर
187.	शिव शंकर गृ.नि.स. समिति	श्री नगर
188.	श्यामपुरी	मनु विहार
189.	लक्ष्मी नगर	मारूति नगर
190.	महावीर स्वामी	वैष्णो वाटिका
191.	लक्ष्मी नगर	अरिहन्त नगर
192.	राम राजपुरा गृ.नि.स. समिति	गणेश विहार
193.	हथरोई गढ़ी	राधिका विहार
194.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	विजय नगर ए
195.	दी फोरेस्ट व्यू	कृष्णा नगर
196.	शिव शंकर गृ.नि.स. समिति	महावर कालोनी
197.	बन्धु गृ.नि.स. समिति	मंगल विहार
198.	शान्ति नगर/विकास समिति	गौरव वाटिका
199.	लक्ष्मी नगर	चाणक्य नगर
200.	बाबा आर एन गौड़	गिर्राज नगर
201.	लक्ष्मी नगर	लक्ष्मी वाटिका बी

1	2	3
202.	हथरोई गढ़ी	कृष्ण वाटिका ए, बी, सी
203.	शंकर भवन	महावर कालोनी
204.	शिवशंकर	गणेश विहार कालोनी
205.	दी फोरेस्ट व्यू	खण्डेलवाल नगर
206.	लक्ष्मी नगर	श्री लक्ष्मी सी वाटिका
207.	लक्ष्मी नगर	बजरंग विहार
208.	लक्ष्मी नगर	गोल्डन पार्क
209.	शिव शंकर गृ.नि.स. समिति	नवरंग विहार
210.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	रूप नगर
211.	लक्ष्मी नगर	तिलक विहार
212.	महावीर स्वामी	रामनगर विस्तार
213.	हथरोई गढ़ी	रामनगर ग्राम हीरावाला
214.	जय चामुण्डा	सरदारसिंह नगर
215.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	हनुमान वाटिका
216.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	पटेल विहार
217.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	देवीधाम
218.	मित्र	लक्ष्मी नगर
219.	हथरोई गढ़ी	लक्ष्मी विहार
220.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	रिद्धि-सिद्धि गणेश विहार
221.	हथरोई गढ़ी	जगदीशपुरी
222.	महावीर नगर	देवराज नगर ग्राम कानोता
223.	हथरोई गढ़ी	बजरंग विहार
224.	शिवशंकर	बजरंग कालोनी
225.	हसनपुरा-ए	शंकर विहार
226.	कृष्णापुरी	जनता कालोनी
227.	मित्र	कानोता विहार

1	2	3
228.	फोरेस्ट व्यू	भगवती नगर
229.	हथरोई गढ़ी	प्रभा विहार
230.	लक्ष्मी नगर गृ.नि.स. समिति	मान कालोनी
231.	बाबा आर एन गौड़	हरियाणा कौम्प्लैक्स

परिशिष्ट "ब"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आगरा रोड पर स्थित योजनाएं जिनका रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा हो चुका है, की सूची

क्र. सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	नाम योजना
1	2	3
1.	लक्ष्मी नगर	हपानदा नगर
2.	टेगौर नगर	बाबा एनक्लेव
3.	मित्र गृह नि.	तारा नगर
4.	हथरोई गढ़ी	भवर कालोनी
5.	महावीर स्वामी	कृष्णा नगर 2
6.	पटेल नगर	बसन्त विहार प्रथम
7.	पटेल नगर	प्रताप नगर ए
8.	शंकर भवन	मधु विहार
9.	शंकर भवन	मधु वाटिका
10.	मित्र गृह नि.	भरत विहार
11.	भैरव	पालिका मार्केट
12.	सिन्धु नगर	मां शारदा नगर
13.	जगदम्बा विकास समि. (बाबा रामदेव)	जगदम्बा कालोनी ए-बी
14.	मित्र गृह नि.	भरत विहार
15.	गुलाबी नगर	ईदगाह कालोनी ए

1	2	3
16.	पहाड़गंज	जयविहार
17.	पटेल नगर	इन्द्रानगर विस्तार
18.	पटेल नगर	प्रताप नगर
19.	पटेल नगर	शंकर विहार डी
20.	पटेल नगर	श्री कृष्ण धाम
21.	पटेल नगर	शंकर वाटिका
22.	पटेल नगर	शंकर विहार
23.	बन्धु गृ.	राम विहार कालोनी
24.	सिन्धु नगर	महादेव विहार
25.	लुणियावास	पूजा विहार
26.	लुणियावास	सरस्वती नगर
27.	महावीर स्वामी	श्री लक्ष्मी वाटिका बी
28.	महावीर स्वामी	चाणक्यपुरी विस्तार
29.	पटेल नगर	शंकर वाटिका
30.	लक्ष्मी नगर	श्री लक्ष्मी वाटिका सी
31.	लक्ष्मी नगर	श्री लक्ष्मी वाटिका डी
32.	लक्ष्मी नगर	केशव पार्क
33.	लक्ष्मी नगर	बजरंग विहार
34.	लक्ष्मी नगर	चाणक्य नगर, श्याम नगर
35.	हथरोई गढ़ी	चित्रकूट कालोनी ए.बी.सी.
36.	सुभाष सिन्धी	भरत विहार
37.	महावीर स्वामी	मधुवन वाटिका
38.	शिव शंकर गृ.नि.स.स.	गणेश विहार कालोनी
39.	शिव शंकर गृ.नि.स.स.	जनकपुरी
40.	शिव शंकर गृ.नि.स.स.	ग्रीस नगर

1	2	3
41.	पहाड़गंज	राजनगर
42.	पहाड़गंज	माधव नगर
43.	लुणियावास	गोविन्द विहार
44.	दी फोरेस्ट व्यू	कृष्णा नगर
45.	बन्धु गृ.	मंगल विहार
46.	शान्ति नगर	गौरव वाटिका
47.	हसनपुरा ए	दुर्बल विहार
48.	लक्ष्मी नगर	गोपाल नगर
49.	शान्ति गृ.नि.स.स.	रत्नावली कालोनी
50.	बुनियादी गृह नि.स.स.	इन्दिरा गांधी नगर
51.	शिवशंकर गृ.नि.स.स.	गणेश विहार बी
52.	शिवशंकर गृ.नि.स.स.	गणेशपुरी
53.	शंकर भवन	गिरीश नगर मूर्तिकला कालोनी
54.	हथरोई गढ़ी	श्रीराम वाटिका
55.	महावीर स्वामी	त्रिवेणी नगर पार्ट ए
56.	लुणियावास	कनक विहार
57.	दी फोरेस्ट व्यू	श्री नारायण कालोनी
58.	पहाड़गंज	गंगोत्री गार्डन
59.	जलमहल	मुलमर्ग कालोनी
60.	जलमहल	महावर कालोनी
61.	श्यामपुरी	लक्ष्मी विहार
62.	हथरोई गढ़ी	शिव कालोनी
63.	छत्रपति शिवाजी	अम्बेडकर कालोनी
64.	घटेल नगर	चित्रकूट कालोनी ए.बी.सी.
65.	पटेल नगर	हनुमान कालोनी
66.	गणपति	बालाजी विहार 2 व 11

1	2	3
67.	पटेल नगर	गायत्री विहार
68.	लक्ष्मी नगर	सन्तोषी वाटिका
69.	मित्र गृह नि.	जगन्नाथपुरी
70.	शिवशंकर गृ.नि.स.स.	श्री नगर
71.	शंकर भवन गृ.नि.स.स.	सर्वोदय कालोनी
72.	शिव शंकर गृ.नि.स.स.	इन्द्रप्रस्थ
73.	लक्ष्मी नगर	गोल्डन पार्क
74.	लक्ष्मी नगर	मारूति नगर
75.	लक्ष्मी नगर	तीर्थंकर नगर
76.	लक्ष्मी नगर	जगदम्बा विस्तार
77.	विकास भवन	रूकमणी नगर
78.	सुरजपोल	श्री गणेश विहार
79.	शान्ति गृह नि.स.स.	बाबा खेतानाथ
80.	दी सांगानेर	ज्योति नगर
81.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	रूप नगर
82.	लक्ष्मी नगर	तिलक विहार
83.	महावीर स्वामी	रामनगर विस्तार
84.	हथरोई गढ़ी	रामनगर ग्राम हीरावाला
85.	जय चामुण्डा	सरदारसिंह नगर
86.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	हनुमान वाटिका
87.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	पटेल विहार
88.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	देवीधाम
89.	मित्र	लक्ष्मी नगर

1	2	3
90.	हथरोई गढ़ी	लक्ष्मी विहार
91.	पहाड़गंज गृ.नि.स. समिति	रिद्धि-सिद्धि गणेश विहार
92.	हथरोई गढ़ी	जगदीशपुरी
93.	महावीर नगर	देवराज नगर ग्राम कानोता
94.	हथरोई गढ़ी	बजरंग विहार
95.	शिवशंकर	बजरंग कालोनी
96.	हसनपुरा-ए	शंकर विहार
97.	कृष्णापुरी	जनता कालोनी
98.	मित्र	कानोता विहार
99.	फोरेस्ट व्यू	भगवती नगर
100.	हथरोई गढ़ी	प्रभा विहार
101.	लक्ष्मीनगर	मान कालोनी
102.	बाबा आर एन गौड़	हरियाणा कौम्प्लेक्स
103.	पटेल नगर	पार्श्वनाथ शापिंग सेन्टर, कानोता
104.	पहाड़गंज	निक्की टाउन
105.	पटेल	उद्योग नगर हीरावाला
106.	पटेल	इन्द्रा कालोनी ग्राम बस्सी
107.	पटेल	गायत्री विहार ग्राम हीरावाला

परिशिष्ट "स"

वे कालोनियां जिनके नियमन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है

क्र. सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	ग्राम	निस्तारण की स्थिति
1.	फोरेस्ट व्यू गृ.नि.स. समिति	भगवती नगर	नायला	क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त
2.	कृष्णापुरी गृ.नि.स. समिति	जनता कालोनी	कानोता	खसरा नम्बर अस्तित्व में नहीं होने के कारण निरस्त
3.	मित्र गृह गृ.नि.स. समिति	कानोता विहार	कानोता	कृषि उपयोग में आने के कारण निरस्त
4.	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति	प्रभा विहार	बस्सी	बी.पी.सी. द्वारा निरस्त
5.	बाबा. आर.एन. गौड गृ.नि.स. समिति	हरियाणा काम्पलेक्स	कानोता	अकृषि कार्य में उपयोग नहीं होने के कारण निरस्त
6.	पटेल नगर गृ.नि.स. समिति	पार्श्वनाथ शापिंग सेन्टर	कानोता	विचाराधीन
7.	निक्की टाउन गृ.नि.स. समिति	निक्की टाउन विकास समिति	रघुनाथपुरा	विचाराधीन
8.	पटेल गृह गृ.नि.स. समिति	उद्योग नगर	हीरावाला	विचाराधीन
9.	पटेल नगर गृ.नि.स. समिति	इन्द्रा कालोनी	बस्सी	विचाराधीन
10.	लक्ष्मी नगर गृ.नि.स. समिति	गायत्री विहार	हीरावाला	विचाराधीन

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू-रूपान्तरण सम्बन्धी प्रसारित आदेश

14. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 9 मई, 2005 को सभी प्रकार के भूमि रूपान्तरण एवं नियमन से सम्बन्धित प्रकरणों में धारा 90(बी) की कार्यवाही किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था? यदि हां, तो क्यों? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जुलाई, 2005 में आदेश प्रसारित कर धारा 90(बी) की कार्यवाही पर लगाई रोक हटाने के आदेश प्रसारित किये गये थे? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2005 को सिर्फ पुराने धारा 90(बी) के अन्तर्गत आवेदित प्रार्थना पत्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र योजना अनुमोदन तथा धारा 90(बी) की कार्यवाही तथा भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश प्रसारित किये गये थे? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश के विपरीत सरकार द्वारा नई योजनाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा 90(बी) की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 28 अक्टूबर, 2004 को जयपुर विकास आयुक्त तथा निजी खातेदार विकास कर्तासंघ द्वारा यह तय किया गया था कि धारा 90 (बी) के आदेश योजना अनुमोदित होने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों/न्यासों द्वारा प्रस्तावित टाउनशिप रेगुलेशन को दृष्टिगत रखते हुए तथा अनियोजित विकास को रोकने एवं सुनियोजित नगरीय विकास हेतु धारा 90(बी) की कार्यवाही स्थगित रखी गयी थी।

(2) जी नहीं।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण दिनांक 16.7.2005 को आदेश जारी कर आवासीय टाउनशिप योजनाओं से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र 90(बी) मानचित्र अनुमोदन तथा भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित नवीन आवेदक/प्रार्थना पत्रों पर

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

रोक लगाई गई थी। दिनांक 15.7.2005 के आदेश द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र व 90(बी) सम्बन्धी रोक हटा दी गई थी। आदेशों की प्रति परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उपरोक्त आदेश के विपरीत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नई योजनाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा 90(बी) की कार्यवाही की गई है।

(5) जी हां। यह सही है कि दिनांक 28.10.2004 को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त तथा निजी खातेदार विकासकर्ता संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया कि 90(बी) की कार्यवाही योजना मानचित्र की स्वीकृति के साथ समानान्तरण की जाएगी। परन्तु 90(बी) के आदेश योजना अनुमोदन के पश्चात् ही जारी किए जायेंगे।

दिनांक 28.10.2004 को आयोजित बैठक में निजी खातेदारों की आवासीय योजनाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण किए जाने हेतु उपरोक्तानुसार निर्णय लिया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक जविप्रा/अआ/प/2005/डी-663   दिनांक 15.7.2005

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक जविप्रा/अ.आ./प./एनओसी/05/247 दिनांक 7.3.2005 के द्वारा टाउनशिप रेग्यूलेसन्स के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने एवं पश्चातवर्ती आदेश क्रमांक प-12()जविप्रा/अआ/पूर्व टाउनशिप/02/डी-814 दिनांक 9.5.2005 के द्वारा सभी प्रकार के भूमि रूपान्तरण एवं नियमन से सम्बन्धित प्रकरणों में 90 बी की कार्यवाही किये जाने पर अग्रिम आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से रोक लगायी गयी थी।

उक्त रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाकर प्राधिकरण के सभी प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के उक्त प्रकरणों में नियमानुसार विधि के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं।

डा. ललित के. पंवार
जयपुर विकास आयुक्त

परिशिष्ट "ब"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक जविप्रा/अआ/प/2005/डी-665 दिनांक 16.7.2005

कार्यालय आदेश

नवीन टाउनशिप पालिसी राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है तथा नगरपालिका चुनाव की प्रक्रिया का समाप्ति के पश्चात् इस नवीन टाउनशिप नीति के लागू होने की सम्भावना है। जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अनियोजित नगरीय विकास को रोकने एवं जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र को सुनियोजित नगरीय विकास हेतु नवीन टाउनशिप नीति लागू होने तक जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय परियोजना/टाउनशिप योजना से सम्बन्धित कोई नया प्रार्थना पत्र (यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र, योजना अनुमोदन 90बी की कार्यवाही, भूउपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित) किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। सचिव, समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण, समस्त उपायुक्तगण एवं उनका समस्त स्टाफ इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त

जयपुर विकास प्राधिकरण

परिशिष्ट "स"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

दिनांक 28.10.2004 को अपराह्न 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान निजी खातेदार विकासकर्ता संघ के पदाधिकारियों के साथ "निजी खातेदारों की आवासीय योजनाओं में आ रही, समस्याओं के निराकरण कर आय में बढ़ोतरी करने एवं सुनियोजित विकास करने बाबत" बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में जविप्रा की ओर से निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।

2. निदेशक (अभियांत्रिकी), जविप्रा, जयपुर।

3. अति. आयुक्त (पूर्व/पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में राजस्थान निजी खातेदार, विकासकर्ता संघ द्वारा उठाये गए बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

क्र. सं.	राज. नि. वि. संघ द्वारा उठाए गए बिन्दु	बैठक में लिये गये निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी
1	2	3	4
1.	कार्य के समयबद्ध क्रियान्विति एवं निस्तारण हेतु।	प्रत्येक जोन में स.न.नि./क.अभि./तह./पटवारी के लिंक अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित किए जायेंगे जिससे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश पर	सचिव, जविप्रा,
		जाने से जोन का कार्य अवरूद्ध न हो। इसी प्रकार जोन के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के कार्यभार को भी समान रूप से वितरित किया जायेगा जिससे कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी पर अत्यधिक कार्यभार न रहे।	

1	2	3	4
2.	लिंकरोड/सेक्टर प्लान/ मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण शीघ्र करने हेतु।	सम्बन्धित जोनल अभियन्ता का सेक्टर रोड के डी मार्केशन दायित्व रहेगा। उन सड़कों पर डब्ल्यू.बी.एम. की एक लेयर डाली जायेगी तथा रोड सीमा में जगह-जगह पर सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई करने वाले बोर्ड लगाये जावेंगे।	सम्बन्धित जोनल अभियन्ता
3.	योजना अनुमोदन के पश्चात् 90 बी की कार्यवाही में काफी विलम्ब।	90बी की कार्यवाही योजना मानचित्र की स्वीकृति की कार्यवाही के साथ समानान्तर की जावेगी। परन्तु 90 बी के आदेश योजना अनुमोदन के पश्चात् ही जारी किये जावेंगे।	सम्बन्धित अति. आयुक्त/ उपायुक्त
4.	एन.ओ.सी. की अवधि 2 माह से अधिक बढ़ायी जावें।	इस बिन्दु को निर्णय हेतु कोर कमेटी की आगामी बैठक में रखा जावेगा।	अति. आयुक्त (पूर्व) इस हेतु एजेण्डा तैयार करेंगे एवं निदेशक (वित्त) सदस्य सचिव कोर कमेटी में रखेंगे।
5.	सुविधा क्षेत्र का स्वामित्व विकासकर्ता का होना व आंबटन/ विक्रय करने बाबत।	इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री (नगरीय विकास) के स्तर पर विचार-विमर्श किया जा चुका है तथा राज्य सरकार से इस बाबत आदेश प्राप्त होना अपेक्षित है।	अति. आयुक्त (पूर्व) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्पर्क कर आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे।

1	2	3	4
6.	सेक्टर प्लान के बाहर योजनाओं का अनुमोदन करने हेतु।	इस सम्बन्ध में एजेण्डा प्राधिकरण की होने वाली बैठक हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है परन्तु प्राधिकरण की बैठक न होने से इस बाबत निर्णय नहीं हो पाया है अत: इस बिन्दु पर कोर कमेटी में निर्णय कराकर माननीय अध्यक्ष, जविप्रा, जयपुर की अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	निदेशक (नगर आयोजना) इस हेतु एजेण्डा तैयार करेंगे।
7.	आन्तरिक विकास कार्य के मापदण्ड में संशय एवं भेदभाव होना।	इस पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गयी।	निदेशक (अभियांत्रिकी)
8.	प्रोविजनल पट्टा।	यह बिन्दु मूलत: ऋण से सम्बन्धित है अत: ऋण लेने हेतु सम्बन्धित जोन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमादित मानचित्र के आधार पर जारी किया जावे।	सम्बन्धित उपायुक्त
9.	सभी जातियों की 90 बी की अनुमोदन करने हेतु।	इस प्रकरण में निर्णय में निर्णय राज्य सरकार द्वार लिया जाना है निर्णय की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही तब की जावेगी। इस दौरान इन पत्रावलियों पर कारवाई की जानी चाहिए।	संबंधित अति. आयुक्त/ उपायुक्त

1	2	3	4
10.	भूखण्डधारियों के पट्टी के वितरण के सम्बन्ध में।	इस बिन्दु पर सभी की सहमति थी कि भूखण्डों के पट्टे जविप्रा द्वारा ही जारी किये जाने चाहिए इस संबंध में अगर कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो राज्य सरकार से प्राप्त नहीं किया जावे।	अति. आयुक्त (पूर्व)
11.	योजना के मध्य एवं लगती हुई सरकारी भूमिव पुरानेरास्तेके निस्तारण के बाबत।	2 बीघा तक की भूमि हेतु जविप्रा अधिकृत है। इससे अधिक भूमि के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संबंधित अति. आयुक्त
12.	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर रोड पर 25 प्रतिशत व्यावसायिक भूखण्डों के पट्टे खातेदार को नहीं दिये जा रहे।	व्यावसायिक पट्टे नियमानुसार फ्री होल्ड दर पर जारी किया जाना संभव नहीं होगा इसे रिजर्व प्राइज के आधार पर लीज होल्ड पर जारी किये जा सकेंगे। योजनाओं हेतु रिजर्व प्राइज शीघ्र निर्धारित कर आबंटन पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। संघ ग्रामवार आरक्षित दर तय करने के लिए विवरण प्रस्तुत करेगी।	अति. आयुक्त (पूर्व/ पश्चिम)
13.	दो योजनाओं (निजी/ जेडीए) से लगते हुए मध्य टेढ़े-मेढ़े, भूखण्डों को एकरूपता वर्गाकार करने हेतु।	आपसी सहमति से भूखण्डों को तर्क संगत (Rationalisation) करना उचित होगा इसके लिए जेड.एल.सी. को प्राधिकृत किया जावे। (For Reconsti-tution)	
14.	एच.टी. के नीचे रोड नेट वर्क होना चाहिए।	इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा-निर्देश ऊर्जा विभाग से प्राप्त किये जावें एवं तदनुसार कार्यवाही की जावे।	अति. आयुक्त (पूर्व)

1	2	3	4
15.	दिनांक 14.6.2004 में कम संख्या 3 में बताई गयी समिति सरकार की नीतियों के विपरीत होने के कारण निरस्त की जावें।	जेड.एल.सी. के पश्चात् अन्य समिति के समक्ष प्रकरणों को प्रस्तुत करने की वर्तमान व्यवस्था में आने वाली दिक्कतों को देखने हेतु जेड.एल.सी. के पश्चात् प्रकरणों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार, निदेशक (नगर आयोजना) की अनुशंसा एवं आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त कराकर योजना अनुमादित की जावे। 25 एकड़ से बड़ी योजनाएं पूर्व व्यवस्था के अनुसार बीपीसी (एलपी) के समक्ष प्रस्तुत की जावे।	सम्बन्धित अति. आयुक्त/ उपायुक्त
16.	संघ के पदाधिकारियों द्वारा एन.ओ.सी. अनुमोदन प्राप्त करने में हो रहे विलम्ब को उजागर किया।	एन.ओ.सी/अनुमोदन प्राप्त करने में हो रहे विलम्ब को कम करने की दृष्टि से पत्रावलियां अति.आयुक्त सीधे ही आयुक्त महोदय को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।	अति. आयुक्त (पूर्व/ पश्चिम)

उक्त निर्णयों पश्चात् अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद का प्रस्ताव पारित कर बैठक समाप्त की गयी।

निदेशक (नगर आयोजना)

जयपुर जादौन नगर (बी) की आवासीय योजना का नियमन

15. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जादौन नगर "बी" (दुर्गापुरा) जयपुर योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है?

(2) वर्ष 1990 से अब तक उक्त योजना में किस-किस व्यक्ति द्वारा किस-किस भूखण्ड का किस-किस व्यक्ति को हस्तान्तरण/विक्रय कब-कब किया गया?

(3) उक्त योजना में कुल कितने भूखण्ड हैं? किस-किस भूखण्ड स्वामी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में कब-कब कितनी-कितनी राशि जमा करवाई गई? योजना का साइट प्लान एवं पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2005 को यह आदेश प्रसारित किया गया कि धारा 90 (बी) की कार्यवाही योजना अनुमोदन से पूर्व की जा सकेगी? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 9 अगस्त, 2005 को जारी आदेश के क्रम सं. 4 पर अंकित आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.वी. रिट नं. 4783/03 की भावना के विपरीत है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि आदेश दिनांक 9 अगस्त, 2005 की भावना पूर्व में प्रसारित आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2005 तथा 16 जुलाई, 2005 के विपरीत है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे?

(7) क्या वाटिका एवं ओमेक्स समूह को जिस भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया वह भूमि प्रस्तावित स्पेशल इक़ोनोमिक जोन के लिए आरक्षित थी? यदि हां, तो किस कारण से उक्त समूहों की भूमि को इस इकोनोमिकस जोन से निकाला गया?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1990 से अब तक उक्त योजना में तीन व्यक्तियों के नाम भूखण्ड हस्तान्तरण निम्न प्रकार किये गये हैं :-

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(1) श्री प्रतीम चतुर्वेदी पुत्र श्री बी.एन. चतुर्वेदी, भूखण्ड संख्या 53 हस्तान्तरण की दिनांक 3.1.2001

(2) श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री राम सहाय भूखण्ड संख्या 71 हस्तान्तरण की दिनांक 3.1.2001

(3) श्री किशन अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैयालाल भूखण्ड संख्श 102 हस्तान्तरण की दिनांक 10.10.2001

(3) समिति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कुल 150 भूखण्ड हैं। भूखण्ड स्वामियों द्वारा जमा करवाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा प्रस्तुत योजना का साईट प्लान परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9.8.2005 को यह आदेश प्रसारित किया गया कि धारा 90(बी) की कार्यवाही अनुमोदन से पूर्व अथवा समानान्तर रूप से की जा सकती है। आवासीय योजनाओं के सम्बन्ध में निजी विकासकर्ताओं द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं के निराकरण हेतु यह आदेश जारी किया गया। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90 (बी) में यह अनुक्रम निर्धारित नहीं किया गया है कि 90(बी) की कार्यवाही योजना मानचित्र के अनुमोदन से पूर्व की जाएगी या बाद में।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है कि दिनांक 9.8.2005 को जारी आदेश के क्रम संख्या-4 पर अंकित आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. रिट नं. 4783/03 की भावना के विपरीत है।

जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 9.8.2005 के अनुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार भू-उपयोग परिवर्तन के कार्यवाही सम्पादित करने के उपरान्त ही योजना मानचित्र जारी किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी. रिट नं. 4783/03 की भावना के विपरीत नहीं है।

(6) जी नहीं। यह सही नहीं है कि आदेश दिनांक 9.8.2005 की भावना पूर्व प्रसारित आदेशों दिनांक 15.7.2005 तथा दिनांक 16.7.2005 के विपरीत है।

यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.7.2005 के आदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं 90(बी) की कार्यवाही पर पूर्व में लगाई गई रोक हटाई गई थी ताकि जयपुर विकास प्राधिकरण में उस दिनांक तक प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों पर प्रक्रियानुसार

कार्यवाही की जा सके। दिनांक 16.7.2005 का आदेश जारी कर आवासीय योजनाओं के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र 90(बी), मानचित्र अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्धित नवीन प्रार्थना पत्रों पर रोक लगाई गयी।

(7) जी नहीं। यह सही नहीं है कि वाटिका और ओमेक्स समूह को जिस भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया, वह भूमि प्रस्तावित स्पेशल इकोनोमिक्स जोन के लिए आरक्षित थी। प्रस्तावित आई.टी. सिटी, बी.टी. सिटी, नोलेज सिटी तथा स्पेशल इकोनोमिक जोन हेतु 20 ग्रामों की कुल 15240 बीघा भूमि के अवाप्ति प्रस्तावित जविप्रा द्वारा दिनांक 3.8.2005 को राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं। ओमेक्स तथा वाटिका समूहों को जिस भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह भूमि इस अवाप्ति प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या-16

(स्थगित)

जयपुर वर्ल्ड ट्रेड पार्क हेतु भू-आबंटन प्रकरण

17. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वर्ल्ड ट्रेड पार्क के निर्माण के लिए कब एवं कितनी भूमि किस कीमत पर आबंटित की गई? इसके भुगतान की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है एवं 20 जुलाई, 2005 तक कितना-कितना कब भुगतान किया गया? तथा कितना-कितना भुगतान शेष है एवं यह कब-कब किया जाएगा? शेष राशि पर कितना ब्याज कब-कब से गणना कर अदा किया जाएगा?

(2) उक्त कार्य के लिए सम्बन्धित संस्था को कब्जा सुपुर्दगी कब व किस आधार पर की गई तथा कब्जा सुपुर्दगी कितना प्रतिशत राशि के भुगतान पर करने का प्रावधान है? इस सम्बन्ध में नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें। किन-किन अन्य संस्थानों को पूरा भुगतान नहीं करने पर कब्जा सुपुर्दगी दी गई? मई, 2004 से 20 जुलाई, 2005 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण में लीज डीड जारी करने का क्या नियम है? कितने प्रतिशत भुगतान के उपरान्त लीज डीड जारी की जाती है? उक्त कार्य के

(श्री संयम लोढ़ा)

सम्बन्ध में क्या आधार लिया गया है? उक्त कार्य के लिए सम्बन्धित संस्था को लीज डीड कब जारी की जाएगी? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्य के निर्माण के लिए क्या दिनांक 20 जुलाई, 2005 तक मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया? संस्था द्वारा कितनी प्रतिशत राशि का भुगतान करने पर मानचित्र स्वीकृत करने का प्रावधान है उक्त तिथि तक क्या मानचित्र स्वीकृति हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया था? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त कार्य के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के स्तर पर हुए फैसलों व बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त कार्य से सम्बन्धित संस्था व उसके निदेशकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वर्ल्ड ट्रेड पार्क के निर्माण के लिए 16406.71 वर्ग मीटर भूमि 25,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दिनांक 2.7.2005 को आबंटित की गई। इसके भुगतान की प्रक्रिया बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमैंट प्रमोशन के निर्णयानुसार तय की गई है जो परिशिष्ट– "अ" पर संलग्न है।

20 जुलाई, 2005 तक भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	दिनांक	राशि रु.
1.	21.5.2005	70736763.00
2.	26.5.2005	10,42,694.00
योग अ		**71779457.00**

शेष भुगतान की स्थिति :-

क्र. सं.	दिनांक	राशि रु.	ब्याज रु.	योग
1.	24.11.2005	58107098.00	20918556.00	79025654.00
2.	24.5.2006	58107098.00	17432130.00	75539228.00
3.	24.11.2006	58107098.00	13945704.00	72052802.00

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

4.	24.5.2007	58107098.00	10459278.00	68566376.00
5.	24.11.2007	58107098.00	6972852.00	65079950.00
6.	24.5.2008	58107097.00	3486426.00	61593523.00
योग ब		**348642587.00**	**73214946.00**	**421857533.00**

इस प्रकार संस्था द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का कुल योग (अ+ब) =49,36,36,900/- होता है।

ब्याज की गणना आबंटन तिथि से देय तिथि तक 12 प्रतिशत की दर से की जायेगी।

(2) सम्बन्धित संस्था को कब्जा बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीडी) के दिनांक 20.4.2005 के निर्णयानुसार 15 प्रतिशत नजराना राशि जमा करवाने के उपरान्त दिनांक 25.5.2005 को दिया गया है। कब्जा सुपुर्दगी के विषय में राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) नियम, 1974 के नियम 20 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

जयपुर विकास प्राधिकरण में उपरोक्त के अलावा एक अन्य संस्था गोल्ड सूक को भी समान शर्तों पर कब्जा दिया गया है।

(3) जेडीए में सम्पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही लीज डीड की जाती है। लीज डीड जारी करने के नियमों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इस प्रकरण में भी सम्पूर्ण राशि जमा होने पर ही लीज डीड जारी की जायेगी।

(4) जी नहीं। उक्त कार्य के निर्माण के लिए दिनांक 20 जुलाई, 2005 तक मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया था। बीडी के निर्णयानुसार 15 प्रतिशत राशि अग्रिम जमा कराने पर ही भौतिक कब्जा दिया गया एवं शेष 85 प्रतिशत राशि छः माही किस्तों में जमा करवाई जायेगी। प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कब्जे की तिथि से 2 वर्ष में पूर्ण कराना होगा। इस प्रकार बीडी के निर्णय के अनुसार उपरोक्तानुसार 15 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ही मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। आबंटी संस्था ने दिनांक 20.7.2005 तक मानचित्र स्वीकृति हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दिए थे। उक्त आबंटन बीडी के निर्णय दिनांक 20.4.2005 के क्रम में किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

(5) उक्त कार्य के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के स्तर पर हुए फैसलों व बैठक कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(6) उक्त कार्य से सम्बन्धित संस्था व उसके निदेशकों में श्री साजिद खान व श्रीमती फिरदौस खान मूल प्रवर्तक है एवं श्री अनूप बरतरिया तथा श्री जगदीश पोद्दार नये निदेशक हैं।

परिशिष्ट "अ"

Ref : GOR/BIDI/BIP/2005-06

Government of Rajasthan

Board of Infrastructure Development & Investment Promotion

Bureau of Investment Promotion, Rajasthan
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302 005
Tel : 2227274, 2227812, 2227713 Fax : 2227506

Ref : GOR/BIDI/BIP/2005-06/1519 May 10, 2005

Mr. Anoop Bartaria,
Chief Consultant & Project Director,
R.F. Properties & Trading Pvt. Ltd.,
42, Lal Singh Judo Colony,
Near Jaipuria Hospital, Tonk Road,
Jaipur.

Sub : Setting up of a World Trade Park at Jaipur.

Your proposal for setting up a World Trade Park at Jaipur was considered by the 18th Meeting of Board of Infrastructure Development & Investment Promotion. Land measuring 17579.7 sq. meters surrendered by the Mahalaxmi Society on JLN Marg would be allotted to R.F. Properties and Trading Pvt. Ltd. @ Rs. 25,000 per sq. meter. You would pay 15% of the total amount due upfront to JDA before possession is handed over and the balance with interest at 12% per annum in six half yearly installments. In case of any delay in payment penalty would be attracted. No other concession would be provided to you. The FAR for the project would be restricted to 1.75. The project should be completed within 2 years from the date of taking possession.

Sd/-

(Mira Mehrishi)

Commissioner (Inv. & NRIs)

this extended period, than the allotment of the land shall stand cancelled as provided in the rule :

Provided further that in appropriate cases the Urban improvement Trust in its meeting may regularies such cancellation of land and extend the period of construction of building for such period as it deems fit, if the Institution is prepared to pay penalty at the rate upto 5% of the sale price of land for every year of default of construction.

[1][**19-B, Power and duties of the trust to undertake housing schemes.**-(1) Trust may with previous sanction of the State Government may prepare scheme and erect residential houses or commercial-cum-residential houses or commercial buildings and disposed of them.

(2) The scheme may be of one of the following types or combination of any two or more of such types or of any special features hereof namely :-

(a) housing scheme with special emphasis for the scheduled castes, scheduled tribes and other economically backward classes ;

(b) housing scheme for higher income group or lower income group of persons;

(c) commercial or commercial-cum-residential scheme ;

(d) urban renewal scheme including of slum clearance of slum improvement schemes;

(e) subsidized industrial housing scheme; and

(f) any other scheme with the approval of the State Government.]

[2][**20. Grant of sale deed**-Sale deed for the land shall be executed by the trust when the purchaser/allottee deposits the full cost of land. The possession of land shall be handed over only when sale deed has been issued to the purchaser/allottee by the concerned trust].

21. Reversion-In case the land is not utilised for the purpose for which it has been allotted within a period of two years from the date of allotment after depositing the full cost of plot, the land together

---

1. Inserted vide Notification No. F 9(15)UD/3/2001 dated 15.1.2002, published in Raj. Gazette E.O. Part 6(kh) dated 29.7.2002, page 59(1) with immediate effect.
2. Substituted vide Notification No. F 3(5) UDH/94, G.S.R. 136 dated 30.11.1996, published in Raj. Gazette E.O. Part-IV-(C) (I) dated 19.2.1997, page 251 (2).

परिशिष्ट "स"

BUREAU OF INVESTMENT PROMOTION, RAJASTHAN
UDYOG BHAWAN, TILAK MARG,
JAIPUR

MINUTES OF THE 18TH MEETING OF BOARD OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND INVESTMENT PROMOTION (BIDI) HELD ON 20.4.2005

The 18th Meeting of the BIDI was held on 20.4.2005 under the chairmanship of the Chief Minister. List of participants is at Annexure-1.

The following decisions were taken :

1. NIIT LIMITED

The BIDI considered the investment proposed by NIIT at Kath Ka Majra, District-Alwar. Taking note of the fact that this would be the first private university in the information technology sector, the reputation of this anchor investor and the fact that this was the first major investment in the knowledge corridor, BIDI agreed to allotment of 100 acres of land identified and set aside by the Department of Revenue at 50% of the DLC rate. The BIDI also directed the Revenue Deptt. to bind NIIT to develop a green belt on the land between their boundary line and the hilltop, starting from the foothills. The land for green belt will be owned by the State Government.

The modalities would be determined by the Deptt. Of Revenue. Regarding provision of infrastructure, BIDI directed that PWD construct an 18 meter wide road including 4 meters shoulder on both sides from NH 8 upto the boundary of the premises. However, they may acquire width of land of 60 meters to facilitate further widening of road in case other pipeline investments such as the proposed National Law University by the Ministry of Law and Justice Govt. of India, fructify.

5 KVA of power would be provided by the Jaipur Discom up to the premises. Cost of substation to receive the electricity supply in the premises would be paid for by the promoter. Arrangement for digging two tube wells for supply of water and all other activities within the allotted premises would be made by the promoter.

The BIDI also considered the fact that the land was in the National Capital Region and directed the Revenue Department to ascertain whether it was mandatory to obtain the approval of the NCR Board before allotting the land to the promoter.

2. LAND BANK

BIDI reiterated the necessity of the land Bank and directed the Revenue Department to prepare a date base of all government lands, in key investment locations in the first phase complete with all the requisite locational details required by a promoter. Information collected by BIP be transferred to Revenue Department. The date base would be maintained in the Deptt. of Revenue and the Bureau of Investment Promotion and would be made available on the net.

3. **MANGALAM CEMENT LTD**

BIDI accorded ex post facto approval to the notification issued by the Finance Department granting a further period of 2 years to the 75% exemption in RST and CST granted to the Company earlier. The BIDI noted that the notification was dated 15.4.2005 and applicable with prospective effect and directed the Finance Department to bridge the gap of 15 days, if necessary and legally possible.

4. **PERFEXA SOLUTIONS LTD**

The Board noted the vacillating attitude of the promoter towards investment and employment and the recommendation of the JDA that prime land at Jawahar Circle should not be given @ Rs. 750/- per sq. yards when promoter is not serious on his commitments. The Board directed cancellation of its earlier order made in the BIDI meeting held on 17.9.2003

5. **AERENS GOLD SOUK**

The Board directed the Deptt. of Urban Governance to allot plot no. 2 near Jawahar Circle on Jagatpura Road, measuring about 10,000 Sq. Meters at double the commercial rate for the area i.e. Rs. 25,000 per sq. meter. The promoter would be required to pay 15% of the total amount upfront and the balance amount at 12% interest per annum in 6 equal half yearly installments. In case of delay in payment penalty would be attracted. No other concessions would be given to the promoter. The promoter would have to complete the project in two and a half years from the date of handing over possession by JDA. The total investment (excluding cost of land) would be Rs. 70 crores. The IAR determined would be 1.75

6. **WORLD TRADE PARK**

BIDI directed the Department of Urban Governance to allot 17579.7 Sq. meters of land surrendered by the Mahalaxmi Society on JLN Marg to RF Properties and Trading Pvt. Ltd. @ Rs. 25,000 per sq. meter. The promoter would pay 15% of the total amount due upfront before possession is handed over and the balance with interest at 12% per annum in six half yearly installments. In case of any delay in payment penalty would be attracted. No other concession would be provided to the promoters. The FAR for the project would be restricted to 1.75 as was done in the case of GECIS. The project would be completed within 2 years from the date of taking possession.

The Board was also apprised that the FD had examined the requests made by

i. SAMCOR LIMITED AND

ii KAJARIA CERAMICS

Finance Department had not recommended either.

In both the cases, Aerens Goldsouk and World Trade Park, Department of UDH would determine how the lease agreement could be executed without the full amount being deposited. The possibility of an irrevocable

bank guarantee could be considered along with other options. With regard to giving concessions on registration fees etc. as per provision of RIPS 2003, it was felt that both the Gold Souk and the World Trade Park were projects of commercial nature and if this concession was extended to them then conceivably every mall and every block of flats coming up in the state would be eligible for these benefits. The Board, therefore, felt that RIPS concessions should not be extended to projects of a commercial nature.

Annexure-1

BUREAU OF INVESTMENT PROMOTION
UDYOG BHAWAN, TILAK MARG
JAIPUR
LIST OF PARTICIPANTS

MEETING OF BIDI ON 20.4.2005 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE HONABLE CHIEF MINISTER

1. Shri Narpat Singh Rajvi
   Hon'ble Industries Minister, Rajasthan

2. Shri Pratap Singh Singhvi
   Hon'ble Minister for Urban Development & Housing

3. Shri Anil Vaish
   Chief Secretary

4. Shri D.C. Samant
   Addl. Chief Secretary to CM

5. Shri Parmesh Chandra
   Principal Secretary Revenue

6. Shri T. Srinivasan
   Principal Secretary Industries

7. Shri Rajiv Mehrishi
   Principal Secretary Finance

8. Smt. Usha Sharma
   Secretary UDH

9. Shri Lalit K. Panwar
   Commissioner, Jaipur Development Authority

10. Smt. Mira Mehrishi
    Commissioner (Inv. & NRIs)

11. Shri Akhil Arora
    Director IT

12. Arijit Banerjee
    Dy. Secretary (A) to CM

नैनवां उप जिलाधीश द्वारा पत्रावलियों के तलाश हेतु जारी वारंट

18. श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप जिलाधीश (उप जिला मजिस्ट्रेट) नैनवां (बून्दी) द्वारा वर्ष 2000 से अब तक की अवधि में धारा 97 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत सरकारी पत्रावलियों एवं अन्य कागजात को तलाश करने के तलाशी वारन्ट जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा अब कितने कागजात एवं पत्रावलियां तलाश की जानी शेष रही हैं? वारन्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में पत्रावली तथा कागजात तलाशी के लिए अन्य कार्यवाही एवं पत्राचार किया गया है? यदि हां, तो विवरण सहित प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में पुन: कार्यवाही अमल में लाई जायेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। उप जिला मजिस्ट्रेट, नैनवां द्वारा वर्ष 2000 से अब तक की अवधि में धारा 97 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कोई तलाशी वारन्ट जारी नहीं किया गया।

(2) उक्त अवधि में उपखण्ड अधिकारी, नैनवां द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 94 के अन्तर्गत आबंटन पत्रावली एवं कूटरचित दस्तावेजों के लिए तलाशी वारन्ट दिनांक 17.3.2001 को जारी किया था, जिसकी पालना में उप पुलिस अधीक्षक द्वारा तलाशी ली गई। बाद तलाशी फर्द तलाशी, कुछ भी नहीं मिलने की प्रस्तुत की गई। तलाशी वारन्ट एवं उप पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 2 में प्रस्तुत विवरण के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रारूप संख्या

संदिग्ध निर्देश स्थान की तलाशी के लिए वारण्ट

(धारा 94 देखिए)

प्रेषिति-श्री राजेश कविता वृताधिकारी, नैनवां

उपखण्ड अधिकारी

मेरे समक्ष यह इतिला दी गई है और उस पर की गई सम्युक जांच के पश्चात् मुझे यह विश्वास हो गया है कि निवास, श्री बजरंग लाल शर्मा, नैनवां का चुराई हुई सम्पत्ति के निक्षेप आबंटन पत्रावलियों एवं कूटरचित दस्तावेजों के लिए स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है।

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त गृह निवास स्थान, नैनवां में ऐसी सहायता के साथ प्रवेश करें जैसी अपेक्षित हो, और यदि आवश्यक है तो उस प्रयोजन के लिए उचित बल का प्रयोग करें और उक्त गृह.............. के प्रत्येक भाग............की तलाशी ले और किसी सम्पत्ति आबंटन पत्रावलियों को और किन्हीं उपकरणों और सामग्रियों को भी जिनके बारे में आपको उचित रूप से विश्वास हो सके कि ये.............कूटरवित दस्तावेज या कुटकृत सामग्री रखी गई है, अनुहीत करें और अपने सूची में ले और उक्त पदों में से अपने कब्जे में ली गई बातों को तत्काल न्यायालय के समक्ष लाए और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ अपने किसी उसे पृष्ठों द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे इसका निष्पादन हो जाने तक अविलम्ब लौटा दे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

नैनवां (बून्दी)

कार्यालय नैनवां

दिनांक 17.3.2001

भूल ही जाए रवाना तलाशी मय फर्द रवाना तलाश।

संलग्नशुदा के वापस पेश है।

फर्द खाना तलाशी आज मकान श्री बजरंग लाल S/o श्री नत्थू लालजी जाति ब्राह्मण उम्र 54 साल नि. वार्ड नं. 13 नैनवां बसिल जिले तामील वारन्ट तलाशी आपदा S.D.M. साहल नैनवां कुआ 487/न्याय/2001 दिनांक 17.3.2001

दिनांक 17.3.2001

समय 11 AM

अबद्ध गवाहान

(1) श्री रहीस अली S/o गनी मोहम्मद मुसलमान नि. वार्ड नं. 13 नैनवां उम्र 30 साल

(2) श्री आजाद मोहम्मद S/o मकबूल मोहम्मदजी मुसलमान उम्र 34 साल R/o नैनवां

उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन राजेश कुमार कांवत Dxsp नैनवां ने श्रीमान् SDM साहब नैनवां से प्राप्त शुदा वारन्ट खाना तलाशी की तामील में मकान श्री बजरंग लाल S/o श्री नाथू लालजी जाति शर्मा R/o वार्ड नं. 13 नैनवां के मकान की रवाना तलाशी नियमानुसार स्वयं की जमा तलाशी गवाहान से लिखाकर ली गई तथा बाद खाना तलाशी के वापस स्वयं की जाया तलाशी गवाहान न श्री बजरंग लाल को दी गई। एवं गवाहान दोनों की जमा तलाशी भी खाना तलाशी से पूर्व व बाद में मेरे द्वारा ली गई। तो अजयराम श्री बजरंग लाल की खाना तलाशी में कोई कूटरचित दस्तावेज आबंटन पत्रावलियां या अन्य कोई वस्तु के अवैध कब्जे में हो दस्तयाल नहीं हुई। उक्त खाना तलाशी के दौरान श्री बजरंग लाल S/o नाथूलाल शर्मा स्वयं मौजूद रहा।

नोट :-फर्द खाना तलाशी हुकम आपदा मुर्तिन कर रकबा आपदा हाजरीन को पढ़कर सुनाई सही भान हस्ताक्षर किये। फर्द की प्रति श्री बजरंगलाल को दी गई।

बजरंग लाल शर्मा

17.3.2001

महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज बीकानेर के विस्तार हेतु भू-अवाप्ति प्रकरण

19. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सैन्य आवश्यकताओं को देखते हुए जिला बीकानेर में रक्षा विभाग द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के क्षेत्र में विस्तार के नाम पर और भूमि चाही गई है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कब-कब व कितनी? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्तार के नाम पर अवाप्त किए जाने वाले गांवों के होने वाले विस्थापितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि एवं उन्हें पुनर्स्थापित करने हेतु कोई नीति राज्य सरकार द्वारा तय की गई है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या यह सही है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज के विस्तार के अलावा जिला बीकानेर में रक्षा विभाग द्वारा भूमि चाही गई है? यदि हां, तो कहां पर व कितनी?

उत्तर

(1) सेना की फील्ड फायरिंग रेंज के विस्तार की मंशा है परन्तु भूमि को चिन्हित कर प्रस्ताव सेना से राज्य सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) अब तक सेना द्वारा फील्ड फायरिंग रेंज के विस्तार हेतु भूमि नहीं ली जाती है, नीति निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी हां। विवरण निम्न प्रकार है :- 1. मुख्यालय 180, आर्म्ड बिग्रेड, सेना के संयुक्त शस्त्र प्रशिक्षण के लिए 53 गांव/चकों की 237938.19 हैक्टेयर भूमि अवाप्त/आबंटन हेतु प्रस्तावित की गई है। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। 2. 27 एम्युनेशन कम्पनी द्वारा 56 एपीओ ने चक 629-750 आर डी सतासर तहसील छतरगढ़ में आयुध डिपो हेतु 407.11 बीघा भूमि अवाप्ति/आबंटन हेतु प्रस्तावित की गई है।

परिशिष्ट "क"

सेना के संयुक्त शस्त्र प्रशिक्षण (सीएटीएफ) के लिए अवाप्त/आबंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का तहसील/ग्रामवार विवरण

तहसील बीकानेर

क्र. सं.	नाम ग्राम	रकबा हैक्टेयर में
1.	जालवाली	7537.52
2.	नूर मोहम्मद की ढाणी	1843.95
3.	नूरसर	2996.07
4.	शरह बोरला (गैर आबाद)	2363.30
5.	कयमलसर	12348.11
6.	कालासर	9314.09
7.	सवाईसर	4493.23
8.	हेहर जोगरान	116.75
9.	लाखूसर	6195.43
10.	कावनी	11091.22
11.	बदरासर	579.06
12.	मेहरासर	5312.55
13.	भरूपावा	647.94
14.	भरूखीरा	1295.87
15.	शरह भाउव्यास (गैर आबाद)	101.26
	योग	**66336.35**

तहसील पूगल

क्र. सं.	नाम ग्राम	रकबा हैक्टेयर में
1.	भणावतावाला	3880.76
2.	करणीसर भाटियान	9803.57
3.	बरजू	4513.44
4.	बराला	3277.06
5.	दीनसर	2700.87
6.	भानीपुरा	17466.76
7.	रामसर छोटा	6156.12
8.	बान्दरेवाला	5567.67
	योग	**53366.25**

तहसील छत्तरगढ़

क्र. सं.	नाम ग्राम	रकबा हैक्टेयर में
1	2	3
1.	गोरीसर	3209.00
2.	सावोलाई	5540.00
3.	राजासर भाटियान	13638.00
4.	कुण्डा	4614.00
5.	नापासरिया	2682.00
6.	अम्बारण	1191.00
7.	छत्तरगढ़ बारानी	10065.00
8.	मोतीगढ़	9561.00
9.	सतासर	8584.00
10.	केला	14378.00
11.	सरदारपुरा	8899.00
12.	चक 5 एसटीएम	341.00
13.	चक 2 एसटीएम	415.26
14.	सतासर बारानी	1159.11
15.	छत्तरगढ़ बारानी	456.54
16.	चक 3 डीओएल	613.16
17.	चक 2 एडब्ल्यूएम	126.46
18.	चक 1 एडब्ल्यूएम	259.24
	योग	85932.33

तहसील लूणकरणसर

क्र. सं.	नाम ग्राम	रकबा हैक्टेयर में
1.	डेलाना बड़ा	4343.31
2.	बीरमाना	1541.87
3.	खोखराना	4043.87
4.	खिलेरिया	2655.12
5.	शोभोलाई	1940.27
6.	अलोदा	1420.63
7.	लखावर	3072.82

तहसील लूणकरणसर

क्र. सं.	नाम ग्राम	रकबा हैक्टेयर में
8.	अजीतगाना	1616.82
9.	करनाली	1646.56
10.	मूसलकी	1222.08
11.	बींझरवाली	5517.76
12.	मकड़ासर	3282.95
	योग	**32303.26**

तहसीलवार कुल योग

तहसील बीकानेर तहसील बीकानेर	66336.35
तहसील पूगल तहसील पूगल	53366.25
तहसील छत्तरगढ़ तहसील छत्तरगढ़	85932.33
तहसील लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर	32303.26
कुल योग	**237938.19**

मोहनपुरा ग्राम तहसील बस्सी की चरागाह भूमि के कब्जों का नियमितीकरण

20. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हल्का पटवार सर्किल ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में चरागाह भूमि स्थित है? यदि हां, तो इस पटवार सर्किल में स्थित चारागाह भूमि के ग्रामवार खसरा नम्बर एवं भूमि के रकबाओं की सूची मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पटवार सर्किल के ग्रामों में स्थित चरागाहों की भूमि पर चरागाह के समीप स्थित काश्त की भूमि के काश्तकारों ने अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं? यदि हां, तो किन-किन ने कितनी-कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री समर्थ लाल)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पटवार सर्किल में चरागाहों पर अनधिकृत कब्जाधारियों को धारा 91 के नोटिस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को तथा कितनी-कितनी भूमि के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्व में ऐसे कब्जाधारियों को चरागाह भूमि का उनके हक में नियमितीकरण किया गया है? यदि हां, तो किस अवधि तक के कब्जाधारियों का? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार कालान्तर तक अर्थात् अधिक समय तक के ऐसे कब्जाधारियों को भविष्य में भी चरागाहों का नियमितीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि ऐसे प्रक्रिया का निर्णय होता रहने पर चरागाह भूमि नहीं रहेगी? यदि हां, तो क्या ऐसे निर्णयों पर सरकार चरागाहों को कायम रखने की दृष्टि से रोक लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह भी सही है कि धारा 91 के मामले में नोटिस हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर जारी किये जाते रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार चरागाहों की भूमि को यथावत् रखने की दृष्टि से धारा 91 के नोटिस जारी न करके ऐसे अनधिकृत कब्जों को मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो ऐसे कब्जों को कब तक मुक्त करवा लिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। हल्का पटवार सर्किल मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित चरागाह भूमियों की ग्रामवार, खसरा नम्बर एवं रकबा की सूची मय नक्शा परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। चरागाह भूमि पर समीप स्थित काश्त की भूमि के काश्तकारों द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जों की सूची अतिक्रमी मय रकबा संलग्न परिशिष्ट "ख" है।

(3) जी हां। परिशिष्ट "ख" में वर्णित ग्राम (मोहनपुरा के अतिरिक्त) चारागाह पर अनधिकृत कब्जाधारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के नोटिस तहसीलदार द्वारा जारी किये गये हैं। ग्राम मोहनपुरा जयपुर विकास प्राधिकरण में होने से तहसील द्वारा अतिक्रमियों की सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण को भिजवा दी गई है।

(राजस्व मंत्री)

(4) उक्त ग्रामों में पूर्व में नियमितिकरण नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं। आदेश दिनांक 2.2.1983 के तहत दिनांक 1.1.1970 से पूर्व के कब्जेधारियों को ही नियमन का प्रावधान है।

(6) जी नहीं। चरागाह के आबंटन/नियमितिकरण करते समय चरागाह की क्षतिपूर्ति का ध्यान रखा जाता है। चरागाह को कायम रखने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-16 में व्यापक प्रावधान है।

(7) जी हां। यह सही है कि राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के मामलों में नोटिस हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर जारी किये जाते हैं। राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी करना आवश्यक प्रक्रिया है और कब्जा नहीं हटाने पर अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखल करने तथा उनके विरुद्ध वर्तमान में प्रभावी कार्यवाही करने के धारा 91 में प्रावधान है। राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 उप धारा 6 में अतिक्रमी के विरुद्ध दोषसिद्धि पर सजा, जो कम से कम एक माह तथा अधिकतम 3 वर्ष और जुर्माना बीस हजार रुपये तक का प्रावधान है।

(नक्शा पुस्तकालय में रखा गया)

देसूरी विधान सभा क्षेत्र की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

21. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली ज़िले में वर्तमान में कुल कितनी गोचर भूमि कहां-कहां पर चिन्हित है? खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में कितनी गोचर भूमि आबंटित है एवं वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है?

(3) सरकार गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या प्रयास कर रही है एवं कब तक इन अतिक्रमणों को हटा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) पाली जिले में कुल 9 तहसीलों में 82321.3 हैक्टर गोचर भूमि है। (तहसीलवार खसरा नम्बर सहित सूची संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में कुल 14049 है. गोचर भूमि स्थित है। इसमें से 11.93 है. भूमि का आबंटन विभिन्न सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थानों को किया गया है। शेष भूमि गोचर दर्ज है।

(3) गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिये राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अन्तर्गत प्रावधान किया हुआ है, जिसकी शक्तियां तहसीलदार में नीहित की हुई हैं। ऐसे प्रकरणों में लगातार कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बीड़ सरकारी (जयपुर) की जमाबन्दी

22. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम बीड़ सरकारी पटवार हल्का झोटवाड़ा तहसील जयपुर जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में खसरा नं. 110 से 121 तक का कुल रकबा कितना है? और उक्त रकबे में किस-किस का कितना-कितना रकबा दर्ज रिकार्ड है? विवरण जमाबन्दी व नक्शे की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का बेचान खातेदारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है? यदि हां, तो किस-किस ने किस-किस के नाम बेचान किया और किस खातेदार की भूमि शेष रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीड सरकारी पटवार हल्का झोटवाड़ा तहसील जयपुर, जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में खसरा नम्बर 110 से 121 तक की कुल रकबा 21.11 बीघा है। श्री रामजमन, भौरीलाल, पापूराम, छोटूराम पिता लक्ष्मीनारायण हिस्सा 5/6 सा.दे. कदीम है, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा लगभग 72 बिस्वा आता है। रामसहाय, गणेश, बंशी, बृजमोहन, बाबूलाल पि. सुवालाल हिस्सा 1/6 जाति माली सा.देह कदीम है, जिसमें प्रत्येक खातेदार का हिस्सा लगभग 14 बिस्वा आता है। नक्शा व जमाबन्दी की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(नक्शा आदि पुस्तकालय में रखा गया)

चक नम्बर एक कस्बा भरतपुर की पोखर भूमि का खातेदारी प्रकरण

23. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा भरतपुर चक नम्बर एक की सम्वत् 1994 की खेवट खतौनी (रिकार्ड आफ राइट) में खसरा नम्बर 1488 मिल्कीयत सरकार दौलत मदार तथा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि पोखर दर्ज थी?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 1488 महज एक साल के अस्थाई पट्टे पर सम्वत् 2009 से पूर्व दी गई थी तथा सम्वत् 2009 में तथा उसके बाद यह भूमि पट्टेदारी पर कभी नहीं दी गई थी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर 1488 की पोखर पर कभी सिंघाडा के अतिरिक्त कोई काश्त नहीं हुई है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पोखर की भूमि पर खातेदारी दे दी गई है? यदि हां, तो क्या यह धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत दी गई है?

(5) क्या सरकार उक्त पोखर की भूमि पर वर्तमान कब्जाधारियों को अतिक्रमणकारी मानकर उनके विरुद्ध सरकारी भूमि से कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) यह सही है कि सम्वत् 1994 में खेवट खतौनी में ख. नं. 1488 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा सरकार दौलत मदार के खाते में अंकित है, परन्तु जिसकी खतौनी संख्या 381 पर रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा पर किस्म सैराबी अंकित है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) भूमि की बन्दोबस्ती किस्म सैरावी दर्ज होने से उक्त भूमि पर खातेदारी दे दी गई।

(राजस्व मंत्री)

(5) इस भूमि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर में विचाराधीन है। जिसमें निर्णयोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बारां जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

24. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ के किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद किस-किस चिकित्सालय में रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापन करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला बारां के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थावार एवं पदवार तथा विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक प्रथम एवं द्वितीय नर्स श्रेणी प्रथम, टीबीएचवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, सैक्टर सुपरवाइजर, बीएचएस (मेल/फिमेल) एसएमपीडब्ल्यू एवं मलेरिया निरीक्षक के पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

सीधी भर्ती वाले नर्स श्रेणी द्वितीय, बीसीजी टैक्नीशियन, प्रसाविका, लैब टैक्नीशियन, दन्त टैक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर, वार्डबाय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

परिशिष्ट "अ"

बारां जिला के चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है

विधान सभा क्षेत्र का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
बारां	सामान्य चिकित्सालय बारां	वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र, गायनी)	2
		नर्सिंग अधीक्षक प्रथम	1
		नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	4
		नर्स श्रेणी प्रथम	4
		वार्डबाय	1
	टीबी क्लिनिक बारां	टीबीएवबी	1
		बीसीजी टैक्नीशियन	2
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अन्ता	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीसवाली	सफाई कर्मचारी	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायथल	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बमूलियाकलां	वार्डबाय	1

1	2	3	4
	प्राइज़ स्वास्थ्य केन्द्र कोयला	नर्सश्रेणी द्वितीय	1
		सैक्टर सुपरवाइजर	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर	सैक्टर सुपरवाइजर	1
		लैब टैक्नीशियन	1
किशनगंज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगंज (ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र)	चिकित्सा अधिकारी	2 (इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा अधिकारी-स्नातकोत्तर हड्डीरोग का पद स्वीकृत एवं रिक्त है।)
		नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा (ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	1
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहबाद	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी, नेत्र, सर्जरी)	3
		चिकित्सा अधिकारी	2
		नर्स श्रेणी प्रथम	3
		नर्स श्रेणी द्वितीय	5
		दन्त टैक्नीशियन	1
		सहायक रेडियोग्राफर	1

1	2	3	4
		वार्डबाय/सफाई कर्म.	6
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेलावन	नर्सश्रेणी द्वितीय	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		वार्डबाय/सफाई कर्म.	2
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परानिया	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		लैब टैक्नीशियन	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाहरगढ़	वार्डबाय	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समशनिया	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
अटरू	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटरू (ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडी.)	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	1
		बीएचएस मेल	1
		बीएचएस फिमेल	1
		एमपीडब्ल्यू	1
		एसएमपीडब्ल्यू	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामला (ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र)	एमपीडब्ल्यू.	2
		बीएचएस मेल	1

1	2	3	4
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मौठपुर	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		सफाई कर्मचारी	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आटोन	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वरडाना (इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत)	चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2
		प्रसाविका	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		लैब टैक्नीशियन	1
		वार्डबाय/सफाई कर्मचारी	3
छबड़ा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग, सर्जरी)	2
		नर्स श्रेणी प्रथम	2
		नर्स श्रेणी द्वितीय	4
		सहायक रेडियोग्राफर	1
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छीपाबड़ौद	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी, सर्जरी)	2
		नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		सहायक रेडियोग्राफर	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाली	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		लैब टैक्नीशियन	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैपला	नर्स श्रेणी द्वितीय	1

1	2	3	4
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		वार्डबाय/सफाई कर्म.	2
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारथल (ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र)	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		एमपीडब्ल्यू	1
		बीएचएस	1
		एमआई	1
		एसएमपीडब्ल्यू	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेतकेतु	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		लैब टैक्नीशियन	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलूखेड़ा (इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत)	चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2
		प्रसाविका	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		लैब टैक्नीशियन	1
		वार्डबाय/सफाई कर्मचारी	3
पीपल्दा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांगरोल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बमोरीकला (ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		एमपीडब्ल्यू	1
		बीएचएस मेल	1
		प्रसाविका	1
		वार्डबाय	1

दूदू विधान सभा क्षेत्र एवं फागी के राजस्व ग्रामों में चिकित्सा व्यवस्था

25. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू एवं फागी के ऐसे कौन-कौन से राजस्व गांवं हैं जहां चिकित्सा की व्यवस्था तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र विहीन राजस्व ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू एवं फागी के नागरिकों को स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से समूचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विधान सभा क्षेत्र दूदू एवं फागी के अन्तर्गत आने वाले ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें कोई चिकित्सा संस्थान/उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्धारित ग्रामीण जनसंख्या आधारित मापदण्ड के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र दूदू एवं फागी में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड से भी अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र दूदू एवं फागी के अन्तर्गत आने वाले ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें कोई चिकित्सा संस्था /उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है की सूची

विधानसभा क्षेत्र का नाम	राजस्व ग्राम का नाम जिनमें कोई चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं है।	विधानसभा क्षेत्र का नाम	राजस्व ग्राम का नाम जिनमें कोई चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं है।
1	2	1	2
दूदू	मानपुरा	दूदू	अनन्तपुरा
दूदू	महेशपुरा	दूदू	आई दान का बास
दूदू	चक महेश पुरा	दूदू	खेडी अनूफा

1	2	1	2
दूदू	बालोला	दूदू	लापोडिया
दूदू	खेड़ी राम	दूदू	सिनोदिया
दूदू	पालबास	दूदू	गैगा
दूदू	सैनी पुरा	दूदू	गाडाति
दूदू	बाढ़ मथुसदास	दूदू	श्योसिंह पुरा उर्फ बासडी
दूदू	गोपालपुरा	दूदू	सीतारामपुरा
दूदू	खेढी चारणान	दूदू	चक काण्डियावास
दूदू	केडियाखुर्द	दूदू	कापड़ियावास खुर्द
दूदू	कचनारिया	दूदू	पालू खुर्द
दूदू	ढोढवाड़ा	दूदू	पालू कला
दूदू	सस्थला	दूदू	चान्द मूल
दूदू	छापरी	दूदू	रामपुरा उर्फ बाडिया
दूदू	गोविन्द पुरा	दूदू	नौल्या
दूदू	जावली	दूदू	श्योपुरा
दूदू	नांगल	दूदू	भोजपुरा
दूदू	बागेत	दूदू	जसुराम
दूदू	गुढा सायपुरा	दूदू	गोपीपुरा
दूदू	श्योसिंह पुरा बासड़ा	दूदू	मौर सर
दूदू	ककराला	दूदू	चारण वास
दूदू	ढाढ ककराला	दूदू	रामनगर
दूदू	गगातिखुर्द	दूदू	भावसा
दूदू	खटवास	दूदू	कन्देवली
दूदू	किशनपुरा	दूदू	नारदपुरा
दूदू	चक दूदू	दूदू	झरना
दूदू	छिर्र	दूदू	देवला
दूदू	सुरि	दूदू	कोटजेवर

1	2	1	2
दूदू	चक झाग	दूदू	गोपालपुरा
दूदू	तन झाग	दूदू	मीण्ढक्या
दूदू	भगवतसिंहपुरा	दूदू	भैराणा
दूदू	भासिंहपुरा	दूदू	सोरदान का बास
दूदू	भगवतपुरा	दूदू	नया बास
दूदू	किला	दूदू	बिगोलाव
दूदू	माधोपुरा	दूदू	पवालिया
दूदू	पातुडी	दूदू	झकोलड
दूदू	महल गांव	दूदू	दातरा
दूदू	धमाणा	दूदू	रामपुरा
दूदू	मीरापुरा	दूदू	बस्सी झाझड़ा
दूदू	चकमीरापुरा	दूदू	गुडा कुमादतान
दूदू	ईटाखोई	दूदू	बुद्धजी का बास
दूदू	नगरी	दूदू	चक बुद्धजी का बास
दूदू	गोठडा 3	दूदू	चन्दपुरा
दूदू	भमेरिया	दूदू	सूर्यपुरा
दूदू	बिलीलाय	दूदू	ढाणी चन्द्र पुरा
दूदू	उदयपुरिया	दूदू	बावनीयावास
दूदू	जैकमपुरा	दूदू	कवर पुरा
दूदू	मालेडा	दूदू	डाकनिया वास
दूदू	नया गांव	दूदू	मोरडी कला
दूदू	बरडोटी	दूदू	नीमली
दूदू	झपोक	दूदू	पीगून
दूदू	लीलपुरा	दूदू	जखावता
दूदू	कोचिया की ढाणी	दूदू	बांकिड़वास

1	2	1	2
दूदू	पानवा केली	दूदू	मातेडा
दूदू	आदरवा	दूदू	श्योसिंहपुरा
दूदू	मोरडा	दूदू	खाजपुरा
दूदू	गिरधारी पुरा	दूदू	कचनार
दूदू	चारण्ग चक्या	दूदू	डेडू
दूदू	कल्याणसर	दूदू	रामपुराभूरटिया
दूदू	गणेशपुरा	दूदू	श्री निवास पुरा
दूदू	कल्याण पुरा	दूदू	देव पुरा
दूदू	जैबल्या का बास	दूदू	छापरवाडा
दूदू	बाराडा	दूदू	छप्प्या
दूदू	केरिया	दूदू	शुरसिंह पुरा
दूदू	खेडी सुआ	दूदू	माझीपुरा
दूदू	रोशनपुरा	दूदू	गुमानपुरा
दूदू	रेटा रेटी	दूदू	नौरंगपुरा
दूदू	फरियारपुर	दूदू	बालापुरा
दूदू	श्रीरामपुरा	दूदू	नन्दा की ढाणी
दूदू	डोगरा	दूदू	मुंगी थला
दूदू	डोगरी	दूदू	दयालपुरा
दूदू	बनेड़िया	दूदू	नाचनी पुरा
दूदू	केरियाबुजुर्न	दूदू	भीरावता
दूदू	बेनी खेडा	दूदू	रीगणी
दूदू	सांवलपुरा	दूदू	सीतारामपुरा
दूदू	हरिपुरा	दूदू	मोरडी खुर्द
दूदू	बागपुरा	दूदू	शेखपुर
		दूदू	दोबडी

1	2	1	2
दूदू	दोबडी	फागी	कुंज बिहारीपुरा
दूदू	काल्या	फागी	भीमपुरा
दूदू	सीगंला	फागी	हरवंशपुरा
दूदू	श्रीरामनगर	फागी	कुच्यावास
दूदू	चरासड़ा	फागी	सावंल
दूदू	महेशबास	फागी	देवनगर
दूदू	शोलावता	फागी	गोपाल नगर
दूदू	सिरोही खुर्द	फागी	बाला पुरा
दूदू	मोरूदा	फागी	काग्या
दूदू	पानवा	फागी	नवल किशोरपुरा
दूदू	गोटेडा	फागी	गुलाबपुरा चक
दूदू	मण्डपी	फागी	रायथल
फागी	बुकनी	फागी	जानकी नाथपुरा
फागी	नन्दलाल पुरा	फागी	अमरपुरा
फागी	शेर पुरा	फागी	जावड
फागी	सारदला	फागी	रामपुरा
फागी	गोविन्दपुरा	फागी	किशनपुरा
फागी	टिकेल मेरूकान	फागी	गुलाबपुरा
फागी	सालरसू	फागी	कारवा
फागी	राता खेडा	फागी	निहालपुरा
फागी	जगतशिरोमणी पुरा	फागी	मदनपुरा
फागी	टिकेल पुरोहितान	फागी	झोडिन्दा भोजपुरा
फागी	पीनाथ	फागी	सुलतानिया
फागी	रेवन्दपुरा	फागी	आवडिया
फागी	रोटवाडा	फागी	रामपुरा

1	2	1	2
फागी	सावां का वास	फागी	हथेली
फागी	शंकर पुरा	फागी	धुवालिया
फागी	भरत पुरा	फागी	पावसू
फागी	नारेडा	फागी	मोरडी
फागी	छापरी	फागी	कंवरपुरा
फागी	गुलाब पुरा	फागी	केरिया
फागी	गणेश पुरा	फागी	खडुज
फागी	धुवालिया	फागी	मदनपुरा
फागी	डालनिया	फागी	बाढ मोरडी
फागी	हचूकडा	फागी	खेड़ा हनुमानजी
फागी	नारी खेडा	फागी	देवमण्ड
फागी	कास्या	फागी	वीरमपुरा
फागी	श्रीरामगंज	फागी	बड़होली
फागी	जगन्नाथपुरा	फागी	मस्ता
फागी	किशोरपुरा	फागी	पालड़ी
फागी	समेलिया	फागी	सिरस्या
फागी	चान्दमा खुर्द	फागी	गडुडा
फागी	लाखावास	फागी	नैनस्या
फागी	मण्डप	फागी	डाबिच गुजरान
फागी	रामचन्द्र पुरा	फागी	डाबिच मालियान
फागी	बाढ रामचन्द्र पुरा	फागी	फतेहरामपुरा
फागी	विमलपुरा	फागी	श्री रामजीपुरा
फागी	मोहनपुरा रणवा	फागी	रामसिंहपुरा
फागी	रामपुरा रेलवे	फागी	गोपालपुरा
फागी	रतनपुरा	फागी	डालूवाड़
फागी	नथमलपुरा	फागी	बीड रामचन्द्रपुरा

1	2	1	2
फागी	रामपुरा	फागी	प्रेमपुरा
फागी	खेजड़ों का बास	फागी	नोन्दपुरा
फागी	जयचन्द्र का बास	फागी	मुरतपुरा
फागी	मोहनपुरा पृथ्वीसिंह	फागी	सोदड़िया
फागी	प्रतापपुरा	फागी	सरस्वतीपुरा
फागी	चानदावास	फागी	बिशालू
फागी	मानपुरा गेट	फागी	आज नोटा
फागी	श्री राजपुरा	फागी	ऊंट का खेड़ा
फागी	डाबला खुर्द	फागी	चन्द्रापुरा
फागी	गणेशपुरा	फागी	मुकन्दपुरा
फागी	डाबला बुजूर्ग	फागी	अनोतिया कलां
फागी	बावडी कौशल्यादास	फागी	भानपुरा
फागी	सीतारामपुरा	फागी	संग्रामपुरा
फागी	कुन्दनपुरा	फागी	हनोतिया खुर्द
फागी	बोकड़ावास	फागी	हनोतिया कला
फागी	जयपालपुरा	फागी	भोजपुरा
फागी	बासडी जोगियान	फागी	दतुली
फागी	भाकरोटा	फागी	काटोली
फागी	जायल किशोरपुरा	फागी	मण्डालियाजोग
फागी	झराना	फागी	खिजुरिया
फागी	झराना खुर्द	फागी	जूगल किशोरपुरा
फागी	झोपड़िया	फागी	श्री दौलतपुरा
फागी	दौसरा खुर्द	फागी	देव किशन पुरा
फागी	गोविन्दपुरा	फागी	भोज्या दण्ड

1	2	1	2
फागी	बृजनाथपुरा	फागी	चक मुरारपुरा
फागी	श्री किशनपुरा	फागी	छांदेल कला
फागी	चक श्रीकिशनपुरा	फागी	छांदेल खुर्द
फागी	मानसर	फागी	बीड पीनारपुरा
फागी	बिनोदी लाल पुरा	फागी	गणेशपुरा
फागी	अंकेशपुरा	फागी	रामनिवास पुरा
फागी	सेवारामपुरा	फागी	भगवान पुरा
फागी	किरतपुरा	फागी	रामलक्ष्मणपुरा उर्फ थूणि
फागी	श्री जयदेव पुरा	फागी	राधो पुरा
फागी	रूपवास	फागी	बाढ महावतान
फागी	जयपुरा	फागी	बीड संतोषपुरा
फागी	दूसरी	फागी	हूकण
फागी	हरि बल्लभ पुरा	फागी	सिरूज्या
फागी	श्री बल्लभ पुरा	फागी	लक्ष्मीपुरा
फागी	खेजड़ी बुजूर्ग	फागी	दयापुरा
फागी	त्रिलोक पुरा	फागी	लाखा वास
फागी	भादी पुरा उर्फ नारायण पुरा	फागी	रूप निवास उर्फ थूणि
फागी	मुरार पुरा	फागी	दीप पुरा
फागी	सदारामपुरा	फागी	किशनपुरा
फागी	मुमारक्या	फागी	बृज पुरा
फागी	बाढ बागपुरा	फागी	महाचन्द्र पुरा
फागी	मीरापुरा	फागी	रामपुरा बुजूर्ग
फागी	रसूल पुरा	फागी	खेड़ा मुकुन्दपुरा
फागी	हंसराज पुरा	फागी	गणेशपुरा

1	2	1	2
फागी	लसाड़िया	फागी	नैनवा की ढाणी
फागी	श्री निवास पुरा उर्फ थूणी	फागी	आनन्द पुरा
फागी	श्री नगर	फागी	श्री चांद पुरा
फागी	मुण्डिया खुर्द	फागी	जयहरि पुरा
फागी	गढ़ी रामनगर	फागी	गोविन्द पुरा
फागी	स्वामी का बास	फागी	भीखरवाल
फागी	चौप	फागी	महादेव पुरा
फागी	नैनवा	फागी	ताज पुरिया मय बाढ़
फागी	हिगोनिया	फागी	सांपला
फागी	आनन्द रामपुरा	फागी	देवकी नन्दनपुरा
फागी	दलपत पुरा	फागी	लक्ष्मी पुरा
फागी	मानपुरा	फागी	खेड़ा जगन्नाथ पुरा
फागी	देवगांव	फागी	फिरोज उर्फ बीवी का बाढ
फागी	श्री सहाय पुरा	फागी	कवरपुरा
फागी	श्री गिरधारी लालपुरा	फागी	वृंदावन पुरा उर्फ रूप वास
फागी	भूरटिया	फागी	गांव
फागी	टिगरिया	फागी	महराम पुरा
फागी	शक्कर खावदा	फागी	भगवतसर काकरिया
फागी	नन्द गांव बासड़ी	फागी	बृजराज पुरा
फागी	आशिंक पुरा उर्फ चौरिया	फागी	बोदया का बाढ़
फागी	मोहम्मदपुरा		

राज्य कर्मियों को कैंसर चिकित्सा परिचर्या हेतु भगवान महावीर चिकित्सालय को मान्यता

26. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर मात्र कैंसर रोग का ही इलाज करता है? एवं एक चैरिटेबल संस्था है।

(2) क्या यह सही है राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के कैंसर जैसी बीमारी के इलाज हेतु मुम्बई का टाटा मेमोरियल एवं नई दिल्ली का राजीव गांधी कैंसर अस्पताल एवं गुजरात मेडिकल इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद मान्य कर रखा है?

(3) क्या सरकार अपने कर्मचारियों के कैंसर जैसी जानलेवा रोग में इलाज हेतु चिकित्सा परिचर्या नियमों में संशोधन कर भगवान महावीर कैंसर अस्पताल को मान्यता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार ने कैंसर रोग के इलाज हेतु राज्य कर्मचारियों के लिए मुम्बई का टाटा मेमोरियल एवं नई दिल्ली का राजीव गांधी कैन्सर अस्पताल तथा गुजरात राज्य कैन्सर रिसर्च संस्थान (एम.पी. शाह) अस्पताल अहमदाबाद को मान्यता दे रखी है।

(3) राज्य कर्मचारियों के लिए कैन्सर रोग के इलाज हेतु भगवान महावीर कैन्सर अस्पताल को मान्यता प्रदान करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मावली विधान सभा क्षेत्र हेतु प्रस्तावित सड़कें

27. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अप्रैल, 2005 से 31 अगस्त, 2005 तक जिला उदयपुर में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र मावली की सड़कों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों के?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में अप्रैल, 2005 से 31 अगस्त, 2005 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 21 कार्य (परिशिष्ट "अ" पर संलग्न) एवं डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. कार्यक्रम में 17 कार्य (परिशिष्ट "ब" पर संलग्न) स्वीकृत किये गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निम्न 4 सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुए जो केन्द्र सरकार को भेजे गए। जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है :-

1. उदयपुर डबोक सड़क से मोतीखेडा
2. शिशम घाटी से गडवा
3. पलाना मावली सड़क से मण्डप
4. पलाना मावली सड़क से होली

डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. योजना के अन्तर्गत कुल 19 प्रस्ताव (परिशिष्ट "स" पर संलग्न) प्राप्त हुए, जिसमें से निम्न दो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं।

1. मावली खेमपुरा डूडीया सड़क
2. फतेहपुरा भूमलावास मोरठ सड़क

आर.एम.यू.पी. द्वितीय चरण योजना में निम्न पांच सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं :-

1. खेमली देलवाडा सड़क
2. एआर भीमल
3. पलाना खुर्द से नुरडा
4. एआर मेडता
5. सिन्धु से घोडा घाटी

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भेजे गए 4 प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत दो प्रस्तावों की स्वीकृतिं प्राप्त हो चुकी है। अन्य की स्वीकृति सरकार के वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकता पर निर्भर है।

परिशिष्ट "अ"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत वर्ष 2005-06 फेज-5 जिला उदयपुर

क्र. सं.	ब्लोक	सड़क का नाम	ग्राम	जनसंख्या (2001)	लम्बाई कि.मी.	जोब नं.	अनुमानित लागत लाखों में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पेकेज नं. RJ-32-62							
1.	कोटड़ा	खाम से पावटी कला	पावटीकला	909	2.00	RJ-32-62-01	36.39	
2.	कोटड़ा	कोटडा जुडा सुलाव से भियाटा	भियाटा	862	2.00	RJ-32-62-02	40.95	
3.	कोटड़ा	जोगीवड़ से डिगावरी कलां	डिगावरी कला	859	3.00	RJ-32-62-03	72.98	
4.	बडगांव	बाटी गांव से जोधा तालाब	जोधा तलाब	857	4.50	RJ-32-62-04	82.94	
	पेकेज नं. RJ 32-63							
5.	खेरवाडा	एन.एच-8 कि.मी. 336 से मकडज्पा	मकड़ज्या	876	3.00	RJ-32-63-01	49.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पेकेज नं. RJ 32-63							
6.	सलूम्बर	ओ.डी.आर. कि.मी. 9 जिंगला कुराबड रोड से बास	बास	867	1.38	RJ-32-63-02	33.20	
7.	सलूम्बर	कीर की चौकी सलूम्बर रोड से कानपुरा	कानपुरा	863	2.80	RJ-32-63-03	56.86	
8.	भीण्डर	भीण्डर बम्बोरा से गोटीपा	गोटीपा	856	3.00	RJ-32-63-04	42.22	
	पेकेज नं. RJ 32-WB-18							
9.	धरियावद	लसाडिया काली भीत सड़क कि.मी. 3 से रेल महुडी	रेल महुडी	852	3.00	RJ-WB-32-18-01	55.11	
10.	सराड़ा	पालोदरा कल्याणपुर सड़क से नीमडी	नीमडी	851	5.65	RJ-WB-32-18-02	112.16	
11.	खेरवाड़ा	वि. आर. 19 से कान्दी ओबरी पारबीला फला	कान्दी ओबरी	844	1.70	RJ-WB-32-18-03	42.88	
12.	भीण्डर	वनखान्देश्वरी कि.मी. 2 से बोर तलाई	बोर तलाई	839	1.50	RJ-WB-32-18-04	22.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पेकेज नं. RJ 32-WB-18							
13.	मावली	एम.डी.आर. 36 गुडली खेमली पलाना मावली रोड कि.मी. 10/0 से जुनावास	जुनावास	834	1.00	RJ-WB-32-18-05	19.93	
14.	सराड़ा	सेमारी से कुर्डिया	कुर्डिया	833	2.28	RJ-WB-32-18-06	71.95	
	पेकेज नं. RJ 32-WB-19							
15.	झाड़ोल	ब्राह्मणों का खेरवाड़ा से चांदवास	चांदवास	846	4.12	RJ-WB-32-19-01	90.40	
16.	गिरवा	कुराबड़ बम्बोरा कि.मी. 53/300 से आवरा	आवरा	846	4.00	RJ-WB-32-19-02	65.76	
17.	झाड़ोल	फलासिया से नया खोला	नयाखोला	838	1.70	RJ-WB-32-19-03	38.38	
18.	झाड़ोल	खाखण्ड से नया गांव	नयागांव	838	2.00	RJ-WB-32-19-04	73.72	
19.	गिरवा	जावर गांव से रवा	रवा	836	2.80	RJ-WB-32-19-05	58.18	
	पेकेज नं. RJ- 32-WB-20							
20.	गिरवा	देबारी से रेलवे स्टेशन से लडिया खेड़ा गांव	लडिया खेड़ा	843	7.10	RJ-WB-32-20-01	106.71	
21.	गोगुन्दा	गोगुन्दा सेनवाड़ा रोड कि.मी. 11/0 से मोडवा	मोडवा	843	2.40	RJ-WB-32-20-02	73.69	

परिशिष्ट "ब"

डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. सड़कों का विवरण (जिला-उदयपुर

क्र. सं.	सड़क का नाम	विधानसभा क्षेत्र	लम्बाई कि.मी.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	रामपुरा फोलियान	उदयपुर ग्रामीण	1.00	11.00	
2.	देबारी सुखवाडा	उदयपुर ग्रामीण	4.00	36.00	
3.	जगत से बासु	सलूम्बर	4.00	40.00	
4.	कुराबड से सियाद	सलूम्बर	3.00	28.00	
5.	देरी गोवाडा सड़क कि.मी. 3 से हर्षवाड़ा कानबाई लक्ष्मणपुरा सड़क	खेरवाड़ा	3.00	36.00	
6.	कानबाई लक्ष्मणपुरा सड़क	खेरवाड़ा	0.25	3.00	
7.	एन.एच.-8 से निचला माण्डवा घाटी, बारना तक	खेरवाड़ा	5.00	56.00	
8.	रिषभदेव सागवाडा की पाल से काकन गोडावन कि.मी. 27/0 से 30/0	खेरवाड़ा	3.00	34.00	
9.	खेरवाड़ा कल्याणपुर सड़कक से निचला माण्डवा वाया उपला माण्डवा घाटी	खेरवाड़ा	2.00	24.00	

1	2	3	4	5	6
10.	दैया से स्टेट बोर्डर गुजरात	सलूम्बर	3.00	44.00	
11.	इन्टाली बेडवाल सलादा डिंगरी रोड (ओडीआर-25)	सराड़ा	4.00	52.00	
12.	सलाडा से बस्सी रोड	सराड़ा	1.00	11.00	
13.	मावली खेमपुरा डूंडिया सड़क	मावली	9.00	80.00	
14.	फतेहनगर भूमलाबास मोरठ तक	मावली	4.00	38.00	
15.	भीण्डर से सगनपुरा	वल्लभनगर	2.00	21.00	
16.	बम्बोरा लसाड़िया सड़क	लसाड़िया	3.50	35.00	
17.	मुंगाना बोटिया गोदरा सड़क	लसाड़िया	2.00	21.00	

परिशिष्ट "स"

डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. में भेजी गई सड़कों के प्रस्ताव (मावली)

1. मावली खेमपुरा डूंडीया सड़क (9 कि.मी.)
2. फतेहनगर भूमलावास मोरठ (4 कि.मी.)
3. नउवा से धासा (5.5 कि.मी.)
4. बडियार से थामला (2.5 कि.मी.)
5. पालना कला छोटी खेड़ी (2 कि.मी.)
6. साकरोदा से मोगाना (4 कि.मी.)
7. रोहिडा से डूंडिया (5 कि.मी.)
8. धोलीमगरी से मांगथला (2 कि.मी.)
9. सनवाड़ा से मानखण्ड (3 कि.मी.)
10. विशरिवास से बीकरनी (3 कि.मी.)
11. ए.आर. छोलीयों का खेड़ा (2 कि.मी.)
12. ए.आर. बाजमिया (2 कि.मी.)
13. मावली से भवाति (6 कि.मी.)

14. शिवसिंह का खेड़ा से भवानि 4 कि.मी.

15. पोल्ट्री फार्म से कूंचोली भोजली (3 कि.मी.)

16. पलानाकला से प्रकाश पुरा (13 कि.मी.)

17. ए.आर. छीपीखेड़ा (1 कि.मी.)

18. ए.आर. भीमलचारण (1.5 कि.मी.)

19. एस.एच.-9 से आश्रम संस्थान (6 कि.मी.)

क्रम संख्या 3 से 19 तक की सड़कें अकाल राहत कार्यों एवं अन्य योजनाओं में बनी हुई हैं जो कि विभाग की अधिकृत सूची में नहीं है।

बाली विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

28. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की कौन-कौन सी सडकें कहां-कहां से कब से कितनी क्षतिग्रस्त हैं या उसके दोनों ओर के किनारे टूट चुके हैं? मय चेनेज प्रत्येक सड़क की लम्बाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत, पेचवर्क, कटे किनारों को सही करने व पुन: सड़कों का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में विभाग द्वारा संधारित सड़कों में से आबादी के भाग में से गुजरने वाली सड़कों की लम्बाई 13.65 किमी है जो लगभग पिछले 3 वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं तथा शेष क्षतिग्रस्त डामर सड़कों की लम्बाई 124.75 कि.मी. है जो इस वर्ष बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई हैं। साधरणतया सड़कों के किनारे टूटे हुए नहीं हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। क्षतिग्रस्त डामर सड़कों का साधारण मरम्मत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसे 31.10.2005 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्रीय सड़क निधि योजना वर्ष 2005-06 के अन्तर्गत पाली पिण्डवाडा सड़क पर 35 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण कार्य स्वीकृत हैं जिसका कार्य आदेश दिया जा चुका है। सड़क मरम्मत कार्यक्रम 2005-06 में नवीनीकरण के अन्तर्गत बीजापुर गोरिया सड़क पर 3 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। शेष लम्बाई में क्षतिग्रस्त डामर सड़कों पर डामरीकरण कार्य राज्य सरकार के वितीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्भर है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़का का वर्गीकरण	चैनेज	क्षतिग्रस्त सड़क का विवरण		विशेष विवरण
				गांव का नाम	डामर सड़क का भाग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	तखतगढ़ साण्डेराव देसूरी सड़क कि.मी. 231/0 से 258/0	एसएच. 16	1. 231/0 से 249/0	1. 236/0 से 236/500 2. 243/600 से 243/800	1. 231/0 से 236/0 2. 236/500 से 243/600 3. 243/800 से 249/0	अकाल राहत कार्य वर्ष 2005 में डामर सड़कों के किनारों पर पटरी मरम्मत का कार्य सम्पादित किया जाने से सड़कों के किनारे ठीक हैं।
2.	पाली पिण्डवाडा सड़क कि.मी..78/0 से 135/0	एमडीआर 40	1. 78/0 से 81/0 2. 86/0 से 89/0 3. 90/600 से 90/900	1. 78/500 से 79/500 2. 88/0 से 89/0 3. 90/600 से 90/900 4. 93/400 से 94/200 5. 95/700 से 96/050 6. 99/900 से 100/200 7. 103/200 से 104/0 8. 134/700 से 135/0	1. 78/0 से 78/500 2. 79/500 से 81/0 3. 86/0 से 88/0 4. 92/0 सें 93/400 5. 94/200 से 95/700 6. 96/050 से 99/900 7. 100/200 से 103/200 8. 104/0 से 134/700	

1	2	3	4	5	6	7
3.	रानी मुण्डारा सड़क कि.मी. 5/0 से 20/0	ओडीआर 08	1. 7/0 से 11/0 2. 18/0 से 20/0			—वही—
4.	फालना सुमेरपुर सड़क कि.मी. 0/0 से 3/0	ओडीआर 10	0/0 से 3/0	0/0 से 0/100	0/100 से 3/0	—वही—
5.	खिनेल धणी खुडाला सड़क कि.मी. 3/0 से 12/0	ओडीआर 11	1. 3/0 से 5/0 2. 11/0 से 12/0	1. 4/300 से 4/500 2. 11/0 से 12/0	—	
6.	बाली सेवाड़ी सड़क कि.मी. 0/0 से 12/0	ओडीआर	1. 4/200 से 4/500 2. 11/0 से 12/0	1. 4/200 से 4/500 2. 11/0 से 12/0	—	—वही—
7.	रानी खिमेल फालना सड़क कि.मी. 8/0 से 14/0	ओडीआर 18	11/500 से 11/600	11/500 से 11/600	—	—वही—
8.	नाणा रेलवे स्टेशन से भीमाणा सड़क कि.मी. 0/0 से 17/0	ओडीआर 19	2/400 से 3/0	2/400 से 3/0	—	—वही—
9.	बीजापुर गोरिया सड़क कि.मी. 0/0 से 21/0	ओडीआर 20	1. 0/0 से 0/500 2. 5/0 से 13/500	1. 0/0 से 0/500	5/0 से 13/500	—वही—

1	2	3	4	5	6	7
10.	बीजापुर बिसलपुर सड़क कि.मी. 0/0 से 14/0	ओडीआर 25	7/0 से 11/00	—	7/0 से 11/00	—वही—
11.	आमलिया भीमाणा सड़क 0/0 से 11/0	ओडीआर 40	1. 0/0 से 4/0 2. 5/0 से 11/0	0/0 से 0/600	1. 0/600 से 4/0 2. 5/0 से 11/0	—वही—
12.	बाली लुनावा सड़क कि.मी. 0/0 से 6/0	वी.आर. 03	5/500 से 6/0	5/500 से 6/0	—	—वही—
13.	बीजापुर से सेणा सड़क कि.मी. 0/0 से 5/0	वी. आर. 07	0/0 से 5/0	—	0/0 से 5/0	—वही—
14.	सम्पर्क सड़क चामुण्डा माताजी मुण्डारा कि.मी. 0/0 से 1/500	वी.आर. 09	0/0 से 1/500	0/0 से 0/600	0/600 से 1/500	
15.	सम्पर्क सड़क अरडवा कि.मी. 1/0 से 4/0	वी.आर. 28	1/0 से 4/0	—	1/0 से 4/0	
16.	बारवा से लुनावा सड़क कि.मी. 0/0 से 1/0	वी.आर. 37	0/0 से 1/0	—	0/0 से 1/0	

1	2	3	4	5	6	7
17.	सम्पर्क सड़क बेडा 0/0 से 1/0	वी.आर. 49	0/400 से 0/500	0/400 से 0/500	—	
18.	बाली दांतीवाडा सड़क कि.मी. 0/0 से 1/0, 2/0 से 5/0	वी.आर. 54	4/0 से 5/0	—	4/0 से 5/0	
19.	नागा से कोयलवाय वाया फटरिया 0/0 से 4/0	वी.आर. 103	0/0 से 4/0	—	0/0 से 4/0	
20.	बेडा से मोरी सड़क कि.मी. 0/0 से 3/0	वी.आर. 106	0/0 से 3/0	—	0/0 से 3/0	
21.	सम्पर्क सड़क बिरमपुरा 0/0 से 3/0	वी.आर. 109	0/0 से 3/0	2/600 से 3/0	0/0 से 2/600	
22.	सम्पर्क सड़क बिरोलिया कि.मी. 0/0 से 3/0	वी.आर. 120	0/0 से 3/0	—	0/0 से 3/0	
23.	सम्पर्क सड़क राइको की ढाणी बाली 0/0 से 1/0	वी.आर. 131	0/0 से 1/0	0/0 से 1/0	—	

1	2	3	4	5	6	7
24.	सम्पर्क सड़क प्रताप चौक बाली 0/0 से 1/0	वी.आर. 133	0/0 से 1/0	0/0 से 1/0	—	
25.	दांतीवाड़ा से हिंगलाज माता कि.मी. 0/0 से 3/0	वी.आर. 191	0/0 से 3/0	—	0/0 से 3/0	
26.	नाणा रेल्वे स्टेशन से सोनगिरी हनुमानजी मन्दिर कि.मी. 0/0 से 2/0	वी.आर. 208	0/0 से 2/0	—	0/0 से 2/0	
27.	चिमनपुरा से गौतनजी कि.मी. 0/0 से 2/0	वी.आर. 209	0/0 से 2/0	—	0/0 से 2/0	
	योग		138.4 कि.मी.	13.650 कि.मी.	124.750 कि.मी.	

लूणी विधान सभा क्षेत्र की सड़कें

29. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में कुल कितनी सड़कें डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. में स्वीकृत हुई हैं? तथा कुल कितनी शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष में मिसिंग लिंक रिनेवल व नवीन सड़कों के निर्माण के लिये सरकार ने कुल कितनी राशि विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृति की? कितनी राशि नाबार्ड या अन्य योजनाओं से सरकार को प्राप्त हुई?

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणी में कुल कितनी सड़कें डब्ल्यू.बी.एम. हैं? इनमें से कितनी सड़कें बी.टी. स्वीकृत हुई व डब्ल्यू.बी.एम. कितनी शेष हैं? शेष डब्ल्यू.बी.एम. कब तक बी.टी. बनाने की सरकार की योजना है?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी में किसी अन्य जिला सड़कें (ओ.डी.आर.) को स्टेट हाइवे या वृहत जिला सड़कें (एम.डी.आर.) बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितनी व किन सड़कों को? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. क्रमोन्नत सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय चरण में 155 विधान सभा क्षेत्रों में 815 कार्य स्वीकृत हुए हैं। विभाग की रखरखाव सूची के अनुसार प्राय: सभी डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों पर डामरीकरण का कार्य स्वीकृत हो चुका है। (सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है) अन्य विभागों द्वारा बनाई गई लगभग 5308 कि.मी. मेटल सड़कें शेष हैं। (सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है)

(2) राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष में मिसिंग लिंक, रिनूवल व नवीन सड़कों के निर्माण के लिए रु. 367.67 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत प्रावधान किया है। नाबार्ड योजनाओं में 80 प्रतिशत/90 प्रतिशत राशि रु. 226.66 करोड़ तथा केन्द्रीय सड़क निधि योजना में रु. 87.00 करोड़ व राज्य योजना में रु. 54.01 करोड़ सरकार को प्राप्त होगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणी में कुल 11 सड़कें डब्ल्यू.बी.एम. स्तर की हैं, इनमें से सा.नि.वि. की रख रखाव सूची के अनुसार 3 सड़कों की डामरीकरण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। शेष डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें अन्य

योजनाओं में निर्माण की गई हैं। जो विभाग की रखरखाव सूची में नहीं है। इनके डामरीकरण करने की योजना राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकता पर निर्भर है (सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है)।

(4) जी नहीं। लूणी विधान सभा क्षेत्र की निम्नलिखित सड़कों को स्टेट हाइवे एवं एमडीआर में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-7/(442)/सेक्सन-2/पार्ट-बी/79/डी-241 दिनांक 17.9.2005 द्वारा क्रमोन्नत की जा चुकी है।

1. बिनायकिया राजोला रोड ओडीआर से स्टेट हाइवे नं. 58 में क्रमोन्नत।
2. खेजड़ली सरदारसंमद रोड ओडीआर से स्टेट हाइवे नं. 61 में क्रमोन्नत।
3. डांगियावास खेजड़ली, गुड़ा, मोगड़ा, सालावास सरसरंचा लूणी धुन्धाडा सड़क को ओडीआर से स्टेट हाईवे नं. 68 में क्रमोन्नत।
4. झालामंड़ गुड़ा विश्नोईया खाराबेरा पुरोहितान ओडीआर से एमडीआर नं. 101 में क्रमोन्नत।

परिशिष्ट "अ"

जिलेवार/विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत कार्य

डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. (प्रथम चरण)

क्रम संख्या	जिला	विधानसभा क्षेत्र	सड़कों की संख्या	लम्बाई कि.मी.	कुल लागत (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	पुष्कर	1	6.00	41.52
		किशनगढ़	1	2.00	16.00
		योग	**2**	**8.00**	**57.52**
2.	अलवर	अलवर	1	3.50	28.00
		बानसूर	2	3.80	30.40
		बहरोड	1	2.60	20.80
		कठूमर	1	0.80	6.40

	जिला	विधानसभा क्षेत्र	सड़कों की संख्या	लम्बाई कि.मी.	कुल लागत (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
		लक्ष्मणगढ़	2	4.50	36.00
		मण्डावर	1	2.10	21.80
		राजगढ़	3	8.40	69.20
		थानागाजी	3	6.50	64.50
		तिजारा	3	4.50	36.00
		योग	**17**	**36.7**	**313.10**
3.	बारां	बारां	1	1.50	26.25
		अटरू	1	2.00	29.04
		योग	**2**	**3.5**	**55.29**
4.	भरतपुर	रूपवास	1	1.65	14.79
		बयाना	2	9.70	81.99
		नगर	1	2.00	16.50
		योग	**4**	**13.35**	**113.28**
5.	भीलवाड़ा	जहाजपुर	1	4.00	32.00
		सहापुरा	1	5.00	60.00
		बनेडा	1	3.50	28.00
		हुरदा	1	4.50	36.00
		योग	**4**	**17.00**	**156.00**
6.	बीकानेर	लूणकरणसर	1	9.00	63.00
		कोलायत	2	22.80	182.40
		योग	**3**	**31.8**	**245.4**
7.	बून्दी	केशवरायपाटन	3	7.00	87.85
		हिण्डौली	1	2.40	34.17
		योग	**4.00**	**9.40**	**122.02**

1	2	3	4	5	6
8.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	1	2.25	16.00
		बडी सादड़ी	1	10.00	82.00
		योग	**2**	**12.25**	**98.00**
9.	चूरू	चूरू	9	29.70	247.00
		तारानगर	2	2.40	24.00
		सुजानगढ़	4	27.25	210.50
		डूंगरगढ़	2	7.00	56.00
		योग	**17.00**	**66.35**	**537.50**
10.	धौलपुर	धौलपुर	3	4.80	38.40
		बाड़ी	3	5.00	43.00
		योग	**6**	**9.80**	**81.40**
11.	डूंगरपुर	आसपुर	1	5.00	40.00
		डूंगरपुर	1	1.50	15.42
		योग	**2**	**6.50**	**55.42**
12.	हनुमानगढ़	भादरा	1	4.00	42.00
		योग	**1**	**4.00**	**42.00**

1	2	3	4	5	6
13.	जयपुर	आमेर	2	6.85	55.81
		बस्सी	1	1.50	10.80
		चौमूं	1	2.00	14.50
		दूदू	4	17.50	136.75
		जमवारामगढ़	3	5.90	50.85
		फागी	5	1[illegible].75	84.10
		योग	**16**	**45.50**	**352.81**

1	2	3	4	5	6
14.	जालौर	रानीवाडा	2	8.00	57.60
		सांचौर	1	5.00	36.00
		योग	**3**	**13.00**	**93.60**
15.	झुन्झुनूं	गुढा	4	12.00	95.60
		नवलगढ़	1	3.00	22.40
		पिलानी	2	4.50	34.60
		सूरजगढ़	4	17.00	123.60
		खेतड़ी	5	9.00	65.20
		योग	**16**	**45.50**	**341.40**
16.	जोधपुर	फलौदी	1	3.50	27.13
		योग	**1**	**3.50**	**27.13**
17.	करौली	सपोटरा	2	5.50	58.26
		हिण्डौन	3	9.30	113.49
		टोड़ाभीम	4	10.00	110.80
		महुआ	1	1.20	13.66
		योग	**10**	**26.00**	**296.21**
18.	नागौर	परबतसर	5	15.70	125.00
		मकराना	4	10.50	84.00
		नावां	5	20.75	165.00
		नागौर	1	4.00	26.00
		जायल	1	2.00	13.00
		मेड़ता शहर	1	2.00	14.00
		मुण्डवा	1	4.00	28.00
		डेगाना	10	35.00	245.00
		डीड़वाना	9	45.50	283.50
		लाडनूं	8	21.00	147.00
		योग	**45**	**160.45**	**1130.50**

1	2	3	4	5	6
19.	पाली	पाली	2	8.00	64.61
		दसूरी	3	13.50	118.22
		जैतारण	3	6.00	50.46
		योग	8	**27.50**	**233.29**
20.	राजसमन्द	भीम	7	23.50	189.59
		कुम्भलगढ़	1	2.50	17.67
		राजसमन्द	1	4.00	32.00
		योग	9	**30**	**239.26**
1	2	3	4	5	6
21.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	1	1.50	14.32
		बावनवास	4	17.90	178.39
		गंगापुर शहर	2	2.75	30.75
		योग	7	**22.15**	**223.46**
22.	सीकर	सीकर	1	3.00	29.05
		लक्ष्मणगढ़	2	11.00	83.47
		फतेहपुर	5	18.00	127.46
		धौद	7	27.50	256.70
		दांतारामगढ़	1	4.00	30.10
		नीमकाथाना	1	0.95	8.90
		खण्डेला	2	7.50	71.30
		योग	19	**71.95**	**606.98**
23.	सिरोही	सिरोही	1	1.00	6.00
		रेवदर	2	5.00	35.50
		पीण्डवाडा आबू	1	0.75	4.50
	योग	**योग**	4	**6.75**	**46.00**
	कुल योग	**कुल योग**	202	**666.15**	**5467.55**

परिशिष्ट "अ"

जिलेवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. द्वितीय चरण के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	सड़कों की संख्या	सड़कों की लम्बाई (कि.मी. में)	कुल लागत (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	1. किशनगढ़	2	14.50	130.70
		2. नसीराबाद	2	10.50	84.90
		3. पुष्कर	1	5.00	43.64
		4. ब्यावर	1	2.00	16.85
		5. भिनाई	2	15.00	150.56
		6. मसूदा	2	8.00	63.92
	योग		**11**	**55.00**	**490.57**
2.	अलवर	7. अलवर	1	0.80	6.40
		8. कठुमर	5	9.80	97.50
		9. खैरथल	2	2.00	19.50
		10. लक्ष्मणगढ़	4	10.70	99.00
		11. मण्डावा	5	5.60	59.00
		12. राजगढ़	4	6.50	61.50
		13. रामगढ़	4	5.60	56.00
		14. थानागाजी	6	9.20	87.50
		15. तिजारा	3	5.80	56.00
	योग		**34**	**56.00**	**542.40**
3.	बांसवाड़ा		—	—	—
4.	बारां	16. बारां	2	3.50	44.63

1	2	3	4	5	6
		17. छबड़ा	1	3.00	38.25
	योग		**3**	**6.50**	**82.88**
5.	बाड़मेर	18. बाडमेर	2	21.00	182.00
		19. गुढामलानी	2	11.00	104.00
		20. पचपदरा	3	16.50	152.00
		21. शिव	1	7.00	56.00
		22. शिवाना	2	6.00	73.00
	योग		**10**	**61.50**	**567.00**
6.	भरतपुर	23. रूपवास	1	1.00	8.00
		24. बयाना	1	0.85	12.00
		25. वैर	2	3.75	30.00
		26. नगर	2	7.20	101.55
		27. कांमा	1	2.80	60.40
	योग		**7**	**15.60**	**211.95**
7.	भीलवाड़ा	28. आसीन्द	1	3.00	27.00
		29. बनेड़ा	5	13.00	117.00
		30. भीलवाड़ा	2	4.00	36.00
		31. जहाजपुर	3	14.50	157.04
		32. मांडल	12	35.50	319.50
		33. मांडलगढ़	11	37.30	337.40
		34. शहादा	10	29.50	316.80
		35. शाहपुरा	7	19.50	179.80
	योग		**51**	**156.20**	**1490.54**
8.	बीकानेर	36. लूणकरणसर	1	10.70	93.20
		37. कोलायत	3	25.00	200.00
	योग		**4**	**35.70**	**293.20**

1	2	3	4	5	6
9.	बूंदी	38. हिण्डौली	7	18.30	285.94
		39. बूंदी	8	17.20	230.73
		40. केशवरायपाटन	4	8.90	122.72
	योग		**19**	**44.40**	**639.39**
10.	चित्तौड़गढ़	41. कपासन	6	17.30	173.00
		42. बेगून	3	18.50	185.00
		43. गंगरार	3	11.80	118.00
		44. चित्तौड़गढ़	3	13.50	135.00
		45. बड़ी सादड़ी	4	15.00	150.00
		46. निम्बाहेड़ा	3	6.00	60.00
		47. प्रतापगढ़	5	24.00	240.00
	योग		**27**	**106.10**	**1061.00**
11.	चूरू	48. चूरू	5	14.30	143.00
		49. राजगढ़	2	4.00	40.00
		50. सरदारशहर	1	6.00	60.00
		51. तारानगर	3	19.00	190.00
		52. रतनगढ़	5	14.40	145.20
	योग		**16**	**57.70**	**578.20**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
12.	दौसा	53. बांदीकुई	6	12.70	101.60
		54. सिकराय	1	0.65	6.33
		55. महुआ	1	8.30	76.40
	योग		**8**	**21.65**	**184.33**
13.	धौलपुर	56. धौलपुर	1	2.00	12.00
		57. बाडीं	2	14.50	137.32
		58. राजाखेड़ा	1	2.00	12.00
	योग		**4**	**18.50**	**161.32**

1	2	3	4	5	6
14.	डूंगरपुर	59. आसपुर	6	17.00	175.92
		60. चौरासी	8	31.50	315.29
		61. डूंगरपुर	1	3.25	30.55
		62. सागवाड़ा	2	4.50	73.40
	योग		**17**	**56.25**	**595.16**
15.	हनुमानगढ़	63. नौहर	4	10.25	111.48
		64. पीलीबंगा	2	7.20	56.94
		65. भादरा	6	20.00	220.00
		66. टिब्बी	1	0.45	4.82
	योग		**13**	**37.90**	**393.24**
16.	जयपुर	67. आमेर	2	4.75	42.81
		68. बस्सी	3	8.00	116.00
		69. दूदू	6	17.20	168.60
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		70. जमवारामगढ़	4	12.10	138.30
		71. कोटपूतली	1	0.60	10.47
		72. फुलेरा	2	2.00	19.00
		73. सांगानेर	1	3.50	32.50
		74. फागी	7	14.30	129.40
		75. विराटनगर	2	5.20	56.16
	योग		**28**	**67.65**	**713.24**
17.	जैसलमेर	—	0	0	0
18.	जालौर	76. आहोर	4	9.50	146.75
		77. जालौर	7	26.75	266.37
		78. भीनमाल	3	14.00	138.00
		79. रानीवाडा	9	35.00	359.40
		80. सांचौर	2	4.00	34.00
	योग		**25**	**89.25**	**944.52**
19.	झालावाड़	—	0	0	0
20.	झुंझुनूं	81. मण्डावा	20	43.36	355.68
		82. झुंझुनूं	8	14.30	114.40

1	2	3	4	5	6
		83. नवलगढ़	4	3.10	24.80
		84. गुढा	5	13.25	122.00
		85. खेतड़ी	6	17.25	179.95
		86. पिलानी	6	17.00	140.00
		87. सूरजगढ़	6	17.50	155.00
	योग		**57**	**125.76**	**1091.83**
21.	जोधपुर	88. भोपालगढ़	2	21.00	176.30
		89. बिलाड़ा	6	24.50	213.65
		90. लूनी	2	5.30	48.70
		91. ओसियां	1	6.00	47.20
		92. फलौदी	2	13.00	108.50
		93. शेरगढ़	4	15.00	137.00
		94. सूरसागर	2	6.00	49.50
	योग		**19**	**90.80**	**780.85**
22.	करौली	95. हिण्डौन	1	1.20	13.46
		96. महुआ	2	10.60	138.81
		97. टोड़ाभीम	3	8.50	124.18
		98. करौली	8	23.20	258.87
		99. सपोटरा	2	5.50	60.35
	योग		**16**	**49.00**	**595.67**
23.	कोटा	100. अटरू	2	6.84	97.08
		101. दीगोद	4	8.90	144.93
		102. रामगंजमण्डी	1	6.30	90.43
	योग		**7**	**22.04**	**332.44**
24.	नागौर	103. मेड़ता	6	38.00	412.20
		104. मण्डवा	3	15.00	139.50
		105. डेगाना	7	24.00	251.60
		106. डीडवाना	5	12.00	106.80
		107. लाडनूं	3	6.00	53.40
		108. परवतसर	2	6.00	61.40
		109. नावां	6	22.50	220.25

1	2	3	4	5	6
		110. जायल	4	28.50	267.65
	योग		**36**	**152.00**	**1512.80**
25.	पाली	111. रायपुर	20	65.75	644.00
		112. जैतारन	6	18.00	198.00
		113. सोजत	8	23.00	207.50
		114. खाडची	16	56.50	484.04
		115. पाली	12	42.00	400.54
		116. सुमेरपुर	8	32.50	324.60
		117. देसूरी	12	38.50	397.58
		118. बाली	8	23.00	326.58
	योग		**90**	**299.25**	**2982.84**
26.	राजसमन्द	119. राजसमन्द	17	65.20	553.84
		120. मावली	4	10.00	85.20
		121. नाथद्वारा	15	52.05	489.20
		122. कुम्भलगढ़	8	26.25	225.50
		123. भीम	1	4.00	34.00
	योग		**45**	**157.50**	**1387.74**
27.	सवाईमाधोपुर	1 2 4 सवाईमाधोपुर	3	5.50	108.64
		125. खण्डार	4	8.50	115.65
	योग		**7**	**14.00**	**224.29**
28.	सीकर	126. धोद	6	26.00	272.89
		127. दातारामगढ़	4	9.00	112.12
		128. पिपराली	3	7.00	65.64
		129. लक्ष्मणगढ़	5	11.00	106.04
		130. फतेहपुर	3	12.00	114.49
		131. खण्डेला	2	6.00	61.29
		132. नीमकाथाना	2	11.00	104.00
	योग		**25**	**82.00**	**836.47**

1	2	3	4	5	6
29.	सिरोही	133. आबू पिण्डवाडा	4	6.40	67.40
		134. रेवदर	5	20.50	204.83
		135. सिरोही	6	11.50	137.98
	योग		**15**	**38.40**	**410.21**
30.	श्रीगंगानगर	—	0	0	0
31.	टोंक	136. निवाई	1	2.50	29.00
		137. उनियारा	1	3.00	37.50
	योग		**2**	**5.50**	**66.50**
32.	उदयपुर	138. मावली	2	13.00	118.00
		139. वल्लभनगर	1	2.00	21.00
		140. खैरवाडा	5	13.25	153.00
		141. उदयपुर ग्रामीण	2	5.00	47.00
		142. सलूम्बर	2	7.00	68.00
		143. फलासिया	1	3.00	44.00
		144. सराड़ा	2	4.00	63.00
		145. लसाड़िया	2	11.00	111.00
	योग		**17**	**59.25**	**625.00**
	कुल योग		**613**	**1981.40**	**19795.55**

परिशिष्ट "ब"

राज्य में अन्य विभागों द्वारा निर्माण की गई डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों की सूची

क्र. सं.	विभाग/संस्था का नाम	लम्बाई (कि.मी.)
1.	ग्रेफ रोड	34
2.	फेमीन सड़क	1099
3.	सिंचाई विभाग	151
4.	स्वायत्तशासी संस्थाएं	408
5.	सेना विभाग	13
6.	रेल्वे विभाग	57

क्र. सं.	विभाग/संस्था का नाम	लम्बाई (कि.मी.)
7.	बिजली बोर्ड	4
8.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य विभाग	3542
	योग	**5308**

परिशिष्ट "स"

लूणी विधान सभा क्षेत्र में डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. योजना के चरण प्रथम एवं द्वितीय के तहत स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लागत (लाखों में)	लम्बाई (कि.मी. में)
विधान सभा क्षेत्र लूणी			
1.	पीपाड़ शहर से बाला वाया भावी लांबा	13.70	1.00
2.	पीपाड़ शहर से हरियाड़ा वाया बोयल	52.00	6.00
3.	भांड्र से बडलिया सिनली तक	35.00	4.30
	योग	**100.70**	**11.30**

लूणी विधान सभा क्षेत्र में अन्य विभागों की डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लागत (लाखों में)	लम्बाई (कि.मी. में)
विधान सभा क्षेत्र लूणी			
1.	बाला से पड़ासला कलां	45.00	5.50
2.	हुण गांव से होलपुर कलां	32.00	4.00
3.	रामासनी से खारी	20.00	2.50
4.	रामासनी से हुणगांव	33.00	4.00
5.	झंवर से रोहिला कलां	57.27	5.50
6.	धवा से परिहारों की ढाणी	65.12	8.00
7.	सम्पर्क सड़क रामदेव मन्दिर झंवर रोड	8.97	1.00
8.	रोहिचा कलां से भाचरणा	47.15	6.00
	योग	**308.48**	**36.50**

लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र के सड़क विहीन पंचायतें

30. श्री गौतम लाल मीणा (लसाड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाडिया के अन्तर्गत कुल कितने गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं और कितने गांव पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं? क्या सरकार नहीं जुड़े गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायतें पक्की सड़कों से नहीं जुड़ी हैं? इन्हें सरकार कब तक पक्की सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाडिया के अन्तर्गत कुल 111 गांव डामर सड़क से जुड़े हुए हैं एवं 138 गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। इनमें से 9 गांवों को डामर सड़क से जोड़े जाने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एवं एक गांव मेटल से बी.टी. योजना में प्रगति पर है। 8 गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है। शेष डामर सड़क से नहीं जुड़े हुए गांवों को जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। सूची (परिशिष्ट-अ) पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लसाडिया में कुल 8 पंचायत डामर सड़क से जुड़ी हुई नहीं हैं। एक पंचायत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है एवं प्रगति पर है। शेष डामर सड़क से नहीं जुड़े हुए पंचायतों को जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। सूची (परिशिष्ट-ब) पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

झाला ग्राम (पाली) की चौकी की भूमि पर अतिक्रमण

31. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर ग्राम झाला की चौकी तहसील रायपुर जिला पाली में भूमि पर अतिक्रमण कर चबूतरे का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमण को ध्वस्त कर अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। चबूतरा का निर्माण झाला की चौकी से कानूजा सड़क (ग्रामीण सड़क) की डामर सतह पर किया गया है। जिसको हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में फार्म हाउस योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

32. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीनमाल (जालौर) विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में फार्म हाउस योजना के तहत कृषि कनेक्शनों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये? इनमें से कितने व्यक्तियों को डिमान्ड नोटिस जारी किया गया व कितने व्यक्तियों द्वारा अब तक पैसा जमा करवा दिया गया? इसमें कुल कितनी राशि जमा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन व्यक्तियों ने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवा दी, उन्हें विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया गया? यदि नहीं, तो अब कब तक इन्हें कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) भीनमाल (जालौर) विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में फार्म हाउस के कुल 1976 आवेदन प्राप्त हुये थे। इनमें से 162 उपभोक्ताओं को मांग पत्र जारी किये गये थे। उक्त में से 155 उपभोक्ताओं द्वारा मांग पत्र की कुल राशि 84,41,500 रु. जमा करवायी गई है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जिन 155 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करवाई थी उनमें से माह अगस्त, 2005 तक केवल 59 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं बाकी उपभोक्ताओं को इसी वितीय वर्ष में कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

राजस्थान विधान सभा

भीनमाल (जालौर) विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में फार्म हाउस योजना के आवेदकों का उपखण्डवार विवरण :-

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल मांग पत्र जारी	कुल मांग पत्र जमा	जारी किये गये कनेक्शन	मांग पत्रों की जमा राशि रु. में
1.	भीनमाल	66	—	—	—	—
2.	रामसीन	240	27	22	19	1244700.00
3.	घुमडियां	878	—	—	—	—
4.	सावला	771	130	130	40	7131375.00
5.	रानीवाड़ा	18	5	3	—	105505.00
	कुल योग	**1976**	**162**	**155**	**59**	**8481550.00**

ह./-

अधीक्षण अभियन्ता (पी. पी. एण्ड एम.)

Kindly deliver to D.S. (Energy)

कृषि कनेक्शनों की फ्लैट रेट

33. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषि कनेक्शनों के फ्लैट रेट में वर्तमान में बढ़ोत्तरी की गई है? यदि हां, तो कितनी। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बढ़ी हुई दरें वापिस लेने या काम करने का विचार रखती हैं, यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने कृषि कनेक्शनों की फ्लैट रेट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है अपितु राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा माह जनवरी, 2005 से कृषि श्रेणी की फ्लैट दरों में की गई वृद्धि का विवरण निम्नानुसार है :-

फ्लैट रेट कृषि	पुरानी प्रचलित दर (24.3.2001 से)	नई अनुमोदित दर (1.1.2005 से)
(अ) सामान्य श्रेणी (ब्लाक प्लाई)	रु. 85/- प्रति हा. पा./माह	रु. 140/- प्रति हा. पा./माह
(ब) विशेष चारा योजना	रु. 145/- प्रति हा.पा./माह	रु. 200/- प्रति हा. पा./माह
(स) अन्य सभी एवं जिन्हें रात दिन विद्युत दी जाती है।	रु. 175/- प्रति हा.पा./माह	रु. 230/- प्रति हा. पा./माह

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य सरकार विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरों में कमी नहीं कर सकती है। तथापि राज्य सरकार ने अनुदान देकर फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को रियायत देकर निम्न संशोधित दरों पर बिल जारी करने के निर्देश विद्युत वितरण निगमों को दिये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

फ्लेट रेट कृषि	राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर (दिनांक 1.1.2005 से)	रियायत के बाद प्रभावी दरें
(अ) सामान्य श्रेणी (ब्लाक सप्लाई)	रू. 140/- हापा/माह	रू. 115/हापा/माह (10 हा.पा. तक) रू. 110/ हापा/माह (अगले 5 हा.पा. तक) रू. 105/हापा/माह (अगले 5 हा.पा. तक) रू. 100/हापा/माह (अगले 5 हा. पा. तक) रू. 95/हापा/माह (अगले 5 हा. पा. तक) रू. 90/हापा/माह (अगले 5 हा.पा. तक) रू. 85/हापा/माह (अगले प्रति हा.पा. अतिरिक्त तक)
(ब) विशेष चारा योजना	रू. 200/ हापा/माह	रू. 200/ हापा/माह
(स) अन्य सभी एवं जिन्हें रात दिन विद्युत दी जाती है।	रू. 230/ हापा/माह	रू. 230/ हापा/माह

परिशिष्ट "अ"

M.D. Cell
J.V.V.N.L. Jaipur
R.R. No. 7886 Date 15.7.2005

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

ENERGY DEPARTMENT

No. F13(27)Energy/2003 Dated : 12.7.2005

ORDER

Whereas under the provisions of the Electricity Act, 2003, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission has revised the rates of retail supply of electricity to various classes of consumers vide its order dated 17.12.2004.

Whereas the State Government had granted subsidy vide its order dated 17.12.2004 and order dated 26.5.2005 to Domestic and Agriculture category consumers of the three distribution companies under Section 65 of the Electricity Act, 2003 so that they are not charged the tariff to the extent of increase made by Rajasthan Electricity Regulatory Commission.

The State Government in the public interest has further decided to grant subsidy to Flat Rate Agricultural Consumers and Metered Agricultural Consumers w.e.f. 1.5.2005 on the tariff determined by Rajasthan Electricity Regulatory Commission as enumerated in the enclosed Annexure-A.

The State Government will pay such subsidy to all the three Distribution licencees which are State owned Companies i.e. Jaipur Vidyut Vitaran Nigam, Jodhpur Vidyut Vitran Nigam and Ajmer Vidyut Vitran Nigam for the amount and in the manner as may be specified by the Rajasthan Electricity Regulatory Commission under the provisions of Section 65 of the Electricity Act, 2003 for the relief in tariff granted to Flat Rate Agricultural Consumers and Metered Agricultural Consumer.

BY ORDER,

(YADUVENDRA MATHUR)
SECRETARY TO GOVERNMENT

ANNEXURE-A

(A) Flat Rate Agricultural Consumers :

Revised Slabs :

(i)	Upto first 10 HP	Rs. 115 per HP/Month
	Additional 5 HP (Upto 15 HP)	Rs. 110 per HP/Month
	Additional 5 HP (Upto 20 HP)	Rs. 105 per HP/Month
	Additional 5 HP (Upto 25 HP)	Rs. 100 per HP/Month
	Additional 5 HP (Upto 30 HP)	Rs. 95 per HP/Month
	Additional 5 HP (Upto 35 HP)	Rs. 90 per HP/Month
	For above 35 HP rate of Rs. 85 per HP/Month will be applicable.	

(B) Metered Agricultural Consumers :

Reduction of minimum charges of Rs. 85/- per BHP per month to 3 Hours average consumption per day works out to Rs. 75/- per BHP per month @ Rs. 1.10 per unit.

Immediate

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

NO.JPD/CAO/REV/F.165/D. 849 Jaipur, dated 13.7.2005

M/s. Aditi Computers,
44, Suraj Nagar (East), Civil Lines,
Jaipur

M/s. Soft Tech Computers,
8-A, Near Gumanpura Thana,
Kota.

Sub.:- Billing of agriculture flat rate general category consumers.

Dear sir,

In view of implementing the decision taken on 1st July, 2005 with Bhartiya Kisan Sangh representatives, energy bills payable by the agriculture flat rate consumers under general category i.e. not getting round the clock supply and being billed @ Rs. 140/- per HP per month at present, will be issued as per rates follows :-

S. No.	Sanctioned connected load	Rates applicable
1.	Upto first 10 HP	Rs. 115 per HP/Month
2.	Additional 5 HP (upto 15 HP)	Rs. 110 per HP/Month
3.	Additional 5 HP (upto 20 HP)	Rs. 105 per HP/Month
4.	Additional 5 HP (upto 25 HP)	Rs. 100 per HP/Month
5.	Additional 5 HP (upto 30 HP)	Rs. 95 per HP/Month
6.	Additional 5 HP (upto 35 HP)	Rs. 90 per HP/Month
7.	Above 35 HP	Rs. 85 per HP/Month

Though, assessment will be made as per rates prescribed in Tariff for Supply of Electricity-2004 but amount payable by the consumers would be as per rates mentioned above and difference of the two will be shown as payable by the State Govt. in consumer's bill and against realization through adjustment as being done in the cases of agriculture metered consumers.

Above decision would be effective w.e.f. 1.5.2005, as such energy bills of above consumers will be issued as per rates mentioned above w.e.f. the billing month Aug. 2005 and necessary Dr./Cr. is also required to be calculated & accounted for the consumption period 1.5.2005 to billing month July, 2005 in consumers account, accordingly at your end please.

Yours faithfully,

Sd/-

(K.L. GUPTA)

Sr. Accounts Officer

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के कृषि कनेक्शनों हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

34. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के विद्युत कृषि कनेक्शनों हेतु गत 5 वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए? इनमें से किस वर्ष तक के आवेदकों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं?

(2) शेष रहे आवेदकों को सरकार कब तक कनेक्शन देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु गत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदन व जारी किए गए कनेक्शनों का विवरण निम्नांकित है :-

	सामान्य श्रेणी	अनु. जाति	स्पेशल	फार्म हाऊस	योग
प्राप्त आवेदन	60	36	55	24	175
निरस्त आवेदन	—	10	12	1	23
कनेक्शन जारी	—	13	43	9	65
मांग पत्र जमा आवेदन	12	7	—	2	21
शेष रहे आवेदन	48	6	—	12	66

(2) शेष रहे आवेदकों में से जिन आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा है उन्हें माह दिसम्बर, 2005 तक कनेक्शन जारी कर दिए जायेंगे। अन्य शेष आवेदकों को उनके वरीयता क्रम में कृषि कनेक्शन नीति 2004 (18.9.2004) के अनुसार मार्च, 2003 तक प्राप्त आवेदनों के मांग पत्र वर्ष 2006-07 तक जारी कर राशि जमा कराये जाने पर नियमानुसार कनेक्शज जारी करना प्रस्तावित है।

बूंदी जिले हेतु स्वीकृत नवीन महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं

35. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में इस वर्ष नई बाल विकास परियोजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी नई परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की गई तथा इनमें कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां कहां खोले जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पूर्व में चल रही बाल विकास परियोजनाओं को भी नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है? यदि हां, तो किस-किस योजना के अन्तर्गत कितने-कितने और कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त दोनों उद्देश्यों के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत बूंदी जिले की हिण्डौली, तालेड़ा-केशवराय पाटन एवं नैनवां परियोजनाओं के किस-किस योजना के अन्तर्गत कितने-कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किये जावेंगे और कितनी सहयोगिनियां कार्यकर्ता, सहायिकाएं एवं पर्यवेक्षक किन-किन योजनाओं में नियुक्त किये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए 17 नवीन बाल विकास परियोजनाएं प्रारम्भ करने की स्वीकृति माह अगस्त, 2005 में ही प्रदान की गई है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

इन 17 नवीन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 1855 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजनावार आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या का निर्धारण तथा आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन हेतु स्थान के निर्धारण का कार्य प्रक्रियाधीन है। ये आंगनबाड़ी केन्द्र जिलों की विभिन्न नगर पालिकाओं/नगर परिषदों नगर निगम क्षेत्रों में प्रारम्भ किये जावेंगे।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित सामान्य आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत 191 एवं विश्व बैंक सम्पोषित आई.सी.डी.एस. तृतीय अन्तर्गत 66 परियोजनाओं सहित कुल 257 बाल विकास परियोजनाओं में 9186 आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की है। विश्व बैंक सम्पोषित 66 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत खुलने वाले अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए फिलहाल धनराशि विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान से उपलब्ध होगी। जिन स्थानों पर इन केन्द्रों को प्रारम्भ किया जाना है उनका जिलेवार/पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। पंचायत समितिवार आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या के निर्धारण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त दोनों उद्देश्यों के लिए संस्थापन एवं प्रशासनिक व्ययों हेतु शत-प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी तथा पूरक पोषाहार पर राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत का पुर्नभरण अधिकतम प्रति लाभार्थी प्रतिदिन उनके द्वारा निर्धारित नार्मस की 50 प्रतिशत तक की सीमा में किया जावेगा।

(4) विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा सामान्य आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत बूंदी जिले की हिण्डौली, तालेड़ा, केशोरायपाटन तथा विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. तृतीय की नैनवां बाल विकास परियोजना में कुल 134 आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त हुई है। आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृत संख्या में परिवर्तन सम्भावित है।

इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 134 महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 134 महिलाएं सहायिका के पद पर चयनित की जावेंगी। सहयोगिनी राज्य योजना के अन्तर्गत चयनित की जा रही है। नवीन अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहयोगिनी लगाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

नवीन बाल विकास परियोजनाएं

क्र. सं.	जिले का नाम	नवीन परियोजना का नाम
1.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा (शहरी)
2.	बाड़मेर	बाड़मेर (शहरी)
3.	बूंदी	बूंदी (शहरी)
4.	चूरू	सरदार शहर (शहरी)
5.	चूरू	सुजानगढ़ (शहरी)
6.	धौलपुर	धौलपुर (शहरी)
7.	हनुमानगढ़	नोहर (शहरी)
8.	जयपुर	सांगानेर (शहरी)
9.	झालावाड़	झालावाड़ (शहरी)
10.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं (शहरी)
11.	करौली	हिण्डौन (शहरी)
12.	नागौर	मकराना (शहरी)
13.	नागौर	डीडवाना (शहरी)
14.	सवाईमाधोपुर	गंगापुर सिटी (शहरी)
15.	सीकर	फतेहपुर सिटी (शहरी)
16.	सीकर	सीकर द्वितीय (शहरी)
17.	सिरोही	आबूरोड (शहरी)

परिशिष्ट "ब"

बाल विकास परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना	क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना
1.	अलवर	1.	राजगढ़			21.	ब्यावर शहर
		2.	कठूंमर			22.	जवाजा
		3.	उमैरन			23.	मसूदा
		4.	किशनगढ़वास			24.	पीसांगन
		5.	लक्ष्मणगढ़			25.	श्रीनगर
		6.	अलवर शहर			26.	किशनगढ़
		7.	बानसूर	3.	बाडमेर	27.	चौहटन
		8.	बहरोड (वि. बैं)			28.	शिवाना
		9.	कोटकासिम			29.	शिव (मु. पचपदरा)
		10.	मुण्डार			30.	बालोतरा
		11.	नीमराना			31.	बायतु
		12.	रामगढ़			32.	बाड़मेर
		13.	रैणी			33.	धौरीमन्ना
		14.	थानागाजी			34.	सिणधारी
		15.	तिजारा	4.	बांसवाड़ा	35.	गडी
2.	अजमेर	16.	अजमेर शहर			36.	कुशलगढ़
		17.	अराई			37.	घाटोल
		18.	केकड़ी			38.	तलवाडा
		19.	भिनाय			39.	पीपलखूंट
		20.	किशनगढ़ (सिलोरा)			40.	आनन्दपुरी (भूखिया)

क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना	क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना
		41.	बागीदौरा			62.	रतन नगर
		42.	सज्जनगढ़			63.	राजगढ़
5.	चित्तौड़गढ़	43.	छोटी सादड़ी			64.	तारानगर
		44.	प्रतापगढ़			65.	चूरू
		45.	अरनोद	7.	धौलपुर	66.	धौलपुर
		46.	बेंगू			67.	बाडी
		47.	चित्तौड़गढ़ ग्रामीण			68.	बसेड़ी
		48.	राशमी			69.	राजाखेड़ा
		49.	चित्तौड़गढ़	8.	दौसा	70.	महुआ
		50.	बड़ी सादडी			71.	दौसा
		51.	भदेसार			72.	लालसोट
		52.	भैंसरोडगढ़			73.	सिकराय
		53.	भोपालसागर			74.	बांदीकुई
		54.	डूंगला	9.	डूंगरपुर	75.	डूंगरपुर
		55.	गंगरार			76.	आसपुर
		56.	कपासन			77.	बिच्छीवाड़ा
		57.	नीम्बाहेड़ा			78.	सागवाड़ा
6.	चूरू	58.	सुजानगढ़			79.	सीमलवाड़ा
		59.	डूंगरगढ़	10.	हनुमानगढ़	80.	हनुमानगढ़
		60.	सरदारशहर			81.	नोहर
		61.	रतनगढ़			82.	भादरा

क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना	क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना
		83.	हनुमानगढ़			104.	कुचामनसिटी
11.	जोधपुर	84.	फलौदी	13.	सीकर	105.	नीमकाथाना
		85.	जोधपुर शहर			106.	सीकर शहर
		86.	शेरगढ़			107.	दांतारामगढ़
		87.	बाप			108.	धौंद
		88.	लूणी (मु. जोधपुर)			109.	फतेहपुर
		89.	बिलाड़ा			110.	खण्डेला
		90.	भोपालगढ़			111.	लक्ष्मणगढ़
		91.	ओसियां			112.	पिपराली
		92.	बालेसर			113.	श्रीमाधोपुर
		93.	मण्डोर	14.	स. माधोपुर	114.	गंगापुरसिटी
12.	नागौर	94.	डेगाना			115.	खण्डार
		95.	जायल			116.	बामनवास
		96.	मेड़ता सिटी			117.	स.माधोपुर ग्रामीण
		97.	डीडवाना			118.	बोली
		98.	मूंडवा			119.	स. माधोपुर शहर
		99.	रियां	15.	करौली	120.	सपोटरा
		100.	मकराना			121.	हिण्डौन
		101.	परबतसर			122.	टोड़ाभीम
		102.	लाडनूं			123.	नादौती
		103.	नागौर			124.	करौली

क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना	क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना
16.	कोटा	125.	कोटा शहर			146.	छिपाबड़ौद
		126.	चेचट	20.	भरतपुर	147.	रूपवास
		127.	इटावा			148.	डीग
		128.	सुल्तानपुर			149.	बैर
		129.	सांगोद			150.	बयाना
		130.	लाडपुरा			151.	सेवर
17.	बूंदी	131.	केशोरायपाटन			152.	नदबई
		132.	तालेडा			153.	कुम्हेर
		133.	हिण्डौली			154.	कामां
		134.	नैनवां			155.	नगर पहाड़ी
18.	बीकानेर	135.	कोलायत (बज्जू)			156.	भरतपुर शहर
		136.	नोखा	21.	भीलवाडा	157.	माण्डलगढ़
		137.	बीकानेर ग्रामीण			158.	रायपुर
		138.	लूणकरणसर			159.	माण्डल
		139.	बीकानेर शहर			160.	सहाड़ा (मु.गंगापुर)
19.	बारां	140.	छबड़ा			161.	शाहपुरा
		141.	शाहबाद			162.	सुवाणा
		142.	किशनगंज			163.	कोटड़ी
		143.	बारां			164.	जहाजपुर
		144.	अन्ता			165.	भीलवाड़ा शहर
		145.	अटरू			166.	आसीन्द

क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना	क्र. सं.	नाम जिला		नाम परियोजना
		167.	बनेडा			189.	पिड़ावा
		168.	हुरडा	24.	झुंझुनूं	190.	सूरजगढ़
22.	जयपुर	169.	चाकसू			191.	झुंझुनूं
		170.	जयपुर-प्रथम			192.	अलसीसर
		171.	जयपुर-द्वितीय			193.	बुहाना
		172.	कोटपूतली			194.	चिड़ावा
		173.	फागी			195.	खेतड़ी
		174.	बस्सी			196.	नवलगढ़
		175.	जमुवारामगढ़			197.	उदयपुर वाटी
		176.	सांगानेर	25.	जालौर	198.	आहौर
		177.	दूदू			199.	जालौर ग्रामीण
		178.	झोटवाडा			200.	सायला
		179.	सांभरलेक			201.	रानीवाड़ा
		180.	आमेर			202.	सांचोर
		181.	बैराठ (विराटनगर)			203.	जसवन्तपुरा
		182.	शाहपुरा			204.	भीनमाल
		183.	गोविन्दगढ़	26.	श्रीगंगानगर	205.	श्रीकरणपुर
23.	झालावाड़	184.	डग			206.	रायसिंह नगर
		185.	झालरापाटन			207.	पदमपुर
		186.	मनोहरथाना			208.	अनूपगढ़
		187.	खानपुर			209.	श्रीगंगानगर
		188.	बकानी			210.	सूरतगढ़

क्र. सं.	नाम जिला	नाम परियोजना	क्र. सं.	नाम जिला	नाम परियोजना
		211. सार्दुलशहर			232. निवाई
		212. श्रीगंगानगर			233. देवली
27.	पाली	213. बाली			234. मालपुरा
		214. जैतारण			235. टोंक शहर
		215. रायपुर			236. झाडोल
		216. रोहट			237. कोटडा
		217. सोजत			238. गोगुन्दा
		218. पाली शहर			239. खैरवाडा
		219. पाली			240. सलूम्बर
		220. खारची			241. सराडा
		221. देसूरी			242. धरियावद
		222. रानी			243. गिर्वा
		223. सुमेरपुर			244. बडगांव
28.	सिरोही	224. आबूरोड			245. मावली
		225. रेवदर			246. उदयपुर शहर
		226. पिण्डवाडा			247. भिण्डर
		227. सिरोही ग्रामीण	31.	राजसमन्द	248. राजसमन्द
		228. शिवगंज			249. देवगढ़
29.	टोंक	229. अलीगढ़ (उनियारा)			250. कुम्भलगढ़
		230. टोडारायसिंह			251. आमेट
		231. टोंक ग्रामीण			252. खमनौर
		253. रेलमगरा			256. पोकरण (सांकडा)
		254. भीम			257. जैसलमेर
32.	जैसलमेर	255. सम. (मु. जैसलमेर)			

कृषि विद्युत दरों के सम्बन्ध में समझौता

36. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार व किसान नेताओं के मध्य जयपुर महापड़ाव के दौरान दिनांक 8 सितम्बर, 2005 को कोई समझौता किया गया? यदि हां, तो क्या? समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समझौते में किसान और सरकार की तरफ से कौन-कौन सम्मिलित हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महापड़ाव में किसानों का मांग-पत्र क्या था? मांग-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त समझौते में विभिन्न मांगों को पूरी करने हेतु क्या समयावधि निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त समझौते में किसान नेताओं को रिहा करने बाबत क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? सरकार द्वारा उक्त आंदोलन से सम्बन्धित कौन-कौन से गिरफ्तार नेताओं के विरूद्ध कब-कब, किन-किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किये गये? सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मंत्री मण्डलीय समिति कृषि उपभोक्ताओं पर लागू बिजली की दरों के बारे में विस्तार से विचार विमर्श करेगी तथा यथा सम्भव किसानों को राहत देने का प्रयास किया जायेगा। इसी बीच अकाल की परिस्थिति को देखते हुए व पूर्व अकाल के वर्षों की भांति बकाया वसूली में राहत आदि की परिपाटी को देखते हुए यह भी निर्णय किया गया कि समिति की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लिये जाने तक किसान बिजली के बिल पुरानी दरों पर ही जमा करा सकेंगे। अन्तिम बिल राज्य सरकार द्वारा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार वसूल किये जायेंगे। समिति अपना प्रतिवेदन देने से पहले राजस्थान के विभिन्न किसान संगठनों से किसानों की बिजली सम्बन्धी समस्याओं पर गहन विचार विमर्श करेगी।

(2) उक्त समझौते में किसान सभा एवं राज्य सरकार की ओर से निम्नांकित प्रतिनिधि सम्मिलित हुए :-

राज्य सरकार की ओर से :-

(ऊर्जा मंत्री)

1. श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री
2. श्री घनश्याम तिवाड़ी, शिक्षा मंत्री
3. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री
4. डा. दिगम्बर सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
5. श्री गजेन्द्र सिंह ऊर्जा राज्य मंत्री
    1. का. श्योपत सिंह, अध्यक्ष
    2. श्री अमराराम, उपाध्यक्ष
    3. श्री दूलीचन्द, महामंत्री
    4. श्री नारायण डूडी
    5. श्री गिरधारी सिंह
    6. श्री फूलचन्द बरबर

(3) किसान सभा द्वारा ज्ञापित मांग-पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं।

(5) राज्य सरकार एवं किसान नेताओं के मध्य जयपुर महापड़ाव के समय दिनांक 8.9.2005 को सम्पन्न समझौते में किसान आन्दोलन के अन्तर्गत गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा करने का निर्णय लिया गया था। इस समझौते के अनुसार 107/151/सी.आर.पी.सी. के तहत न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे लोगों को तत्काल छोड़ दिया गया था। अपराधिक प्रवृति के प्रकरणों में रिहाई की कार्यवाही चल रही है। केसवार ब्यौरा मंगाया जा रहा है।

परिशिष्ट "अ"

मांग पत्र

1- बिजली की बढ़ी हुई दरें वापिस लो।

2- कृषि कुओं/ट्यूबवेलों पर नियमित व पूरे वोल्टेज पर 12 घंटे बिजली आपूर्ति करो।

3- सभी श्रेणी के कृषि विद्युत कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर एक समान विद्युत दर लागू करो।

4- सभी किसानों को मांगने पर तुरन्त विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराओ।

5- वी.सी.आर. के नाम पर लूट एवं वितरण कम्पनियों के व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ।

6- विद्युत भार की चैकिंग का अधिकार XEN स्तर के अधिकारों को ही दिया जावे एवं समझौता समितियां बहाल की जावें। एरिया अनुसार भार निर्धारण का प्राबधान समाप्त कर किसान को विद्युत भार की मांग के अनुसार कनेक्शन दिये जावें।

7- न्यूनतम चार्जेज के प्रावधान को समाप्त किया जावे। विगत समय में वसूल की गयी एरियर की राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जावे। तथाकथित डिफाल्ट मीटर के नाम पर अवैध राशि वसूलना बन्द किया जावे। मीटर जलने पर मीटर की कीमत किसानों से वसूल नहीं की जावे एवं जलने पर तुरन्त बदला जावे।

8- स्थायी शुल्क, शण्ट केपेसीटर जैसी अनेकों तरीकों से की जा रही वसूलियों को खत्म किया जावे।

9- कनेक्शन शिफ्टिंग की पूर्व व्यवस्था बहाल की जावे। शिफ्टिंग के लिए अतिरिक्त चार्जेज नहीं लिया जावे।

10- डीजल व पेट्रोल की बढ़ायी कीमतें वापिस की जावें। राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल व डीजल पर लगाये टैक्स व अधिभार खतम करें।

11. किसानों की फसलें बर्बाद हो जाने के कारण बिजली के बिल माफ किये जावें तथा अन्य वसूलियां स्थगित की जावें, बैंक व सहकारी ब्याज माफ किया जावे। चुनाव घोषणा अनुसार दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ किये जावें। अकाल राहत कार्य शीघ्र शुरू किये जावें।

12. राज्य में गिरफ्तार सभी किसान आन्दोलनकारियों को रिहा किया जावे एवं 11 दिसम्बर के समझौते की पालना करें। पुलिस दमन बन्द करें।

सहरिया जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास हेतु विशेष कार्य-योजना

37. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति उप योजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र हेतु विशेष घोषणाएं की गई थीं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि की गई घोषणाओं का पालन हो चुका है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या उपलब्धि हासिल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण में घोषणाएं की गई थीं। बजट घोषणाओं की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) घोषणाओं की अनुपालना प्रारम्भ की जा चुकी है जो कि सतत् प्रक्रिया है। घोषणाओं की अनुपालना की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

माननीया मुख्य मंत्री महोदया का बजट भाषण वर्ष 2005-06

बिन्दु संख्या	घोषणाएं
18.	राज्य की जनसंख्या का लगभग 12.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति का है। जनजाति विकास के महत्व को देखते हुए हमने गत बजट में इनके लिए निर्धारित प्रावधान को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये किया था। आगामी वर्ष में, इस प्रावधान को और बढ़ाते हुए 75 करोड़ 51 लाख रुपये करना प्रस्तावित है।
19	सहरिया परिवारों को विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में शासन को समय पर जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है ताकि यथासमय उसके निराकरण की कार्रवाई की जा सके। वर्तमान में लगभग 16 हजार 500 सहरिया परिवार हैं। इन सभी परिवारों की रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित मापदण्डों की निरन्तर ट्रेकिंग की जायेगी।

बिन्दु संख्या	घोषणाएं
20	सहरिया क्षेत्रों में स्कूल जाने से वंचित बच्चों के लिए मां-बाडी योजना चलाई जा रही है जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2005-06 में एक सौ अतिरिक्त मां-बाड़ी केन्द्र खोलना प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया क्षेत्रों में 12वीं कक्षा पास अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया युवतियों की वैकल्पिक शालाओं में शिक्षा मित्र के रूप में सेवायें देने की व्यवस्था की जायेगी, जिसके लिए इन युवतियों को 40 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
21	क. जनजाति दस्तकारों को हस्तशिल्प निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान व सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 488 वर्क शेड्स निर्मित किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त 6 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 300 जनजाति के परिवारों के कच्चे मकानों में पक्के कमरों का निर्माण करवाया जायेगा।
	ख. अनूसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सुविधा देने की दृष्टि से 4 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से 12 छात्रावास निर्मित किये जायेंगे जिनमें से 6 छात्रावास बालिकाओं के लिए होंगे। ग. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की सभी पंचायत समितियों में सामुदायिक आधार पर पावर थ्रेशर वितरित किये जायेंगे।
32	अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत जनजाति की छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नि:शुल्क साइकिलें वितरित करने की योजना इस वर्ष प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 17 हजार 300 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जायेंगी।

परिशिष्ट "ब"

मानननीया मुख्य मंत्री महोदया का बजट भाषण वर्ष 2005-06 की अनुपालना रिपोर्ट

22 सितम्बर, 2005

बिन्दु संख्या	अनुपालना
1	2
18.	महाराष्ट्र पैटर्न (आयोजना) में वर्ष 2005-06 में 77.51 करोड़ बजट में उपलब्ध करवाये गये हैं। उपलब्ध राशि के विरुद्ध दिनांक 22.9.2005 तक रुपये 2178.626 लाख की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं शेष राशि की स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर दी जावेंगी।
19	सहरिया परिवारों की रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खाद्य सुरक्षा के सम्बन्धित कार्यक्रम निम्नानुसार रखे गये हैं :- 1. स्वरोजगार-लाभान्वित 100-बजट 10.00 लाख रुपये 2. स्वास्थ्य-संजीवनी केम्प-5.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। 3. शिक्षा अ. किशनगंज में नया आवासीय विद्यालय स्वीकृत-कुल लागत 2.50 करोड़ रुपये में राशि रुपये 1.00 करोड़ हस्तान्तरित किये जा चुके हैं निर्माण कार्य शीघ्र करवा दिया जावेगा। ब. 12 आश्रम छात्रावासों का संचालन व सभी सुविधायें नि:शुल्क दी जा रही हैं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति संख्या एफ.2(16) (22) सहरिया टीएडी/मं.प./आ.छा.संचा/लेखा/2005-06 दिनांक 29.8.2005 रुपये 33.04 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 4. खाद्य सुरक्षा-उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। छात्रावासों में निवास कर रहे छात्र/छात्राओं को विभाग द्वारा समुचित खाद्य प्रदान किया जा रहा है।

1	2
20	100 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने हेतु राशि रुपये 200 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एफ.2(16)(25) सहरिया/महाराष्ट्र पैटर्न/टीएडी/लेखा/2005-06 दिनांक 24.8.2005 रुपये 200.00 लाख जारी की जा चुकी है। मां-बाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु भी समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 24.8.2005 रुपये 75.00 लाख की जारी कर राशि उपलब्ध् कराई जा चुकी है। 100 मां-बाडी केन्द्रों में से 76 केन्द्र खोले जा चुके हैं। शेष प्रक्रियाधीन है। शिक्षा मित्र योजना प्रक्रियाधीन है।
21	क. संविधान की धारा 275(1) मद वर्ष 2005-06 की कार्य योजना में इस प्रयोजनार्थ 20.00 लाख एवं विशेष केन्द्रीय सहायता मद 2005-06 में 60.54 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिससे 388 जनजाति दस्तकारों को लाभान्वित किया जायेगा। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर लाभान्वित किया जायेगा। जनजाति परिवार के 2000 कच्चे मकानों में पक्के कमरों के निर्माण कराए जाने हेतु रुपये 605.00 लाख की स्वीकृति एफ.1 (7)(18)टीएडी/लेखा/2005-06 दिनांक 2.9.2005 जारी की जा चुकी है निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा। ख. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सुविधा देने की दृष्टि से 12 छात्रावास निर्माण कराने हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना से 50 प्रतिशत राशि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। राज्यांश की राशि का प्रावधान महाराष्ट्र पैटर्न मद के प्रस्तावों में रखा गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। ग. प्रत्येक पंचायत समिति में 2 पावर थ्रेशर सामुदायिक आधार पर वितरित करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ.1(7)(15)टीएडी/लेखा/2004-05 दिनांक 29.8.2005 के द्वारा रुपये 9.20 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। पावर थ्रेसर वितरण का कार्य क्रय कर शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

1	2
32	अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत जनजाति की छात्राओं को नि:शुल्क साईकिल वितरण योजनान्तर्गत-साइकिलें प्राप्त हो गई हैं। 12300 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2005-06 में वितरित की जाने वाली 5000 साईकिलों के लिए स्वीकृति क्रमांक एफ.10(186)टीएडी/साइकिल/2004 दिनांक 24.8.2005 रुपये 82.00 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। साईकिल क्रय कर वितरण की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कर दी जावेगी।

सदस्य-सूची

सोमवार, 26 सितम्बर, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
अनुपस्थिति-अनुमति	
-उषा पूनिया श्रीमती, पर्यटन राज्य मंत्री एवं श्री नारायण सिंह सदस्य, को 26 सितम्बर, 2005 से सत्रांत तक	29
शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि	
-ओमप्रकाश गुप्ता श्री, पूर्व विधायक	37
-गोविन्द नारायण श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	33
-चम्पालाल जैन श्री, पूर्व विधायक	38
-जयनारायण शर्मा श्री, पूर्व विधायक	40
-जोधसिंह चौहान श्री, पूर्व विधायक	40
-नत्था सिंह श्री, पूर्व विधायक	38
-पी.के. वासुदेवन नायर श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, केरल	34
-मजलिस खां श्री, पूर्व विधायक	39
-सऊदी अरब के शाह फहद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद	35
-सुनील दत्त श्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री	34
-सुन्दर सिंह भण्डारी श्री, पूर्व राज्यपाल बिहार एवं गुजरात	32
-हंसराम गुर्जर श्री, पूर्व विधायक	37
-हजारी लाल शर्मा श्री, पूर्व विधायक	39
-हीरालाल श्री, पूर्व विधायक	36
श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-जयपुर प्रतापनगर सैक्टर-62, हाउसिंग बोर्ड की रोड लाइटें	128

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-जनजाति उपयोजना (उदयपुर) क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों की भर्ती में विशेष आरक्षण	73
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-नैनवां उप जिलाधीश द्वारा पत्रावलियों के तलाश हेतु जारी वारंट	171
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-सीकर जिले के उप-खण्डों का पुनर्सीमांकन	93
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में राजस्व अभियानों में भू-नियमन	77
श्री खुशवीर सिंह जोजवार (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-राज्य में विद्युत उत्पादन/मांग/आपूर्ति	42
सामान्य प्रशासन	
-निर्वाचन क्षेत्र में विधायी कार्यों के निर्वहन हेतु विधायकों/सांसदों को निजी वाहन सुविधा	110

नाम — पृष्ठ संख्या

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री

अनुरोध एवं मांग

-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग 4

श्री गौतम लाल मीणा (लसाड़िया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र के सड़क विहीन पंचायतें 224

श्री चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-कृषि विद्युत दरों के सम्बन्ध में समझौता 240

नगरीय विकास एवं आवासन

-राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन 135

स्वायत्त शासन

-तारानगर (चूरू) नगरपालिका क्षेत्र में चयनित बी.पी.एल. परिवार 90

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-राज्य कर्मियों को कैंसर चिकित्सा परिचर्या हेतु भगवान महावीर चिकित्सालय को मान्यता 197

श्री जीतराम (मालपुरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के कृषि कनेक्शनों हेतु लम्बित आवेदन पत्र 230

-मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण 75

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-लूणी विधान सभा क्षेत्र की सडकें	210
-लूणी विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु आबंटित राशि	58
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-ब्यावर नगर परिषद् में भू-नियमन सम्बन्धी लम्बित प्रकरण	75
श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-पूर्व प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही	111
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री	
अनुरोध एवं मांग	
-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग	7
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत शासन	
-जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निजीकरण	95
श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवसन	
-जयपुर जाटौन नगर (बी) की आवासीय योजना का नियमन	161

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास

-बाली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम/ढाणियों का माडा योजनान्तर्गत विकास 69

सार्वजनिक निर्माण

-बाली विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें 204

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

-राजस्थान किराया नियंत्रण (सशोधन) , 2005 31

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

अनुरोध एवं मांग

-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग 13

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आबकारी

-बारां कालेज रोड स्थित मदिरा विक्रय केन्द्र का स्थानान्तरण 112

-राज्य में जहारीली/अवैध शराब की रोकथाम हेतु कार्य-योजना 90

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-बारां जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद 182

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-विधायक अनुशंसा पर सड़क निर्माण 76

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-दूदू विधान सभा क्षेत्र एवं फागी के राजस्व ग्रामों में चिकित्सा व्यवस्था	188
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
अनुरोध एवं मांग	
-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा कि मांग	1
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर शहर की आगरा रोड/ गोनेर रोड की कालोनियों का नियमन	137
-जयपुर शहर हेतु प्रस्तावित रिंग रोड	57
स्वायत्तं शासन	
-जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निजीकरण	95
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-पाली जिले के डाक बंगले	42
श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)	
अनुरोध एवं मांग	
-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग	13
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
अनुरोध एवं मांग	
-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग	2

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री महीपाल यादव (बानसूर)	
अनुरोध एवं मांग	
-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग	14
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-राज्य कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई वेतन पर महंगाई भत्ता	108
-वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित समिति की सिफ़ारिशों का क्रियान्वयन	108
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-सहरिया जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास हेतु विशेष कार्य-योजना	243
श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-ग्राम बीड़ सरकारी (जयपुर) की जमाबन्दी	180
स्वायत्त शासन	
-बीड़ ग्राम सरकारी (जयपुर) की भूमि का अवैध बेचान प्रकरण	128
श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-नागौर जिले में नवीन ग्रिड सब-स्टेशन	57

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर महिला अभ्यर्थियों से पंजीयन शुल्क की वसूली	98
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-भरतपुर कस्बे की चक नम्बर एक की पोखर भूमि का खातेदारी प्रकरण	181
अनुरोध एवं मांग	
-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग	14
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं की सफलता हेतु कार्य योजना	43
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-कृषि कनेक्शनों की फ्लैट रेट	226
श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-देसूरी विधान सभा क्षेत्र की गोचर भूमि पर अतिक्रमण	179
श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-जनजाति क्षेत्र में महाराष्ट्र प्रणाली के अनुसार आबंटित राशि	109

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
अनुरोध एवं मांग	
-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग	23
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005	31
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अध्यादेश	
-राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2005	30
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज बीकानेर के विस्तार हेतु भू-अवाप्ति प्रकरण	174
स्वायत्त शासन	
-जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निजीकरण	95
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-मावली विधान सभा क्षेत्र हेतु प्रस्तावित सड़कें	197
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-डूंगरपुर व उदयपुर जिले के देशी मदिरा ठेके	116

नाम	पृष्ठ संख्या

नगरीय विकास एवं आवासन

-जयपुर वर्ल्ड ट्रेड पार्क हेतु भू-आबंटन प्रकरण 163

अनुरोध एवं मांग

-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग 11

श्री सचिव

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

-राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 30

-राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 30

-राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 30

-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 30

-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 30

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति से रोके गये विधेयक

-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 30

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

-दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 29

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में फार्म हाउस योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन	225
राजस्व	
-जैसलमेर में होटल निर्माण हेतु आबंटित भू-खण्ड	61
श्री समर्थ लाल (राजगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-मोहनपुरा ग्राम तहसील बस्सी की चरागाह भूमि के कब्जों का नियमितीकरण	177
श्री सी.डी. देवल (रायपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-रामगढ़ ग्राम (पाली) की भूमि पर अतिक्रमण	43
सार्वजनिक निर्माण	
-झाला ग्राम (पाली) की चौकी की भूमि पर अतिक्रमण	224
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
अनुरोध एवं मांग	
-प्रश्नकाल स्थगित कर अखबारों में मंत्री पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग	4
श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-जयपुर सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल महावीर नगर द्वारा अतिक्रमित भूमि	130

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जोधपुर नगर सुधार न्यास में भू-रूपान्तरण के चालान योग्य लम्बित प्रकरण	101
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-बारां जिले में मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु व्यय राशि	51
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू-रूपान्तरण सम्बन्धी प्रसारित आदेश	153
महिला एवं बाल विकास	
-बूंदी जिले हेतु स्वीकृत नवीन महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं	231
श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-हवामहल एवं मोती डूंगरी जोन जयपुर की सफाई व्यवस्था	116